खण्ड-356, अंक-3
शुक्रवार, 21 फाल्गुन, शक संवत् 1903
(12 मार्च, 1982 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 356 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	269-272
प्रश्नोत्तर	273-314
फैजाबाद मण्डल में सहकारिता विभाग द्वारा कथित नीम की खली की खरीद में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	314-315
इटावा जिले के थाना बटपुरा के अन्तर्गत ग्राम हवालिया में डाकू महावीरा द्वारा दो व्यक्तियों की हत्या तथा नौ हरिजनों को घायल किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	315-316
हरदोई जनपद के विकास खण्ड माधोगंज व मल्लांवा में गन्ना निकासी न होने से किसानों के समक्ष संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	316
शासन के अनुचित हस्तक्षेप के कारण हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट की परीक्षाओं के संचालन में संदिग्धता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	316-317
जनपद बांदा के ग्राम गुरहन्द की हरिजन बस्ती पर सवर्णों द्वारा हमले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	317
उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 (विधान परिषद से वापसी की सूचना) ..	318
दिनांक 12 फरवरी 1982 को अकबाल हुसेन द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में संशोधन हेतु शोधन वक्तव्य	318
मन्त्रि परिषद के सदस्यों द्वारा कथित अनुचित दबाव डालकर प्रशासनिक अधिकारियों से अनुचित कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य पर व्यवस्था का प्रश्न ..	319-321
मन्त्रि परिषद के सदस्य द्वारा अनुचित दबाव डालकर प्रशासनिक अधिकारियों से अनुचित काम कराने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	321-339
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	340-341
1982-83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगो पर मतदान अनुदान संख्या 64--सहकारिता विभाग	341-383
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	384
सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा एवं ओलावृष्टि से हुयी क्षति तथा कानपुर में 8 व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	384-388
नत्थियां	389-396

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 282

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मोहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्र श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह, पोलकी श्री (बरेली))
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट) श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खुर्शेद अहमद। श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, (उन्नाव)
गोपीनाथ बर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चरु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
छेदी लाल, श्री (गोडा)
जगदीश नारायन, श्री (फतेहपुर)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)

जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य श्री (मुरादाबाद)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नारायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धन. राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
घ्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौढ़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नियानन हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन, राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकार नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
दंशोधर, श्री (रामपुर)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बाबू राम श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
ब्रहम दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगूनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पांण्डेय, श्री (बस्ती)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)

मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी) (गोरखपुर)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद,श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0 (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
ललू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)

सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां, श्री (शाहजहापुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हसंराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, (गोरखपुर)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 12 मार्च, 1982

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

हर्रैया, जनपद बस्ती में कैलाश चन्द्र मित्तल क्लब का निर्माण तथा अनधिकृत लोगों द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने के विरुद्ध कार्यवाही

*1—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कैलाश चन्द्र मित्तल क्लब, हर्रैया, जनपद बस्ती का निर्माण सन् 1950-51 में वकीलों के चन्दे तथा सरकारी खजाने से धन लगाकर तत्कालीन जिलाधिकारी ने कराया था ? यदि हां, तो क्या सही है कि कुछ अनधिकृत लोगों ने उक्त क्लब पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है ? क्या इसकी शिकायत मुख्य मंत्री तथा अन्य अधिकारियों से हर्रैया तहसील की जनता तथा बार एसोसिएशन, हर्रैया ने अपने प्रस्ताव दिनांक 31-8-81 के द्वारा की है एवं जिसकी जांच परगना अधिकारी, हर्रैया ने माह अगस्त और सितम्बर, 1981 में किया है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच रिपोर्ट उप सचिव, नजूल, सचिवालय, उ0 प्र0 को भेज दी गयी है ? यदि नहीं, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व उपमंत्री (श्री सरजू प्रसाद 'सरोज')—

हर्रैया जनपद बस्ती में कैलाश चन्द्र मित्तल क्लब का निर्माण सन् 1950 में हुआ था। क्लब के निर्माण में तहसील हर्रैया के वकीलों के चन्दे तथा सरकारी खजाने से धन लगाकर तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कराये जाने का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायन पाण्डे तत्कालीन वकील तहसील हर्रैया (विधायक), सन् 1960 से उक्त क्लब भवन में निवास कर रहे हैं।

बार एसोशियेशन हर्रैया के प्रस्ताव दिनांक 31 अगस्त, 1981 की प्रति उपलब्ध नहीं है किन्तु बार के जूनियर मेम्बर्स द्वारा एक प्रार्थना-पत्र दिया गया था। श्री धीर सिंह निवासी मुरादपुर तहसील हर्रैया की शिकायत पर परगनाधिकारी हर्रैया द्वारा माह अगस्त/सितम्बर, 1981 में जांच कराई गई है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, जो मूल प्रश्न है, माननीय मंत्री जी ने उसी का समग्र उत्तर नहीं दिया। नीचे प्रश्न यह है कि हर्रैया तहसील की जनता तथा बार एशोसियेशन हर्रैया ने अपने प्रस्ताव दिनांक 31-8-81 के द्वारा इसकी शिकायत की है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब आपने 31 अगस्त, 1981 की शिकायत की हर्रैया के परगनाधिकारी से इसकी जांच कराई, तो उनकी जांच रिपोर्ट क्या है और उनकी रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही

---

*नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 1 श्री मोहन सिंह ने पूछा।

हुई है ? यह कैलाश चन्द्र मित्तल क्लब में आधा पैसा वकीलों के चन्दे से लगाया गया और आधा पैसा सरकारी खजाने से लगाया गया और एक क्लब कैलाश चन्द्र मित्तल के नाम से निर्माण हुआ और उस क्लब में माननीय विधायक सुरेन्द्र प्रताप नरायन पाण्डेय, जो लोकपति जी के जीजा जी हैं और हम सबके मान्यवर, मेरे पास वह लोग मिलने आये और उनका प्रार्थना-पत्र मैंने माननीय मंत्री जी के पास अग्रसारित कर दिया। मान्यवर, यह क्लब कैसे बना, इसमें आपको जांच के दौरान कोई साक्ष्य मिले ? यदि मिले, तो श्री सुरेन्द्र प्रताप नरायन पाण्डेय ने किस हैसियत से, या किसी ने उनके नाम अवंटित किया है, किस हैसियत से वह उसमें रह रहे हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील)--

जांच रिपोर्ट आयी है एस0 डी0 ओ0 को। यह करीब सन् 50 में क्लब बना है श्री के0 सी0 मित्तल क्लब के नाम से। 17 विस्वा 13 धुर जमीन है उसके ऊपर जो मकान बना है वह 2 विस्वा 7 धुर क्षेत्रफल पर बना है। यह माननीय विधायक श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण पांडे सन् 60 से रह रहे हैं जो क्लब है उसमें यह भी शायद रहे हों क्योंकि यह भी वकील थे। उसके बाद कैसे रहने लगे, क्लब की परमिशन से या के0 सी0 मित्तल की परमिशन से रहने लगे, इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने यह कहा है कि इसका कोई अभिलेख नहीं है। किसने पैसा लिया शुरू में कैसे बना पहले छोटा था बाद में बढ़ोत्तरी की गई। यह पता चला की नजूल की भूमि पर नहीं है। इसका कोई विवरण तहसील में प्राप्त नहीं है। प्रमाणित रूप से कागजात में के0 सी0 मित्तल के नाम में दर्ज है। चकबन्दी का मुकदमा चला था कुछ लोगों ने एतराज किया था चकबन्दी अधिकारी ने उसको निरस्त किया और के0 सी0 मित्तल के नाम इसको दर्ज किया है।

(श्री फखरे आलम के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

हमने इसको खत्म कर दिया है। आप अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

श्री फखरे आलम--

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी इसको खाली कराने का इन्तजाम करेंगे ? क्योंकि लिमिटेशन में इसकी अवधि अब 30 साल कर दी गई है पहले 60 साल की थी। अगर 30 साल तक रह लेंगे तो खाली नहीं होगा।

श्री बैजनाथ कुरील--

हम कैसे खाली करायेंगे। क्लब की जमीन है।

ग्राम नौवा अव्वल, तहसील सदर, गोरखपुर में हरिजनों को आवंटित भूमि का कब्जा

*2--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि ग्राम नौवा अव्वल, तहसील सदर, जिला गोरखपुर में हरिजनों को जो पट्टा मिला था उस भूमि पर कब्जा न

मिलने के विरोध म 20 जुलाई, 1978 को जिलाधीश, गोरखपुर के कार्यालय के सामने जन प्रतिनिधियों ने अनशन किया था, जिसे तत्कालीन जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद समाप्त किया गया ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त गांव के हरिजनों को अब तक उनके लिए आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं मिला ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सरजू प्रसाद सरोज—

20 जुलाई, 1978 को जन प्रतिनिधियों द्वारा ग्राम नौवा अव्वल तहसील सदर, गोरखपुर में हरिजनों को आवंटित भूमि का कब्जा उन्हें न मिलने के सम्बन्ध में अनशन किये जाने की सूचना उपलब्ध नहीं हो रही है ।

उक्त ग्राम को 20 एकड़ ग्राम सभा भूमि के आवंटन का प्रस्ताव भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा पारित किया गया था तथा परगनाधिकारी की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था किन्तु उक्त भूमि के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सका । विवाद निस्तारण करके आवश्यक अग्रिम कार्यवाही के निदेश भेज दिये गये हैं ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रस्ताव बना था वह हरिजनों को आवंटित करने के लिए भेजा गया था उसके बाद विवाद किस आधार पर खड़ा हुआ और किसने खड़ा किया ?

राजस्व मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील)—

यह आवंटन का एक प्रस्ताव हुआ था । जब एस० डी० ओ० के पास स्वीकृत के लिए गया उस बीच जिलाधिकारी के यहां कुछ लोगों ने शिकायत किया और इतना ज्यादा विवाद हुआ कि यह महसूस किया गया कि इस काम को बन्द कर दिया जाय क्योंकि शान्ति भंग का खतरा था । अब शासन ने यह आदेश भेजा है कि इस विवाद का निस्तारण करके उस जमीन को वितरित किया जाय । इसमें 20 एकड़ हरिजनों के लिये था और कुछ अन्य लोगों के लिये हैं । कुल 36 एकड़ जमीन है, 89 आदमियों में इसको वितरित करना है ।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि मन्त्री जी ने अभी बताया है कि विवाद है तो वह विवाद हरिजनों ने उत्पन्न किया है या किसी अन्य वर्ग ने ? दूसरे, जिलाधिकारी के पास शिकायतें गयी हैं जिससे एस० डी० एम० ने कार्यवाही रोक दिया है, तो वह शिकायतें क्या हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, जमीन मिली नहीं बल्कि प्रस्तावित हुई थी आवंटन के लिये और पट्टे नहीं बने थे । प्रस्ताव स्वीकार हो जाता तो पट्टे बनते और इसलिये विवाद था किस बात को लेकर विवाद हुआ, उसकी जानकारी नहीं है । लेकिन यह आया है कि जिलाधिकारी के यहां शिकायत की गयी है कि भूमि आवंटन से शान्ति भंग होने की आशंका है इसलिये काम बन्द कर दें ।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 2 श्री फिरंगी प्रसाद विशारद की रुचि पर लिया गया ।

श्री फिरंगी प्रसाद दिशारद--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं और उनको सूचना के लिये बताना चाहता हूं कि वहां पासी विकास खंड के छेदी लाल, जो जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आमरण अनशन किया था, मैं वहां से विधायक रह चुका हूं इसलिये जानता हूं। जो विवाद था उसके सम्बन्ध में 15-20 लोग मिले तो फोटोस्टेट कापी, जो चकबन्दी में पर्चे दिये जाते हैं उनको, कराकर भेजा था, तो क्या मन्त्री जी जांच करायेंगे कि पट्टे मिल जाने के बाद, उन पर किसी व्यक्ति ने एतराज किया और वह केवल हरिजनों को उलझाने के लिये किया गया है, इसकी जांच करायेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, पट्टे नहीं हुये थे, प्रस्ताव हुआ था। माननीय सदस्य कहते है कि पट्टे भी हुये हैं, लेकिन आदेश गये हैं कि कोई विवाद है तो उसका तुरन्त निस्तारण करके भूमि का आवंटन कर दिया जाय, यदि देर होती है तो दुबारा फिर आदेश भेजे जायेंगे।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

जिलाधिकारी ने लिखा है कि शान्ति भंग की आशंका है तो इसके क्या कारण लिखे हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, इस बिन्दु की सूचना नहीं है, जैसा कि पहले ही मैंने बताया है।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि इस 36 एकड़ जमीन के ऊपर प्रभावशाली लोगों का पहले से ही कब्जा है। लेकिन जब आपके कार्यक्रम के मुताबिक काम हुआ तो उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस तरीके की रिपोर्ट लिखाई की शान्ति भंग की आशंका है। इसलिये यह काम न किया जाय। अतः क्या मन्त्री जी 20 सूत्री कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुये किसी निश्चित अवधि के अन्दर 15 दिन या 1 महीने में, उस जमीन के पट्टे कराकर हरिजनों को कब्जा दिला देंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, मैं अवधि तो नहीं दे पाऊंगा लेकिन शीघ् से शीघ्र इस कार्य को पूर्ण करा दूंगा।

ग्राम घुरदा, तप्पा बनगवा, परगना अमोदा, जिला बस्ती की जमीन गाटा संख्या 188 पर चकबन्दी के समय अनधिकृत रूप से कब्जे को बेदखली

*3--श्री रियासत हुसैन--

क्या राजस्व मंत्री को विदित है कि ग्राम घुरदा, तप्पा बनगवा, परगना अमोदा, तहसील हरैया, जिला बस्ती की जमीन खसरा नं0 188, खतौनी नं0 152 की बंजर भूमि जमीन चकबन्दी के समय अनधिकृत रूप से कब्जे से बदखल की गयी है ? क्या यह सही है कि उस बंजर भूमि पर गांव के भूतपूर्व जमीन्दार

और कुछ बड़े काश्तकार लोगों ने कब्जा कर लिया ह ? जिनका अभी तक कब्जा नहीं हटाया जा सकता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सरजू प्रसाद सरोज--

आधार वर्ष, खतौनी में खाता नं0 152 गाटा संख्या, 188 जंगल के नाम अंकित था । मुनेश्वर का कब्जा एवं नाम 3 बीघे 14 बिस्वा पर पाया गया जिनका नाम चकबन्दी अधिकारी ने बतौर भूमिधर अंकित किये जाने का आदेश किया है । मुनेश्वर जमींदार नहीं थे । शेष भूमि पर किसी अन्य ने कब्जा नहीं किया है । मुनेश्वर का नाम लिखने के चकबन्दी अधिकारी के आदेश के खिलाफ उप संचालक, चकबन्दी के समक्ष निगरानी विचाराधीन है । गाटा संख्या 188 के शेष रकबे पर पड़ताल के समय पाये गये अन्य लोगों के कब्जे व नाम खारिज किये गये थे ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जैसा कि अभी बतलाया कि गाटा संख्या 188 जंगल विभाग के नाम प्रस्तावित था तो क्या उसी पर मुनेश्वर के नाम 3 बीघ और 14 बिस्वा का उसे भूमिधर बनाया गया ? और यदि हां, तो उसका उस पर कितने दिनों का कब्जा लिखा कर उसे भूमिधर बनाया गया है ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)--

चकबन्दी की प्रक्रिया में उसका नाम भूमिधरी में आया है ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिसके नाम के भूमिधर बनाने के आदेश दिये गये कि 3 बीघा 14 बिस्वा का उसे भूमिधर बनाया जाय तो वह जमीन तो जंगल विभाग की आपके रिकार्ड के मुताबिक है । तो जो जंगल विभाग की जमीन थी तो उसे उसी भूमि पर भूमिधर डिक्लेयर किया गया होगा और यदि उसी पर डिक्लेयर किया तो कब से और उसका कब्जा कब से दिखा कर उसका लगान बांधा गया ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, यह सही है कि यह जंगल विभाग की जमीन थी । ए0 सी0 ओ0 ने उसे खारिज किया और कहा है कि यह जंगल विभाग की जमीन है, इसे जंगल विभाग में ही रहना चाहिये । बाकी लोगों ने आपत्ति नहीं की परन्तु श्री मुनेश्वर ने आपत्ति की । इसलिए अधिकारी ने उसकी आपत्ति पर इनका नाम सीरदारी में करने के आदेश दे दिये । वैसे उनका नाम उस जमीन पर सीरदारी के लिए प्रस्तावित नहीं होना चाहिये था । तो अब गवर्नमेंट की तरफ से आपत्ति है, यह बात निगाह में है ।

[शुक्रवार दिनांक 12 मार्च, 1982 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न ।]

तहसीलदार ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद) के अन्तर्गत तकावी तथा सीमेन्ट के वितरण में भारी घोटाले के सम्बन्ध में शिकायत

*1--श्री रियासत हुसैन तथा श्री अकबर हुसैन--

क्या राजस्व मंत्री को विदित है कि सी0 पी0 आई0 ठाकुरद्वारा, जनपद मुरादाबाद में दिनांक 16 सितम्बर, 1981 को ऐक्ट 12 के अन्तर्गत तकावी वितरण

तथा सीमेन्ट के वितरण में भारी घोटाले के सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा ठाकुरद्वारा के विरुद्ध दरख्वास्त दी थी जिसकी जांच एस0डी0एम0, ठाकुरद्वारा द्वारा करायी गयी और उसमें स्पष्ट रूप से तहसीलदार के विरुद्ध एस0 डी0 एम0 ठाकुरद्वारा ने यह संस्तुति की कि इस तहसीलदार का तुरन्त मुरादाबाद से बाहर तबादला कर दिया जाय ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सरजू प्रसाद सरोज---

जी हां। यह सत्य है कि सी0 पी0 आई0 ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद) द्वारा तहसीलदार, ठाकुरद्वारा के विरुद्ध 16 सितम्बर, 1981 को शिकायती-पत्र दिया गया है। इस शिकायती-पत्र में केवल तकाबी वितरण में अनियमितताओं की ही शिकायत है और सीमेन्ट वितरण में घोटाले का उल्लेख नहीं है। एस0 डी0 एम0, ठाकुरद्वारा ने संस्तुति की थी कि निष्पक्ष जांच हेतु श्री छंगामल जैन, तहसीलदार तथा श्री गोपी चन्द्र जैन, रजिस्ट्रार कानूनगो का स्थानान्तरण कर दिया जाय अथवा जांच किसी अन्य अधिकारी से करायी जाय। जिलाधिकारी, मुरादाबाद ने श्री गोपी चन्द्र जैन, रजिस्ट्रार कानूनगो को तहसील अमरोहा में स्थानान्तरित कर दिया है। तहसीलदार के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा यह जांच किसी अन्य अधिकारी को सौंपी जा रही है।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, एस0 डी0 एम0 महोदय ने जो जांच की तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितनी तकाबी के बारे में लिखा था तहसीलदार ने कि फर्जी तौर से इसका वितरण किया गया है ?

श्री बैजनाथ कुरील---

यह तकावी लगभग एक लाख रुपये की है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

जब रिपोर्ट आ गई कि एक लाख रुपये से अधिक का घपला है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील---

एक लाख रुपये का घपला नहीं है। जो तकाबी बांटी गई उसमें शिकायत की गई है कि इसमें कमीशन उन्होंने लिया है और इसकी जांच अब भी चल रही है। एस0 डी0 ओ0 ने गोपनीय रिपोर्ट दी थी कि जांच के लिए इनको यहां से हटा दिया जाना चाहिये। आयुक्त को लिखा कि ट्रांस्फर कर दें तो उन्होंने कहा कि मध्य सत्र है इसलिए अभी नहीं करेंगे। जब इसकी संस्तुति हमारे यहां आयी तो तुरन्त उनको हटाने के आदेश कर दिये गये हैं।

श्री हुकम सिंह---

अन्तरिम रिपोर्ट में कोई फाइंडिंग दी गई है कि इन्होंने कमीशन लिया है ?

श्री बैजनाथ कुरील---

अभी तो जांच पूरी नहीं हुई है, उन्होंने संस्तुति की थी कि इनको हटाने के बाद ही जांच हो सकती है।

श्री रियासत हुसैन--

तहसीलदार साहब का होम डिस्ट्रिक्ट भी मुरादाबाद है और वहीं वे पोस्टेड हैं । इस आधार पर, उन्होंने जो एक लाख रुपये का घोटाला किया है अपने कमरे में बैठ कर तकावी का बंटवारा किया है तो ट्रान्सफर के अलावा कोई कार्यवाही उनके खिलाफ की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ट्रांस्फर के बाद जांच होगी और अगर दोषी पाये जायेंगे तो कार्यवाही होगी ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

जांचकर्ता ने कब लिखा था हटाने के लिए और अब तक क्यों नहीं हटाया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील--

12-10-81 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी आर० एस० गुप्ता ने । चूंकि आयुक्त नहीं माने इसलिए देर हुई । अब जब यह शासन स्तर पर आया है तो तुरन्त उनको हटा कर जांच अतिरिक्त जिलाधिकारी के सुपुर्द कर दी गई है ।

लोकदल के श्री मिश्रीलाल निषाद द्वारा तहसील फरेन्दा कार्यालय में बाढ़ एवं अन्य विषयक मांगों को लेकर अनशन

*2--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील फरेंदा के तहसील गेट पर बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को लेकर श्री मिश्रीलाल, उपाध्यक्ष, लोकदल गोरखपुर पूर्व सूचना अनुसार दिनांक 24-11-81 से आमरण अनशन पर चल रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी मांगों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सरजू प्रसाद सरोज--

लोकदल के श्री मिश्रीलाल निषाद ने तहसील फरेन्दा से सम्बन्धित बाढ़ एवं अन्य विषयक मांगों को लेकर दिनांक 24-11-81 को तहसील कार्यालय, फरेन्दा के सामने अनशन प्रारम्भ किया था तथा दिनांक 30-11-81 को इस आश्वासन पर कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा तथा उनकी मांगों को उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दिया जायगा, उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया ।

श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद--

जो मांगें बाढ़ पीड़ितों की थीं उनमें कौन-कौन शासन ने मान ली हैं और किन मांगों पर विचार चल रहा है ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

12 मांगे थीं । तहसील फरेन्दा को अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित किया जाय। इस सम्बन्ध में किसी स्थान को अकाल पीड़ित क्षेत्र नहीं घोषित किया जाता है बल्कि राहत कार्य पहुंचाया जाता है ।

(2) बीज और खाद्य किसानों को तुरन्त दिया जाय । बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के बच्चों की फीस माफ किया जाय ।

सभी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बच्चों की फीस माफी के आदेश शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत किये गये और कृषि विभाग द्वारा बीज व खाद्य की व्यवस्था की गयी ।

(3) बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के ग्राम को 7 फीट ऊंचा कराने का कार्य तुरन्त प्रारम्भ किया जाय ।

यथा आवश्यक प्रभावित ग्रामों के आबादी स्थान ऊंचा करने की एक योजना ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत प्रारम्भ कर दी गयी है । परन्तु किसी भी ग्राम में यह कदम पर्याप्त जांच के बाद ही लेना उचित है अन्यथा नदी की धारा का रुख बदलने और फलस्वरूप अन्य ग्रामों की आबादी व भूमि कटने का खतरा पैदा हो सकता है ।

(4) बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के किसानों, असहायों को, भूख से तड़पने वालों को मुफ्त राशन बांटने का कार्यक्रम तुरन्त चालू किया जाय ।

सभी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में यह कार्य यथा आवश्यक कराया गया । भुखमरी से किसी की मृत्यु नहीं हुई ।

(5) नदी के कटान क्षेत्र के गांव जैसे कि कोमर, चीला, चकदह, भुजौली, कोनो, बेहलवा, आदि गांव के किसानों को ऊंचे स्थान पर बसाया जाय ।

परगनाधिकारी तथा तहसीलदार द्वारा जांच करायी जा रही है आगे अन्य विभागों से सम्बन्धित हैं जिनका जवाब दे दिया गया है । उन पर तुरन्त कार्य-वाही की जायेगी ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

माननीय मन्त्री जी ने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि कार्यवाही चल रही है, लेकिन मेरी जानकारी है कि आज तक वहां कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी । बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के गांवों को ऊंचा करने का कार्य तथा उनको मुख्य मार्गों से सम्पर्क स्थापित करने का भी कोई कार्य नहीं किया गया है । तो क्या माननीय मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि जो बाढ़ पीड़ित गांव हैं उनको जांच करा कर उनका सम्पर्क प्रमुख मार्ग से करायेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

यह तो सभी जानते ही हैं कि गांवों को ऊंचा कराने के लिये एक टेक्निकल कमेटी बनी हुई है जो यह देखती है कि किस गांव को ऊंचा करना जरूरी है । क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि नदी के किनारे को ऊंचा कराने से नदी दूसरे किनारे की तरफ आकृष्ट हो जाती है जिससे और दिक्कत पैदा हो जाती है । इसलिये टेक्निकल कमेटी सारी बातों को देख कर ही गांवों को ऊंचा कराने का कार्य करती है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

बाढ़ के समय जो घर गिर गये थे, अभी तक लोगों को घर गिराई का पैसा भी सरकार की तरफ से नहीं बांटा गया है । इस बात को दृष्टि में रखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी घर गिराई का पैसा विभाग की तरफ से तुरन्त दिलवाने की कृपा करेंगे ? क्या ऐसे लोगों की कोई सूची भी आपके पास उपलब्ध है और उसके अनुसार आप उनको आर्थिक सहायता दिलवायेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

वहां राहत कार्य तो हो रहा है । जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं वहां के लोगों को सहायता दी गयी है । इस वक्त कोई सूची मेरे पास उपलब्ध नहीं है ।

आपातकालीन आपूर्ति समझौते के अन्तर्गत हिन्डालको को विद्युत् आपूर्ति

*3—श्री बलवीर सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बतायेंगे कि ग्रामीण अंचलों में किसानों को कृषि उत्पादन कार्य हेतु 5–6 घंटे बिजली दी जाती है जबकि बिरला की हिन्डालको को 35 से 70 मेगावाट तक प्रतिदिन बिजली दी जाती है और शहरों में भी 20 से 24 घंटे तक बिजली दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सच है कि सामान्य आपूर्ति के अतिरिक्त 35 से 70 मेगावाट अनुबंध खत्म होने के बाद भी आपातकालीन प्रयोग की 60 मेगावाट बिजली हिन्डालको को दी जाती है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

यह सही है कि ग्रामीण अंचलों को आजकल 5 घंटे प्रतिदिन विद्युत् आपूर्ति की जा रही है जबकि शहरी क्षेत्रों जैसे कारपोरेशन शहर, विशेष श्रेणी वाले शहरों तथा जिला मुख्यालय व प्रथम श्रेणी वाले शहरों को क्रमशः 22 घंटे, 20 घंटे व 19 घंटे विद्युत् आपूर्ति की व्यवस्था है । हिन्डालको को आजकल प्रतिदिन केवल 10 मेगावाट सामान्य आपूर्ति की जा रही है तथा इसके अतिरिक्त आपातकालीन प्रयोग के लिये कभी–कभी अधिक से अधिक 60 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति की जाती है । यह आपूर्ति आपातकालीन आपूर्ति समझौते के अन्तर्गत की जाती है ।

श्री थम्मन सिंह गहलोत—

मान्यवर, पिछले कुछ समय से बराबर शासन की ओर से घोषणा की गयी है कि अनेक उद्योगों को बिजली की आपूर्ति बढ़ा दी गयी है । तो क्या कारण है कि मन्त्री जी कृषि कार्यों के लिये बिजली बढ़ाने के लिये तैयार नहीं हैं । हिन्डालको को बिजली देने के लिये जो समझौता है तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, बिजली की आपूर्ति का सवाल बिजली के उत्पादन से सम्बन्धित है । जब उत्पादन बढ़ जाता है तो कटौती कम कर दी जाती है । आजकल 15,

---

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 3 (नत्थी 'क') श्री थम्मन सिंह गहलोत ने पूछा।

16 घंटे बिजली गांवों को दी जा रही है क्योंकि कृषि कार्यों के लिये डिमांड नहीं है और उपलब्धता ज्यादा है । मान्यवर, हिण्डालको के साथ दो समझौते हैं एक तो सामान्य है जिसके अन्तर्गत 85 मेगावाट बिजली का समझौता था और इस समय 10 मेगावाट दी जा रही है । एक आपातकालीन समझौता है, जब मशीनें खराब हो जाती हैं यह उनकी मशीनें रिपेयर में होता है तो सामान्य दर से दो गुने रेट पर आपातकालीन बिजली सप्लाई की जाती है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि आपातकालीन समझौते के अन्तर्गत जो हिन्डालको को बिजली दी जाती है वह सामान्य सी बन गयी है । तो हिन्डालको को कितने दिन या कितने मेगावाट आपातकालीन बिजली दी गयी है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

आपातकालीन तो कभी सामान्य बन नहीं सकती । मैंने निवेदन किया कि जब मशीन खराब हो जाती है या रिपेयर वगैरह में उनकी मशीन होती है तो उनको बिजली दी जाती है । वह सामान्य कभी बन नहीं सकती ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, हिन्डालको को जो बिजली दी जा रही है उसके समझौते की अवधि समाप्त हो गयी है । आज भी जो बिजली दी जा रही है उसके लिये कोई तात्कालिक समझौता हुआ होगा । इस समय जो बिजली दी जा रही है उसका क्या समझौता है और किस रेट पर बिजली दी जा रही है और क्या पैसा उनके द्वारा जमा किया जा रहा है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

इस सम्बन्ध में तो बहुत विस्तृत सूचना दी जा चुकी है । सामान्य समझौते की अवधि 23 जून, 1980 को समाप्त हो गयी है । उसमें एक क्लाज यह है कि रिन्यू किया जायगा और वह दर ली जायेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश के मुताबिक हो । तो इसके अन्दर केवल उनको 10 मेगावाट बिजली दी जा रही है । लेकिन समझौता अभी रिन्यू नहीं हुआ है । जो आपातकालीन बिजली दी जाती है वह सामान्य समझौते से करीब 2 गुने रेट पर दी जाती है ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मन्त्री जी ने बताया कि इमरजेंसी सप्लाई के लिये 60 मेगावाट का फैसला है । तो यह इमरजेंसी कब से लागू है जिसके आधार पर यह 60मेगावाट दी जा रही है । अगर बीच-बीच में इमरजेंसी सप्लाई हुयी है तो किस-किस समय आपने 60 मेगावाट बिजली उनको दी है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, जब उनकी मशीन खराब हो जाती है या रिपेयर होते हैं तो हम बिजली देते हैं । कितनी बिजली दी गयी इसका कोई चार्ट यहां पूरा नहीं है । अलग से क्वेश्चन कर दें तो पूरे डटेल उपलब्ध करा दिये जायेंगे । इसमें कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, मन्त्री जी ने अजीबोगरीब उत्तर दिया था कि देहात को 15, 16 घंटे बिजली दी जा रही है । आप जानते हैं कि फसल के लिये आजकल बिजली की जरूरत नहीं है । तो मैं जानना चाहूंगा कि देहात को हमेशा क्या 15, 16 घंटे बिजली देने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, इस समय जो बिजली उत्पादन की स्थिति है और हमारी जो क्षमता है, उसमें यह सम्भव नहीं है, फिर भी ज्यादा से ज्यादा बिजली देने का प्रयास किया जायेगा ।

*4--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल तथा श्री राम आसरे वर्मा--

[12-2-82 को तारांकित प्रश्न संख्या-16 द्वारा उत्तरित ।]

पारीसा तापीय परियोजना, झांसी के अन्तर्गत कार्यों में अनियमितताएं एवं भुगतान में लाखों रुपए का घोटाला के सम्बन्ध में पत्र

*5--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या ऊर्जा मंत्री को पारीसा तापीय परियोजना झांसी के अन्तर्गत हुए कार्यों में अनेक अनियमितताओं एवं निर्माण कार्य में हुए भुगतानों में लाखों रुपयों के घोटालों के सम्बन्ध मे कोई पत्र दिनांक 2 अगस्त, 1981 को झांसी के विधायक का प्राप्त हुआ था ? क्या सरकार द्वारा उक्त घोटालों की जांच कराई गई ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, कृपया आप प्रश्न और उसके उत्तर को देखने की कृपा करें । प्रश्न यह है कि क्या पारीसा तापीय परियोजना झांसी के अन्तर्गत हुए कार्यों में अनेक अनियमितताओं एवं निर्माण कार्यों मे हुए भुगतानों में लाखों रुपए के घोटालों, के सम्बन्ध मे कोई पत्र दिनांक 2 अगस्त, 1981 को झांसी के विधायक का माननीय मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? तो मान्यवर, इसमें सूचना एकत्रित करने की क्या बात है ?

श्री रियासत हुसैन--

पत्र ही तो ढूढ़ रहे होंगे अभी वह मिला नहीं होगा ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जो माननीय सदस्य ने पत्र लिखा था, वह उन्हें मिला या नहीं मिला, इसका उत्तर देने में माननीय मंत्री जी को क्या आपत्ति है ? और उस पत्र में मुख्य-मुख्य आरोप क्या लगाये गए थे, कृपया मंत्री जी यही बता दें ?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 5 (नत्थी ख) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने पूछा।

श्री ब्रहम दत्त—

मान्यवर, उस पत्र को ही हम खोज रहे हैं। यदि वहो उपलब्ध हो गया होता तो हम उसका उत्तर न दे दिए होते।

ग्राम भरथापुर, जनपद बहराइच में बाढ़ एवं जलप्लावन से क्षति तथा वितरित की गयी बाढ़ राहत सामग्री

*6—श्री जटाशंकर सिंह—(अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जून, 1980 से 1 सितम्बर, 1981 के मध्य ग्राम भरथापुर परगना धरमापुर, तहसील नानपारा, जनपद बहराइच की आबादी नदियों की कटान से कटने की सूचना देते हुए ग्राम को अन्य सुरक्षित स्थान पर बसाए जाने की मांग से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता के चार पत्र जिलाधिकारी, बहराइच को विभिन्न तिथियों में प्राप्त हुए? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्नकर्ता का केवल एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 26-10-81 को प्राप्त हुआ। जांचोपरान्त यह पाया गया कि ग्राम भरथापुर, परगना धर्मापुर, तहसील नानपारा का आबादी क्षेत्र न तो वर्ष 1980 में और न ही 1981 की बाढ़ में नदी की कटान से कटा है। यह ग्राम केवल बाढ़ एवं जलप्लान से प्रभावित था और यथासमय उक्त ग्राम में बाढ़ राहत सामग्री बांटी गयी।

बदायूं जनपद में उपभोक्ताओं पर विद्युत की बकाया धनराशि

*7—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जनपद में 1 जनवरी, 1982 को विद्युत के ऐसे कितने उपभोक्ता हैं जिन पर 1 लाख रुपये से अधिक बकाया है एवं शासन से उनके विरुद्ध बकाया धन वसूलने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री ब्रहम दत्त—

बदायूं जनपद में 1 जनवरी, 1982 को ऐसे तीन उपभोक्ता थे जिनके विरुद्ध प्रत्येक पर 1 लाख रु0 से अधिक बकाया है सम्बन्धित कुल बकाया धनराशि 6·74 लाख रु0 है, में से 0·68 लाख रु0 का भुगतान बकायेदार उपभोक्ताओं द्वारा माह जनवरी 1982 में कर दिया गया है। शेष 6·06 लाख रु0 विद्युत् देयों की वसूली का मामला न्यायालय/पंचनिर्णय में विचाराधीन है अथवा वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में लिखा है कि शेष 6·06 लाख रुपया विद्युत् देयों की वसूली का मामला न्यायालय/पंच निर्णय में विचाराधीन है अथवा वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। तो क्या माननीय मंत्री जी जरा इसको स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि वे कौन-कौन मामले हैं जिनके ऊपर

रिकवरी सर्टीफिकेट जारी किए गए ? वह कौन-कौन लोग ह जिनके मामले में पंचनिर्णय या न्यायालय में मामला विचाराधीन है तथा वह रकम क्या है ? इसी सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन पर रिकवरी सर्टीफिकेट्स जारी हुए हैं उनसे वसूली में क्या प्रगति हुई है, उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? जो मामले न्यायालय में या पंचनिर्णय में नहीं हैं और जिन पर स्थगन आदेश नहीं हैं उनमें रिकवरी सर्टीफिकेट्स जारी हुए हैं या नहीं ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जहां तक प्रगति का सवाल है मैंने निवेदन कर दिया है कि 68 हजार रु का भुगतान हुआ है । वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने का जहां तक सवाल है वह भी जारी किए गए हैं । मान्यवर, एक जी0 टी0 इंडस्ट्रीज, जी0 टी0 हाउस, उझानी, बदायूं हैं उनके सम्बन्ध में चार सूचनाएं हैं ।

1—वाद संख्या 28/73 में न्यायालय, सिविल जज, बदायूं द्वारा 2-4-73 को कनेक्शन न काटने हेतु आदेश दिए गए ।

2—वाद संख्या 17/79 में न्यायालय, सिविल जज, बदायूं 13-2-79 को कनेक्शन न काटने एवं वसूली न करने के आदेश दिए गए ।

3—वाद संख्या 77/81 के अन्तर्गत 16,000 फ्यूल सरचार्ज से सम्बन्धित है । फ्यूल सरचार्ज के अतिरिक्त बिल की धनराशि उपभोक्ता द्वारा जमा की जा रही है । फ्यूल सरचार्ज वाद संख्या 28/73 एवं 17/76 में विवाद ग्रस्त है जिन पर न्यायालय द्वारा कनेक्शन न काटने के आदेश दिए जा चुके हैं । वसूली की कार्यवाही कानूनी राय के अनुसार की जा रही है ।

4—वाद संख्या 24/75 में न्यायालय सिविल जज बदायूं ने कनेक्शन काटने से मना किया यदि उपभोक्ता नए टैरिफ के अनुसार वास्तविक उपभोग का बिल जमा करता रहे । यह उपभोक्ता कर रहा है । वाद संख्या 24/75 में निर्णय हो चुका है, पर कानूनी राय के अनुसार वाद संख्या 28/73 एवं 17/79 में दिए गए आदेशों के आधार पर कनेक्शन नहीं काटा जा सकता ।

जी0 टी0 कोल्ड स्टोरेज, उझानी, बदायूं—

वाद संख्या 15/75 में सिविल जज ने कनेक्शन न काटने और वास्तविक उपभोग के अलावा धन न लेने के आदेश पारित किए । इसमें उपभोग का धन जमा किया जा रहा है । हाईकोट में अपील की गई है । चूंकि पहले से स्टे आर्डर है इसलिए कनेक्शन नहीं काटा जा रहा है और रिकवरी भी नहीं भेजी जा सकती है ।

वाद संख्या 78/81 के अन्तर्गत 10,000 रु0 फ्यूल सरचार्ज से सम्बन्धित है । फ्यूल सरचार्ज के अतिरिक्त बिल की धनराशि का भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जा रहा है । फ्यूल सरचार्ज वाद संख्या 15/75 में विवादग्रस्त है । अतः कनेक्शन काटने की कार्यवाही कानूनी राय के अनुसार नहीं की जा सकी । कानूनी राय के अनुसार 0·52 लाख की धनराशि पर वाद संख्या 15/75 में कनेक्शन न काटने के आदेश के अनुसार कनेक्शन नहीं काटा जा सकता । यह न्यायालय के आदेश हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, मैंने उनके नाम जानने चाहे थे जिनके नाम वसूली के प्रमाण–पत्र जारी किए गए, उनके नाम नहीं बताए गए। जिनके भी नाम बताये गए हैं वह सब करीब–करीब एक ही संस्था के नाम हैं और वह बार–बार किसी न किसी बहाने से कोर्ट में जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि जिनके नाम रिकवरी जारी हुई है जिसका स्टे नहीं हुआ है उनके क्या नाम हैं? उनकी वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है? क्या भू–राजस्व के रूप में वसूली की गई है, क्या उनको हवालात में भेजा गया है? जो चार वाद हैं जिनमें स्टे है वह कनेक्शन न काटने के लिए है? तो उसमें वसूली न होने का क्या कारण है?

श्री ब्रह्म दत्त––

यह उत्तर में कहा जा चुका है कि वसूली के प्रमाण–पत्र जारी कर दिए हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो चाहेगा करेगा। मैंने उपभोक्ता का नाम बताया। जी० टी० इंडस्ट्रीज और जी० टी० कोल्ड स्टोरेज

(व्यवधान)

माननीय सदस्य बड़े विद्वान और पुराने सदस्य हैं वह जानते हैं उपभोक्ता वही होता है जिसके नाम एग्रीमेन्ट हुआ है।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मंत्री जी ने जी० टी० इंडस्ट्रीज और जी० टी० कोल्ड स्टोरेज का नाम बताया जिसके नाम रिकवरी सर्टीफिकेट जारी हुए हैं मैं जानना चाहता हूं उसमें किसी एम० डी० या मैनेजर का नाम अंकित होगा। तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उसमें डाइरेक्टली या इन्डायरेक्टली उनके मंत्रिपरिषद् के किसी सदस्य का ताल्लुक है या नहीं?

श्री ब्रह्मदत्त ––

मैं यह निवेदन कर चुका हूं कि हमारे पास उपभोक्ता का नाम होता है, जिसके नाम एग्रीमेन्ट होता है। उसके आगे की सूचना नहीं होती है कि कौन पार्टनर है या और क्या है। हम इस डिटेल में नहीं जाते हैं।

श्री रियासत हुसैन––

उसमें किसी के सिग्नेचर हुए होंगे। उस इंस्ट्रीयूशन के लिए किसी पर्सन के दस्तखत होंगे उसमें। किसी आदमी ने आन बिहाफ आफ दैट इंस्ट्रीयूशन अपने सिग्नेचर किए होंगे, यह बता दें। तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जी० टी० इंडस्ट्रीज और जी० टी० कोल्ड स्टोरेज के बिहाफ पर किसके सिग्नेचर हैं और किसी ने जिम्मेदारी ली होगी ऐज के पर्सन नाट ऐट ए इंस्ट्रीयूशन?

श्री ब्रह्मदत्त––

यह तो मेरे पास सूचना नहीं है कि किसने किया है, लेकिन किसी मैनेजर ने किया होगा। फिर भी जहां तक मेरी जानकारी है मंत्रिमंडल के किसी सदस्य ने नहीं किया है।

श्री रियासत हुसैन--

जब यह जानकारी है तो मंत्री जी को यह भी जरूर जानकारी होगी कि वह कौन हैं उस पर किसके दस्तखत हैं ? उनको कैसे जानकारी हो गई कि किसी मंत्री से उसका सम्बन्ध नहीं है ?

श्री ब्रह्मदत्त --

हमारी अपनी जानकारी है कि मंत्रिमंडल के किसी सदस्य के उसमें दस्तखत नहीं हैं ।

श्री हुकम सिंह--

इसमें तो कुछ लाख का ही मामला है, लेकिन मंत्रि-परिषद् में ऐसे-ऐसे भी कई मंत्री हैं जिन पर 40-40 लाख रुपये का बकाया है । तो इस जी० टी० उद्योग की ओर से अनुबन्ध पर दस्तखत किसके हैं ? और क्या मेरी इस जानकारी को सही मानकर कि जी० टी० उद्योग आपके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य श्री श्रीकृष्ण गोयल से सम्बन्धित है, आप पुनः सारी बातों की जांच करायेंगे कि आपने जो रिकवरी सार्टीफिकेट जारी किए हैं वह हमेशा-हमेशा के लिए निष्प्रभावी रहेंगे और डी० एस० आदि उसमें कोई कार्यवाही नहीं कर पायेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त --

मैंने निवेदन किया कि अनुबन्ध की कापी मेरे पास नहीं है। यह विश्वास दिलाना चाहता हूं । लेकिन उस पर किसके दस्तखत हैं इसका महत्व नहीं है । इसमें जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी वह अमल में लाई जाएगी, वह चाहे कोई भी हो । मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को भी कोई छूट नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन--

आन बिहाफ आफ दैट इंस्ट्रोयूशन जिस आदमी ने दस्तखत किए हैं, उसका नाम मंत्री जी नहीं बतला रहे हैं, यह कैसे हो सकता है कि इन्हें ना मालूम हो.... (उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं बुलाया गया ।)

श्री रामस्वरूप वर्मा--

मंत्री जी ने रिकवरी सार्टीफिकेट जारी करने की बात बताई है, तो किन लोगों के खिलाफ यह जारी किए गए हैं और कब किए गए हैं ? और अब तक अचल सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही की गई है या नहीं ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जितना रुपया वसूल हो चुका है वह मैं बता चुका हूं । रिकवरी सार्टी-फिकेट के बाद में क्या प्रगति हुई, उसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

कारखाना कानून के अन्तर्गत ज्वायन्ट स्टाफ कम्पनी अपना कोई नामिनी करती है उसको डील करने के लिए, तो इस सम्बन्धित संस्थान में नामिनी कौन है ? और जिला अधिकारी को जो रिकवरी सार्टीफिकेट दिए गए हैं, उसको परस्यू

करने के लिए विभाग की ओर से कोई अधिकारी या कर्मचारी होंगे तो उन्होंने उनके साथ सम्पर्क करके त्वरित कार्यवाही कराने की दिशा में क्या कोशिश की है, क्या कार्यवाही की है ?

श्री ब्रह्मदत्त --

जो हमारे स्थानीय अधिकारी हैं वह परस्यू करते हैं और जो मुकदमा है उसमें हमारे कौंसिल, श्री एच0 के0 रेन्डर उसको देखते हैं ।

घुघली चीनी मिल तथा रिसीवरशिप के अन्तर्गत चल रही अन्य चीनी मिलों को उ0 प्र0 राज्य चीनी विभाग को स्थानान्तरित करने पर विचार

*8-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासकीय आदाता (रिसीवर) के नियंत्रण में चलने वाली पंजाब शुगर मिल, धुघली (गोरखपुर) को उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम को स्थानान्तरित करने हेतु शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या अंतिम निर्णय इसी पेराई सत्र में हो जायेगा ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)--

जी नहीं ।

धुघली चीनी मिल तथा रिसीवरशिप के अन्तर्गत चल रही अन्य चीनी मिलों को भावी प्रबन्ध व्यवस्था पर सक्रिय विचार किया जा रहा है और उस परिपेक्ष्य में यथासमय इस मिल के सम्बन्ध में भी उचित निर्णय लिया जा सकेगा ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसे कि वहां के विधायक माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा ने प्रश्न किया, उसका सम्बन्ध मेरे क्षेत्र से भी है कि वहां पर कौन-कौन सी बातें हैं जिन पर विचार चल रहा है चीनी उद्योग को लगाने के लिए ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मान्यवर, इसमें दो-तीन बातें हैं जिन पर चीनी मिल तथा रिसीवरशिप के अन्तर्गत विचार हो रहा है कि इसे सरकार को नीलाम कर दें या फिर इसे पुरानी मिलों को ही वापस कर दें । इस पर मंत्रि परिषद विचार करेगा और उसके निर्णय के बाद जो भी आवश्यक कार्यवाही इस दिशा में होगी, वह की जायेगी ।

*9-श्री सूबेदार सिंह तथा श्री राम हर्ष राय--

[29वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 8 नत्थी (ख) श्री फिरंगी प्रसाद विशारद ने पूछा ।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम कनैला करनहट का नाम महापंडित राहुल सांकृत्यायन रखने हेतु पत्र

*10--श्री दूधनाथ राजभर--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खन्ड जहानागंज स्थित ग्राम कनैला करनहट का नाम महापंडित राहुल सांकृत्यायन के नाम पर रखने हेतु प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 18-12-81 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री सरजू प्रसाद सरोज--

जी हां ।

प्रस्ताव का परीक्षण भारत सरकार द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर कराया जा रहा है ।

श्री दूधनाथ राजभर--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह परीक्षण का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जल्दी ही हो जाएगा । 27 फरवरी को स्मृतिपत्र (रिमाइंडर) भेजा गया है । जिले से आख्या आने पर भारत सरकार को भेजा जाएगा और वहां से संस्तुति मिलने पर ही नाम में परिवर्तन किया जाएगा ।

श्री पंचानन राय--

माननीय, कौन-कौन से मानक निर्धारित किए गए हैं, जिनका परीक्षण हो रहा है ।

श्री बैजनाथ कुरील--

ये 4-5 मानक हैं जो इस प्रकार हैं :

(1) चूंकि जनता ग्रामों के वर्तमान नामों की अभ्यस्त हो गयी है, अतएव जब तक कि कोई ठोस कारण न हों, पुराने नामों को न बदला जाय क्योंकि इससे जनता को असुविधा होगी ।

(2) ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि वाले ग्रामों के नामों में परिवर्तन न किया जाय ।

(3) स्थानीय देशभक्ति, भाषा इत्यादि के आधार पर नाम परिवर्तन नहीं करना चाहिए ।

(4) स्थानीय भावनाओं को तुष्टि के लिए ग्रामों के नाम बदल कर राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर नहीं रखना चाहिए ।

(5) ग्रामों के नाम-परिवर्तन करते समय यह भी देखना होगा कि इस नाम का गांव आस पास कोई और तो नहीं है जिसके कारण कन्फ्यूजन (गलतफैहमी) पैदा हो ।

उप विद्युत् केन्द्र, प्रतापपुर का निर्माण कार्य

*11--श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद इलाहाबाद में विकास खण्ड प्रतापपुर में उप विद्युत् केन्द्र प्रतापपुर के निर्माण का कार्य जून, 1981 में शुरू हुआ और पुनः बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? उप विद्युत् केन्द्र, प्रतापपुर का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत विकास खंड प्रतापपुर में विद्युत् उपकेन्द्र के निर्माण के लिये आवश्यक भूमि जनवरी, 1981 में ली गयी थी परन्तु विद्युत् उपकेन्द्र विशेष का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है । इसका निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप विभिन्न विद्युत् उपकेन्द्रों के निर्माण को प्राथमिकता पर निर्भर करता है ।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

मान्यवर, विकास खंड प्रतापपुर को फूलपुर से बिजली मिलती है जो काफी नहीं है जिसका नतीजा यह होता है कि ट्रिपिंग होती रहती है और वहां के किसानों को 2-2, 3-3 घंटे बिजली नहीं मिलती है । तो क्या माननीय मंत्री जी प्राथमिकता के आधार पर प्रतापपुर में उप विद्युत् केन्द्र को वर्ष 1982-83 में बनवा देंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

चेष्टा तो हम कर रहे हैं लेकिन यह हमारे वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है ।

परगना मोहम्मदपुर, भिटौली व रामनगर के ग्रामों की चकबन्दी तथा गजट में प्रकाशित न होने के कारण

*12--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत परगना मोहम्मदपुर भिटौली रामनगर व बदोसराय के 68 गांव की चकबन्दी हेतु सम्बन्धित कागजात मई जून, 1981 में गजट के वास्ते भेजे गये थे जिनका गजट अब तक न होने के कारण चकबन्दी के स्टाफ पर लगभग 50,000 रुपये प्रति मास वेतन के रूप में अनावश्यक शासन को वहन करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो गजट के अब तक न होने के कारण क्या हैं ?

श्री सरजू प्रसाद सरोज--

परगना मोहम्मदपुर, भिटौली व रामनगर के केवल 37 ग्रामों के सम्बन्ध में चकबन्दी अधिनियम की धारा 4(2) के अन्तर्गत विज्ञप्ति दिनांक 8-9-81 को अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को गजट में प्रकाशनार्थ भेजी गई है जो अभी तक अनेक अनुस्मारकों के बाद भी गजट में प्रकाशित नहीं हुई हैं । परगना बदोसराय के किसी ग्राम को चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत लेने का अभी तक कोई निर्णय नहीं है । उपरोक्त 37 ग्रामों तथा तहसील नबाबगंज

के 28 ग्रामों को चकबन्दी के लिये जो स्टाफ नियुक्त किया गया है उसके वेतन आदि पर प्रतिमास लगभग 27,000 रु० व्यय हो रहा है । इस स्टाफ को आयतन-करण कार्य का प्रशिक्षण दिया गया और उनसे तहसील नबाबगंज, फतेहपुर तथा रामस्नेहीघाट में सर्वेक्षण का कार्य कराया गया। इसी स्टाफ में से कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 1-2-82 से जनपद फैजाबाद में लेखा का पूर्ति तु लगाया गया है तथा शेष स्टाफ तहसील फतेहपुर व नबाबगंज में सर्वे का कहेय कर रहा है । इस प्रकार तैनात किये गये स्टाफ का पूर्णरूप से उपयोग किया गया है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव---

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में इस बात को स्वीकार किया है कि नोटिफिकेशन नहीं हुआ है । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिना नोटिस हुए वे कौन से कारण थे कि अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गयी ? और यदि हां, तो वह कब की गयी ? गजट के प्रकाशन न होने के क्या कारण हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील---

इसमें कुछ कमी बाकी थी । कुछ स्टाफ तो पहले से था, मई जून, 1981 से :

(1) 1 सी० आ०,

(2) 1 ए० सी० ओ०,

(3) 2 चकबन्दी कर्ता,

(4) 10 लेखपाल कार्यरत थे ।

काफी स्टाफ जो इधर उधर से ट्रान्सफर हो कर आया, जब काम शुरू होने वाला था वह 1 सी० ओ०, 5 ए० सी० ओ०, 5 चकबन्दीकर्ता, 30 लेखपाल, 30 चपरासी, ये बाहर से ट्रान्सफर होकर आये हैं ।

इन लोगों से सर्वे का काम लिया जा रहा है । इसका जो प्रकाशन नहीं हुआ, वह काम हमारे हाथ में नहीं है । 7 नवम्बर, को भी यहां से एक विशेष पत्र-वाहक द्वारा उनको स्मरण कराया गया और उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि इसका प्रकाशन तुरन्त करा दिया जायेगा । बहुत से केसेज उनके यहां पेन्डिंग हैं और वे नम्बरदार उनका प्रकाशन करते हैं, हमारी तरफ से कोई देरी नहीं हुई है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव---

दिनांक 8-9-81 को प्रकाशन के लिये भेजा गया और 5 माह से ज्यादा हो गये समय अभी तक वह नहीं हुआ और 27 हजार रुपये प्रतिमाह कर्मचारियों पर खर्च हो रहा है और मेरी सूचना यह है कि वहां पर काम कोई नहीं हो रहा है और जो यह पैसा व्यय हो रहा है वह अनावश्यक हो रहा है । तो क्या सरकार मेरी इस सूचना को सही मान कर इसकी पुनः जांच करायेगी ? और जो सूचना यह गलत दी गयी है इसके लिये दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही सरकार करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

उत्तर तो सही दिया गया है, बिलकुल गलत नहीं है । सर्वेक्षण का कार्य इन लोगों से कराया गया । जैसे ही अब गजट हो जायेगा, काम शुरू करा दिया जायेगा । इस स्टाफ से काम लिया जा रहा है, कोई खाली नहीं है । कुछ स्टाफ दूसरी जगह भी भेजा गया है । ऐसी बात नहीं है कि स्टाफ बेकार है ।

श्री फखरे आलम—

चकबन्दी कानून में यह है कि गजट 14 दिन के अन्दर हो जाना चाहिये, तो जब सितम्बर, 1981 में गजट के लिये भेजा गया तो 14 दिन के अन्दर क्यों नहीं हुआ उसका प्रकाशन ?

श्री बैजनाथ कुरील—

वहां पर इतनी लम्बी लिस्ट है कि अभी इसका नम्बर नहीं आया है । यह 14 दिन का नियम कभी रहा होगा, पर इस वक्त तो हालत यह है कि गजट छापने के लिये लाइन लगानी पड़ती है । हमने विशेष वाहक भी भेजा है । अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी प्रकाशन कर देंगे । अभी महीना दो महीना और लग जायेगा ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, चकबन्दी का नोटिफिकेशन अभी हुआ नहीं है, और स्टाफ पहुंच गया है, तो चकबन्दी से सम्बन्धित काम तो कोई हो नहीं रहा है, तो वह किस चीज का सर्वे कर रहा है ? कौन से जी० ओ० के अनुसार सर्वे का कार्य हो रहा है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, जिन गांवों का जिक्र है वे गांव छूट गये थे । उन गांवों की लिस्ट है । वहां चकबन्दी का कार्य होना है, प्रकाशन की देर है । सर्वे तो होता ही रहता है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, प्रशासनिक लाल फीताशाही के कारण यह अवैधानिक कार्य हुआ है । यह जो अवैधानिक कार्य हो रहा है इसका गलत असर प्रशासन पर पड़ रहा है । तो क्या मंत्री जी ने ऐसी किसी व्यवस्था पर विचार किया है कि यह लम्बी क्यू न लगाई जाय और सर्वे करने के बाद जब चकबन्दी आयुक्त के पास पत्रावली जाय, उसमें 14–15 दिन का समय न लगाया जाय, ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे ? मान्यवर, मंत्री जी मंत्रिमण्डल के एक वरिष्ठ सदस्य है सामाजिक जीवन इनका सराहनीय रहा है । मान्यवर, यह व्यवस्था अत्यन्त निंदनीय और शासन के लिए कलंक है । तो मैं यह मान्यवर, जानना चाहता हूं कि यह कलंकपूर्ण व्यवस्था समाप्त करके, एक अच्छी व्यवस्था कायम करने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, इस पर विचार किया जा सकता है । यह सुझाव अच्छा है ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब तक यह नोटीफिकेशन हो कर चकबन्दी का असल काम इसमें शुरू न हो जाय, उस समय तक सर्वे के बहाने से उस ग्रामीण जनता को, जो आपके चकबन्दी विभाग के अधिकारी शोषण कर रहे हैं, उनका शोषण न हो सके माननीय मंत्री जी इस बात का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, शोषण कैसा हो रहा है, इस बात को तो माननीय सदस्य ने नहीं बताया । अगर माननीय सदस्य यह समझते हैं कि यह जो काम कर रहे हैं, यह बेकार का है, तो उसी एस० ओ० सी० के अन्दर फैजाबाद भी है, इन लोगों को फैजाबाद काम करने के लिए भेज देंगे ।

उत्तर प्रदेश चकबन्दी कर्ताओं की सेवा नियमावली में आपत्तियों का निस्तारण

*13--श्रीमती गौरी देवी (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में चकबन्दी कर्ताओं की वरीयता कोटि क्रम सूची तैयार करने में उ० प्र० चकबन्दी विभाग (चकबन्दीकर्ता) सेवा नियमावली, 1973 के नियम 21 के पालन करने में अनियमितता बरती गयी है जिससे लगभग 300 चकबन्दीकर्ता पदोन्नति पाने से वंचित हो गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो मंत्री जी तैयार वरीयता कोटि-क्रम सूची की जांच करायेंगे ?

श्री बैंजनाथ कुरील--

जी नहीं ।

चकबन्दीकर्ताओं की कोटिक्रम सूची उत्तर प्रदेश चकबन्दीकर्ताओं की सेवा नियमावली 1968 के नियम 21 के अनुसार प्रकाशित की गयी है । प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करके सूची को अभी अंतिम रूप दिया जाना शेष है, अतः अनियमितता होने अथवा पदोन्नति से वंचित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सीतापुर, ग्राम सुरजन के हरिजनों का आवंटित भूमि पर अविलम्ब कब्जा दिलाने की कार्यवाही

*14--श्री लालसा (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर, तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत ग्राम सुरजनपुर के 33 हरिजनों को उन्हें 1975 में आवंटित भूमि पर अभी तक कब्जा नहीं दिलाया गया ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उक्त आवंटियों को आवंटित भूमि पर अविलम्ब कब्जा दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जिला सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के ग्राम सुरजनपुर के हरिजनों को जो भूमि पट्टे पर दी गई थी, वह जिला बाराबंकी की सीमा पर स्थित है। जिला

बाराबंकी के ग्राम किशनीपुर के काश्तकारों ने यह कहा कि उक्त भूमि उनके जिले की है, इसी सीमा की समस्या के ज्ञात होने पर उसके समाधान हेतु जिलाधिकारी बाराबंकी तथा सीतापुर को आदेश दिये गये हैं कि दोनों जिलों के परगनाधिकारी एवं तहसीलदार मौके पर संयुक्त निरीक्षण गांवों के पुराने बन्दोबस्ती रिकार्ड का दर्ज करके कर लें और यह देख लें कि विवादग्रस्त भूमि किस जनपद के क्षेत्राधिकार में है। उक्त संयुक्त निरीक्षण करने की कार्यवाही की जा रही है जिसके बाद विवाद ग्रस्त भूमि सीतापुर जिले की होने पर ही उस पर उसके आवंटियों को कब्जा दिलाया जा सकेगा।

*15--श्री गौरी शंकर भैया--

[नवें शुक्रवार के लिए स्थगित]

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा तत्काल कनेक्शन रिलीज करने की व्यवस्था

**1--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा स्वीकृत बिजली कनेक्शनों की रिलीज पर रोक लगा दी गई है? क्या यह सही है कि इस रोक से उन प्रस्तावित उद्योगों को मुख्य रूप से शीतगृह जैसे सब्जनल उद्योगों की अतीव क्षति हो रही है? यदि हां, तो उनके लिए तत्काल कनेक्शन रिलीज करने की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्म दत्त--

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा स्वीकृत विद्युत् कनेक्शनों के रिलीज पर जो रोक लगायी गयी थी उसे अब हटा लिया गया है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस बीच में रोक लगायी गयी थी तो उसी रोक के बीच उन्हीं लोगों में से कितने लोगों को कनेक्शन दिये गये यदि रोक हटायी गयी है तो इस रोक को हटाने के लिये जिला प्रशासन को इस संबंध में आदेश कब दिये गये?

श्री ब्रह्म दत्त--

माननीय, यह रोक 16-9-81 को लगाई गई थी और इस पर रोक को 6 मार्च, 1982 को हटा दिया गया है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

जिस बीच में रोक लगाई गयी है और उस बीच में गलत ढंग से उन लोगों को कनेक्शन दिये गये हैं। एक ओर तो आप रोक लगा दें और उसके बाद भी कितने लोगों को कनेक्शन दिये गये हैं?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मेरी जानकारी को सही मान कर क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि अभी तक जो कनेक्शन दिये गये हैं, वह उद्योगों के लिये नहीं दिये गये हैं और मंत्री जो कह रहे हैं कि रोक हटा ली गयी है । मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र से आ रहा हूं वहां पर उद्योग के लिये कनेक्शन न मिलने से लोग फड़फड़ा रहे हैं । तो क्या मंत्री जी उनको कनेक्शन देने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, कई दिनों से तो यह मुझे मिल रहे हैं रोज, यह क्षेत्र से कहां आ रहे हैं ?

(हंसी)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मन्त्री जी अपने उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जो रोक हटाने का आदेश दे दिया गया है, यह किन्हीं शर्तों के अधीन है या सभी प्रकार के आइटमों के लिये रोक हटा ली गयी है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, जो रोक लगाई गई थी, वह स्वीकृत कनेक्शनों के बारे में था अब स्वीकृत कनेक्शनों पर रोक नहीं लगाई जा रही है ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

जिस तरह कनेक्शनों के देने पर रोक लगायी गयी थी उसी तरह नयी लाइन बिछाने पर भी रोक लगायी गयी थी ? तो क्या जिलों में नई लाइन बिछाने के आदेश दे दिये गये हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त--

नई लाइन बिछाने पर तो कोई पाबन्दी नहीं है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी शासन से सिफारिश करेंगे कि उद्योग विभाग से लोगों ने इस पर कर्जा लिया था, कर्जा प्राप्त हो गया, रिकवरी वसूलना भी प्रारम्भ कर दी है लेकिन कनेक्शन न मिलने के कारण हजारों का उद्योग विभाग का और बैंक का कर्जा उपभोक्ता के पास पड़ा हुआ है, क्या इसके ऊपर शासन कोई कार्यवाही करेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त--

माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण बात बतायी है शासन की नीति है कि जिन्होंने बैंकों से कर्जा लेकर कनेक्शन लगाये हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर दिया जाय । इन पर से पाबन्दी हटा ली गयी है, ऐसे केसेज को मैं देख रहा हूं ।

पर्वतीय अंचल के पटवारियों की मांगें तथा शासन द्वारा निर्णय

**2--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल, श्री कुवंर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8 जनवरी, 1982 को उन्होंनें पर्वतीय अंचल के पटवारियों की एक महीने से चलती आ रही हड़ताल को 18 जनवरी, 1982 को इस आश्वासन के साथ तुड़वाई थी कि उनकी सभी मांगों को वे एक माह के अन्दर पूर्ण करवा देंगे ? यदि हां, तो शासन ने उनकी मांगों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरजू प्रसाद 'सरोज'--

पर्वतीय पटवारी संघ, कुमायूं एवं गढ़वाल मंडल के अध्यक्ष ने मुख्य मंत्री जी को हड़ताल बिनाशर्त वापस लेने के निर्णय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिस पर मुख्य मंत्री जी ने उनके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही न किये जाने तथा उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किये जाने के निर्देश दिये थे ।

उत्पीड़क कार्यवाही से बचने के लिये हड़ताली पटवारियों को हड़ताल काल में देय अवकाश की सुविधा जारी की गयी है । संघ द्वारा प्रस्तुत 27 मांगों पर शासन द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है और न्यायोचित मांगों पर शासन शीघ्र ही निर्णय लेकर संघ को अवगत करायेगा ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

माननवर, पर्वतीय क्षेत्र के पटवारियों के पास पुलिस की भी पावर्स होती हैं और वह शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी होता है । इस दिशा में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा अपने उत्तर में कहा कि 27 मांगें उनके पास मिली हैं, उन्होंने यह भी कहा कि सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं । अपने उत्तर में उन्होंने यह भी कहा कि न्यायोचित मांगों पर तत्काल कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि वह न्यायोचित मांगें कौन-कौन हैं और उन पर अविलम्ब कब तक निदेश देने की कृपा करेंगे ।

श्री बैजनाथ कुरील--

अभी तो परीक्षण हो रहा है, जो-जो उचित पायी जायेंगी उन पर कार्यवाही की जायगी । यह मैं आश्वासन देता हूं कि जल्द ही कार्यवाही की जायगी ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मैं तो माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में पूछ रहा था । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 27 मांगों पर तत्काल कार्यवाही हो रही है, उत्तर पढ़ने की कृपा करें । यह विषय 5-6 साल से चल रहा है । पिछले साल भी इन मामलों पर विचार हुआ था और इसमें दो राय नहीं हैं कि पर्वतीय क्षेत्र के पटवारियों की समस्या बहुत विकट और भयंकर है । स्थिति नाजुक है । माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने और वित्त मंत्री जी के सामने उन्होंने अपनी मांगों को रक्खा था । इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, मुख्य मंत्री जी भी

विराजमान हैं और वित्त मंत्री जी भी विराजमान हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करें कि इन पटवारियों की न्यायोचित मांगों पर कब तक निर्णय देने की कृपा करेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

जितना आपने समय लिया था उस से कम समय हम लेंगे ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

पर्वतीय क्षेत्र के पटवारियों को पुलिस का भी काम करना पड़ता है और पुलिस सब-इन्सपेक्टर के बराबर उनका दर्जा है । लेकिन उनका वर्तमान वेतन पुलिस हेड कान्सटेबिल से कम है । शासन की नीति है समान कर्य के लिये समान वेतन । तो क्या मंत्री जी इस आधार को मानते हुए उनका वेतन निर्धारित करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

वेतन तो निर्धारित हो चुका है, पे-कमीशन ने किया है । यद्यपि जो पहले मांग की थी वह 350 रुपये प्रति माह थी लेकिन वेतन आयोग ने 354, 355 साधारण और 454-600 सेलेक्शन ग्रेड, 20 प्रतिशत में किया है, यह तो बढ़ाया गया है ।

श्री मुख्तार अनीस--

पर्वतीय जिले के पटवारी पुलिस का भी काम करते हैं और 8 जनवरी से इन लोगों की हड़ताल चली, 10 दिन तक हड़ताल रही । तो इन 10 दिनों में वहां की शान्ति व्यवस्था नहीं हुई । मान लीजिये उनकी बात को नहीं मान रहे हैं केवल अश्वासन दे रहे हैं कि शीघ्र करेंगे । तो इसको कार्यान्वित करने के लिये शीघ्रता कब तक होगी और अगर दोबारा हड़ताल उनकी हो गई तो शांति व्यवस्था की क्या स्थिति होगी ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो काल्पनिक प्रश्न है ।

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

वेतन आयोग ने जो पटवारियों का वेतन निश्चित किया है क्या उसी के विरोध में उन्होंने हड़ताल की थी ? यदि हां, तो उस पर आपने क्या कार्यवाही की ? क्योंकि जहां तक मुझे ज्ञात है आपने आश्वासन दिया था कि सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी । इसके अलावा 26 मांगें और थीं, बन्दूक का लाइसेंस देने की बात थी, चौकियां बनाने की बात थी । तो क्या उनका वेतन सब-इन्सपेक्टर के बराबर ही निर्धारित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर आ चुका है ।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

पटवारियों को, जैसे मैदानी क्षेत्र में ट्रेनिंग दी जाती है उसी तरह पर्वतीय क्षेत्र के पटवारियों को पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है। पुलिस का काम लिया जाता है। इसके बाद भी उन को पुलिस जैसी सुविधा, पुलिस सब-इन्सपेक्टर जैसा न्याय नहीं मिलता, हक नहीं मिलता, तो क्या सरकार इस ओर भी ध्यान देगी और शीघ्र इस पर निर्णय करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

उनकी ट्रेनिंग के लिये व्यवस्था होती है और ट्रेनिंग दी जाती है।

अतारांकित प्रश्न

चुनार तहसील, जनपद मिर्जापुर में हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की योजना

1--श्री रामचरण सिंह--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चुनार तहसील, जनपद मिर्जापुर में हरिजन बस्ती विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया ? क्या बाकी हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिये कोई योजना अगर है, तो वह कब से लागू होगी ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)--

सूचना एकत्र की जा रही है।

कतिपय विद्युत खण्डों में स्पेशल आडिट एवं अनियमितता तथा प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही

2--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् खण्ड अकबरपुर, विद्युत् खण्ड प्रथम, बस्ती, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, गोरखपुर, देवरिया, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, फैजाबाद, लखनऊ, में स्पेशल आडिट जुलाई, 1978 से जुलाई, 1981 के बीच हुई थी ? कितने-कितने रुपये के गबन एवं अनियमितता प्रकाश में आई और इन डिवीजनों की स्पेशल आडिट कब-कब हुई तथा कितने-कितने दिनों बाद रिपोर्ट विद्युत् परिषद् को प्राप्त हुई ? क्या उनके विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां। जिन खण्डों में स्पेशल आडिट जुलाई, 1978 से जुलाई, 1981 के बीच हुई थी, उनके सम्बन्ध में वांछित विवरण संलग्न है।

[देखिये नत्थी (क) आगे पृष्ठ 389 पर।]

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न 2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त।

जनपद प्रतापगढ़, ग्राम सराय रजई के निवासियों द्वारा परगनाधिकारी को दिये गये प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

3---श्री जमुना प्रसाद तथा श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम सराय रजई के आधे दर्जन लोगों ने मुख्य मन्त्री, जिलाधिकारी एवं परगनाधिकारी को प्रार्थना-पत्र दिनांक 14-10-80 को दिया, था जिसमें अन्य लोगों द्वारा चकरोड जोत लेने व चकरोड की मिट्टी निकाल कर गड्ढा बना देने तथा ईंट बना लेने के सम्बन्ध में दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन में कार्यरत सहकारिता, गन्ना व पंचायत लेखा परीक्षकों एवं ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों की निर्धारित ज्येष्ठता

4---श्री राम आसरे वर्मा--

क्या वित्त मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्यादेश संख्या आडिट 6762/दस--320(18)/73, दिनांक 3-1-80 के अन्तर्गत कोआपरेटिव आडिट आर्गेनाइजेशन में सहकारिता, गन्ना उद्योग तथा पंचायत आडिटरों एवं सीनियर आडिटरों को मिला कर सभी की ज्येष्ठता निर्धारित की गयी ? इसमें सहकारिता, गन्ना तथा पंचायत के आडिटरों और सीनियर आडीटरों को 13-3-1 अनुपात के आधार पर रख कर ज्येष्ठता (सिनियारिटी) निर्धारित की गयी जबकि उद्योग आडिटरों एवं सीनियर आडिटरों को इससे वंचित रखा गया ? ऐसा क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

शासनादेश संख्या आडिट 6762/दस--320(18)-73, दिनांक 3-1-80 द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन में कार्यरत सहकारिता, गन्ना व पंचायत लेखापरीक्षकों एवं ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों के संवर्गों के एकीकरण के फलस्वरूप इनकी पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित की गई है । एकीकरण के दिनांक 3-1-80 को उद्योग अनुभाग के लेखा परीक्षकों एवं ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों के अलग से कोई संवर्ग नहीं थे क्योंकि इसके पूर्व ही शासनादेश सं0 आडिट 3201/दस---318(चार)-68, दिनांक 9-11-72 द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार उद्योग अनुभाग के लेखा-परीक्षकों के सहकारिता अनुभाग के लेखा परीक्षकों के साथ विलोनीकरण के फलस्वरूप एक संवर्ग "सहकारिता के लेखा परीक्षक" के नाम से बन गया था तथा इसी प्रकार सहकारिता के ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के नाम से एक संवर्ग बन गया था । केवल उद्योग विभाग से आये हुये कुछ लेखा परीक्षकों को ज्येष्ठता निर्धारित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन था । जिसमें अब अंतिम आदेश विभागाध्यक्ष हेतु दिनांक 8-3-82 को जारी हो गये हैं ।

सबार्डिनेट सर्विस आफ सब-रजिस्ट्रार परीक्षा, 1979 में पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का आरक्षण

5--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या वित्त मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सबार्डिनेट सर्विस आफ सब-रजिस्ट्रार परीक्षा, 1979 में कुल 91 पदों मे पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का 15 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान करते हुए 13·65 पद का 14 पद न मान कर केवल 13 पद का आरक्षण दिया गया है जबकि उसी परीक्षा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को 5 प्रतिशत का आरक्षण देते हुए 4·55 पद को 5 पद माना गया है ? यदि हां, तो उक्त प्रकार के पदों के निर्धारण में भिन्न मापदण्ड रखने का क्या औचित्य है ? क्या मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने की दृष्टि से सब-रजिस्ट्रार के पद पर एक अतिरिक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति उक्त परीक्षा के आधार पर कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

6--श्री राम आसरे वर्मा--

[9वें शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

7--श्री ऊदल--

[माननीय सदस्य ने वापस लिया ।]

चकबन्दी वाद संख्या 3979/7727 की पत्रावली की खोज तथा दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

8--श्रीमती कमला साहनी--

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद आजमगढ़, तहसील घोसी, मौजा भीरा का एक चकबन्दी मुकदमा संख्या 3979/7727, सफिया खातून बनाम वकील अहमद आदि, वर्ष 1 74 अब फाईल गायब हो गई है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रश्नगत फाईल को तलाश करवाने और इस सम्बन्ध में दोषी पाये जाने-वाले अधिकारी/कर्मचारी को दंडित करने हेतु आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

चकबन्दी वाद संख्या 3979/7727, सुफिया खातून बनाम वकील अहमद नहीं है । मिसिलबन्द रजिस्टर के अनुसार वाद संख्या 3979, अब्दुल वहाब खां बनाम अब्दुल जब्बार खां, ग्राम भीरा, तहसील घोसी है, जिसकी पत्रावली इस समय उपलब्ध नहीं है । उक्त वाद पत्रावली की खोज जारी है । दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये निर्देश दिये जा है ।

समस्त जिले में सूखे व अतिवृष्टि से रबी तथा खरीफ की फसलों की क्षति तथा उन्नाव जिलाधिकारी द्वारा सम्पूर्ण भू-राजस्व माफ किये जाने सम्बन्धी राजस्व परिषद् को भेजी गयी संस्तुति

9--श्री भीखालाल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव के जिलाधिकारी ने गत वर्ष शासन के पास रिपोर्ट भेज कर संस्तुति की थी कि समस्त जिले में सूखे से 1387 फ0 रबी तथा अतिवृष्टि व सैलाब से 1388 फ0 खरीफ की फसलों को पचहत्तर प्रतिशत से अधिक क्षति हुई हैं इसलिए इन दोनों फसलों का सम्पूर्ण भू-राजस्व माफ किया जाय और शासन द्वारा स्वीकृति की प्रत्याशा में वसूली रोक दी थी जो अब भी रुकी हुई है ? यदि हां, तो शासन ने इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की अथवा नहीं और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां । जिलाधिकारी के प्रस्ताव पर राजस्व परिषद् की अपनी संस्तुति के साथ शासन को भेजना है, वह प्रतीक्षित है ।

जनपद बलिया में विद्युत् कनेक्शन प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र

10--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री गौरी शंकर भैय्या --

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में 1 जनवरी 1982 तक कितने लोगों ने बिजली के कनेक्शन प्राप्त करने का आवेदन-पत्र दिया है, इसके लिए कुल कितने विद्युत् ट्रांसफारमर एवं तार तथा पोल की आवश्यकता पड़ेगी ? बलिया में विद्युत विभाग के पास कुल कितने ट्रान्सफारमर, विद्युत् पोल व तार इस समय उपलब्ध है ? बाकी सामानों की आपूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला सीतापुर की तहसील बिन्दकी के ग्राम खेलावन में खसरा नं0 755 की भूमि श्री देवी दीन पुत्र श्री कल्लू हरिजन के नाम दर्ज किये जाने की मांग

11--श्री भीखा लाल--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खसरा नं0 755 सुरक्षित भूमि तालाब वर्ग 6 (1) में लेखपाल के कागजात में दर्ज है लेकिन मौके पर तालाब नहीं है बल्कि कृषि योग्य भूमि है तो क्या इसकी जांच कराकर इसका वर्गीकरण तबदील करके काबिज हरिजन को इस पर अनन्तरणीय भूमिधरी का अधिकार देने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील --

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम थानापुर, जिला इलाहाबाद के प्रधान द्वारा फर्जी तौर से अपने सम्बन्धियों को दर्ज की गयी भूमि

12—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम थानापुर, तहसील हंडिया, जिला इलाहाबाद के प्रधान ने अपने एवं अपने सम्बन्धियों के नाम फर्जी तौर से ग्राम सभा 30 बीघा भूमि दर्ज करा लिया है ? यदि हां, तो प्रधान एवं सम्बन्धित दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तहसील हंडिया, जिला इलाहाबाद में जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट की धारा 198 के अन्तर्गत विचाराधीन मामले

13—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि तहसील हंडिया, जिला इलाहाबाद में जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट की धारा 198 के अन्तर्गत कितने मामले 3 माह से अधिक समय से विचाराधीन हैं तथा उनका निस्तारण कब तक हो जायेगा ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला हरदोई में नरौली कलां मार्ग पर बिजली के खम्भे

14—श्री हरी शंकर—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि बिलग्राम नरौली कलां मार्ग, जिला हरदोई पर कितने समय से केवल बिजली के खम्भे लगे हैं तार नहीं ? उक्त लाइन कब तक ऊर्जीकृत हो जायेगी ?

श्री सुनील शास्त्री—

जिला हरदोई में नरौली कलां नाम का कोई मार्ग नहीं है ।

हरदोई जिले के बिजली के बकायेदारों के स्थगन आदेश

15—श्री हरी शंकर—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 1ले शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 51 तालिका 'क' के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सम्बन्धित बकायेदारों के स्थगन आदेशों को निरस्त किये जाने हेतु विद्युत् परिषद् ने सम्बन्धित न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिए हैं ? यदि हां, तो किन तिथियों में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

अतारांकित प्रश्न संख्या 51 तालिका 'क' में उल्लिखित सम्बन्धित बक यें दों से वसूली के सम्बन्ध में चल रहे विवादों की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :--

1--कला कोल्ड स्टोरेज, उन्नाव रोड, हरदोई	न्यायालय में विवादित डेवलपमेन्ट रिबेट तथा मी0 में खराबी होने के कारण किये गये असेस्मेंट से सम्बन्धित मामलों का निपटारा न्यायालय द्वारा परिषद् के विरुद्ध क्रमशः दिनांक 6-1-82 व 23-1-82 को हो चुका है । इन आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करने की कार्यवाही की जा रही है ।
2--किसान कोल्ड स्टोरेज, सर्कुलर रोड, हरदोई	उपभोक्ता ने 60,660 69 का भुगतान कर दिया है । डेवलपमेंट रिबेट से सम्बन्धित विवादित धनराशि 20,57.410 पैसे का फैसला न्यायालय द्वारा परिषद् के विरुद्ध दिनांक 28-11-81 को हो गया है । इन आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की कार्यवाही की जा रही है ।

हरदोई जिले में बिजली चोरी के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमों पर निर्णय

16--श्री हरी शंकर--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 1ले शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 196 के सन्दर्भ में क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ए0 सं0 359 व 358 सन् 1977 अन्तर्गत धारा 379 आई0 पी0 सी0 तथा 39/40 आई0 ए0 ई0 के अन्तर्गत दायर किये गये मुकदमें विद्युत परिषद् द्वारा समुचित पैरवी न किए जाने के कारण समाप्त हो गए परन्तु परिषद् द्वारा उन मुकदमों को न्यायालय में विचाराधीन बताया गया है ? ऐसा क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

रामपुर जनपद में रजा टेक्सटाइल मिल तथा रामपुर डिस्टलरी को दी गयी बिजली

17--श्री मुहम्मद आजम खां--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रामपुर में किन कारणों से रामपुर डिस्टलरी तथा रजा टेक्सटाइल मिल को बिना कनेक्शन के बिजली दी जा रही है तथा पावरकट के नाम पर 25 प्रतिशत की छूट भी मिल रही है ? यदि हां, तो इस अनियमित कार्य करने वालों के विरुद्ध सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री सुनील शास्त्री--

रामपुर जनपद में रामपुर डिस्टलरी तथा रजा टेक्सटाइल मिल को बिना कनेक्शन कोई बिजली नहीं दी जा रही है अपितु इन उपभोक्ताओं को उनके स्वीकृत

कनेक्शनों के लिए नियमानुसार बिजली दी जा रही है। समय-समय पर पावरकट के आदेशानुसार पावरकट लागू किया जा रहा है। इस समय रामपुर डिस्टलरी तथा रजा टेक्सटाइल मिल पर क्रमशः 33 1/3 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत को विद्युत् कटौती लागू है। चूंकि कोई अनियमितता नहीं बरती जा रही है अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम जरहौलिया, जिला इटावा में समाप्त चकबन्दी प्रक्रियायें तथा गजट में प्रकाशन

18--श्री धनीराम वर्मा---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इटावा जनपद की तहसील औरैया के ग्राम जरौलिया में चकबन्दी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और धारा 52 का प्रकाशन भी एक साल पहले हो चुका है परन्तु भूमि सम्बन्धी अभिलेख अभी तक तहसील कार्यालय में नहीं भेजे गये हैं जिससे कृषकों को खसरा, खतौनी आदि की नकलें लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल मौजे के अभिलेख शीघ्र तहसील में भिजवा कर कृषकों को राहत प्रदान करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील---

ग्राम जरहौलिया, परगना व तहसील औरैया, जिला इटावा में चकबन्दी प्रक्रियाएं समाप्त हो चुकी हैं तथा चकबन्दी अधिनियम की धारा 52 (1) के अन्तर्गत प्रख्यापन हेतु निदेशालय द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 21-11-1981 को अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजी जा चुकी है। चकबन्दी कार्यालय, इटावा से कृषकों को खतौनी आदि की नकलें नियमानुसार जारी की जा रही हैं जिससे उन्हें कोई असुविधा नहीं है।

आजमगढ़ जनपद में ए0 पी0 ए0 योजना के अन्तर्गत कार्य में विलम्ब

19--श्री शम्भू नाथ---

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में एस0 पी0 ए0 योजना के अन्तर्गत हो रहे कार्य में सामान रहते हुए भी विलम्ब हो रहा है। यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्र की जा रही है।

20---श्रीमती विमला राकेश--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

झांसी नगर के कतिपय मुहल्लों में विद्युत के वोल्टेज में कमी

21--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

क्या ऊर्जा मन्त्री को यह जानकारी है कि झांसी नगर में मुहल्ला हजरतगंज, चतुरयन, गुदडी, अलीगोल, नई बस्ती उन्नाव गेट तथा तालपुरा एवं खुशीपुरा में पिछले दो वर्षों से विद्युत् का वोल्टेज कम रहता है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों में अपेक्षित वोल्टेज की विद्युत् वितरण करने हेतु शासन ने तत्काल क्या निर्णय लिए हैं ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

22--श्री रामकृष्ण माहेश्वरी--

[9 वें शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

श्री राम स्वरूप, ग्राम पचोकरा के बैल की बिजली के करेन्ट से मृत्यु तथा मुआवजे की मांग

23--श्री रामकृष्ण माहेश्वरी--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिनांक 8-2-81 को राम स्वरूप पुत्र जीता सिंह, हरिजन निवासी ग्राम पचोहरा, ब्लाक छजलैंज (मुरादाबाद) के बैल की मृत्यु बिजली के करेंट लगने के कारण हो गई थी जिसकी क्षतिपूर्ति की मांग रामस्वरूप ने प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 24-3-81 के साथ अपने प्रार्थना-पत्र द्वारा मन्त्री जी से की थी ? यदि हां, तो क्या क्षतिपूर्ति दे दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

श्री रामस्वरूप का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें मुआवजे की मांग की गई थी, परन्तु चूंकि जांच में बैल की मृत्यु विद्युत् दुर्घटना से नहीं हुई पाई गई अतः मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता ।

गांव बादूपुर, जिला वाराणसी में अधूरी चकबन्दी तथा चकों को पुनः कटवाने के आदेश

24--श्री ऊबल--

प्रथम सत्र 82 के 2रे शुक्रवार (29-1-82) के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 180 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बादूपुर में पुनः चक को कटने का आदेश दिया गया है और अब तक चकबन्दी रद्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी नहीं ।

गोपालपुर-बेहौली सहकारी कृषि फार्म की नीलामी एवं जमा की गई धनराशि तथा नीलाम लेने वाले समस्त व्यक्तियों की नाम व पते सहित सूची

25--श्री ऊबल--

क्या राजस्व मन्त्री अता० प्र० सं० 168 169, दिनांक 29-1-82 के उत्तर के सन्दर्भ में बतायेंगे कि 15-16 अप्रैल, 81 को गोपालपुर एवं बदौली फार्म जो 2,14,865 रु० में नीलाम किया गया, क्या उसका रुपया जमा हो गया है ? यदि हां, तो कब ?

श्री बैजनाथ कुरील--

गोपालपुर-बेदौली सहकारी कृषि फार्म पर राजकीय देयों की वकाया की वसूली हेतु दिनांक 15/16 अप्रैल, 1981 को किए गए नीलाम की समस्त धनराशि 2,14,865.00 रु0 निम्नलिखित तिथियों पर तहसील सदर के रजिस्टर नं0 4 में जमा की गई है :--

धनराशि	जमा करने की तिथि
15,253.75	15-4-81
63,850.00	16-4-81
29,337.50	16-4-81
19,143.75	28-4-81
25,668.75	29-4-81
17,523.75	30-4-81
44,087.50	1-5-81
2,14,865.00	

26--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि नीलाम लेने वाले अधिकांश व्यक्ति मिर्जापुर जनपद के बाहर के हैं तो उनके नाम व पते क्या हैं ? क्या सरकार उसको लिस्ट सदन के मेज पर रखने की कृपा करेंगी ? और क्या यह भी बतायेंगी कि नये नीलाम लेने वालों का नाम दोनों फार्मों पर चढ़ा दिया गया है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

नीलाम लेने वाले अधिकांश व्यक्ति बाहर के हैं । नीलाम लेने वाले समस्त व्यक्तियों की सूची उनके नाम व पते सहित प्रश्नकर्ता विधायक के तारांकित प्रश्न सं0-3 के उत्तर, जो दिनांक 5-2-82 को दिया गया था, के साथ पहले ही दी जा चुकी है । नीलाम लेने वालों का नाम अभी फार्म की भूमि पर अंकित नहीं किया गया है ।

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम सिकरौरी की समस्त भूमि की चकबन्दी

27--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत स्थित ग्राम सिकरौली, पो0 काकोरी, तहसील मलिहाबाद की समस्त भूमि (रकबों) की चकबन्दी की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जनपद लखनऊ की तहसील मलिहाबाद में ग्राम सिकरौरी, पोस्ट काकोरी नाम का कोई राजस्व ग्राम नहीं है ।

विधूना कस्बे में विद्युत आपूर्ति

28--श्री ऊदल--

क्या ऊर्जा मन्त्री बतायेंगे कि विधूना में करीब 5/6 सौ विद्युत उपभोक्ता हैं और उनसे प्रतिमास 4,200 रु0 मिनिमम चार्ज लिया जाता है ? यदि हां, तो सितम्बर, 1981 से लेकर 26 जनवरी, 1982 तक कितने घंटे दिन में और कितने घंटे रात में विद्युत् सप्लाई की गयी है ?

श्री सुनील शास्त्री--

इटावा जनपद के विधूना कस्बे में कुल 455 उपभोक्ता हैं । जिसमें 433 उपभोक्ता घरेलू बत्ती पंखे के तथा 22 उपभोक्ता औद्योगिक विभाग के हैं । विधूना कस्बे में उक्त उपभोक्ताओं को 1 सितम्बर, 1981 से 26 जनवरी, 1982 तक की अवधि में प्रतिदिन औसतन दिन में 4 घन्टे 12 मिनट तथा रात्रि में 4 घन्टे 41 मिनट विद्युत् आपूर्ति की गयी है ।

विधूना की आबादी कम है अतः विद्युत् आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों की तरह दिये जाने के कारण उक्त अवधि में घरेलू बत्ती पंखे के उपभोक्ताओं को मिनिमम चार्ज में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही थी । उक्त कस्बे के अधिकांश उपभोक्ता मिनिमम चार्ज से अधिक मूल्य की विद्युत् का उपभोग कर लेते हैं । अब इन बत्ती पंखा के उपभोक्ताओं पर मिनिमम चार्ज नहीं है ।

29--श्री प्रियदर्शी जेतली--

[9वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

30--श्री जियाराम शुक्ल 'विकल' साकेती तथा श्री प्रियदर्शी जेतली--

[9वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

श्री छविराम मौर्य, सहायक चकबन्दी अधिकारी, जिला सुल्तानपुर को प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने से एवं निष्ठा प्रमाण-पत्र अस्वीकर किये जाने के विरुद्ध की गई अपील

31--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री छविराम मौर्य, सहायक चकबन्दी अधिकारी, जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर को जब वह तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर में थे उनको प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने से एवं निष्ठा प्रमाण-पत्र अस्वीकार किये जाने के विरुद्ध उन्होंने दिनांक 12-7-76 को आयुक्त एवं सचिव, राजस्व विभाग के यहां अपील की थी ? यदि हां, तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बंजनाथ कुरील--

जी हां । मामले का परीक्षण अभी चकबन्दी आयुक्त के स्तर पर किय जा रहा है ।

श्री रामचन्द्र श्रीवास्तव, सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वार पिछली सेव जोड़ने के लिए दिया गया प्रार्थना-पत्र

32--श्री राम आसरे वर्मा --

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम चन्द्र श्रीवास्तव, सहायक चकबन्दी अधिकारी, मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर को जब वह 1966 में वाराणसी जिले में चकबन्दी अधिकारी के पद पर थे उनकी सेवा समाप्त कर दी गयी थी, पुनः दिनांक 14-3-1972 में उनको सहायक चकबन्दी अधिकारी के पद पर आयुक्त, चकबन्दी द्वारा नई नियुक्ति जिला सुल्तानपुर में की गई ? अपनी पिछली सेवा जोड़ने के लिए श्री श्रीवास्तव ने माह सितम्बर, 1981 में चकबन्दी आयुक्त को प्रार्थना पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंजनाथ कुरील--

जी हां ।

श्री रामचन्द्र श्रीवास्तव, सहायक चकबन्दी अधिकारी ने अपनी पिछली सेवा जोड़ने के लिये माह सितम्बर, 1981 में चकबन्दी आयुक्त को कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया था ।

ग्राम रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर के भूखण्ड संख्या 320 के अनियमित पट्टे का निरस्तीकरण

33 --श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीश पुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के भूखंड संख्या 320, क्षेत्रफल 16 बिस्वा 14 धूर, जो सम्पर्क मार्ग है, का पट्टा 1377 फ0 में भूमि प्रबन्धक समिति ने श्री रामलखन को कर दिया था ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर ने इस सम्बन्ध में अपनी आख्या भेजी है कि जांच में उक्त पट्टा अनियमित पाया गया है ? यदि हां, तो क्या उसके निरस्तीकरण हेतु धारा 198 (4) जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है ? और उक्त भूखंड क पट्टा निरस्त कर सम्बन्धित अभिलेखों में इसका इन्द्राज कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

34--श्री हरिवंश सहाय--

[9वें शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

उन्नाव जनपद में भू-राजस्व एवं कृषि देयों की वसूली न होने की शिकायत

35--श्री भोखालाल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि राजस्व देयों की वसूली भू-राजस्व एवं कृषि देय सम्बन्धी राजस्व अनुभाग-7 के पत्र संख्या 112/9/80 (197)--राजस्व-7, दिनांक 4 दिसम्बर, 1980 का अनुपालन उन्नाव जनपद में नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो शासन ने उनके अनुपालन के लिए क्या व्यवस्था की है और क्या दोषी पाये जाने वाले अधिकारी या कर्मचारी को दंडित करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

उन्नाव जनपद में शासनादेश संख्या-112/9/80 (197)-राजस्व-7, दिनांक 4 दिसम्बर, 1980 के अनुसार भू-राजस्व एवं कृषि देयों की वसूली न होने की शिकायत प्रश्नकर्ता विधायक महोदय से शासन को प्राप्त हुई थी जिस पर जिलाधिकारी, उन्नाव का ध्यान उक्त शिकायत की ओर आकृष्ट करते हुए उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि भू-राजस्व एवं कृषि देयों की वसूली उक्त दिनांक 4 दिसम्बर, 1980 के शासनादेश के अनुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय और उक्त आदेशों की अवहेलना होने पर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाय । चूंकि जिलाधिकारी, उन्नाव, की रिपोर्ट के अनुसार वसूली दिनांक 4 दिसम्बर, 1980 के शासनादेश के अनुसार हो रही है इसलिए किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

तत्कालीन चकबन्दी अधिकारी, नवाबगंज के विरुद्ध चकबन्दी कार्य में अनियमितताएं करने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

36--श्री भोखा लाल---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सराय जोग, तहसील हसनगंज (उन्नाव) के किसानों ने वर्ष 1975 में तत्कालीन चकबन्दी अधिकारी नवाबगंज के विरुद्ध चकबन्दी कार्य में अनियमितताएं करने के सम्बन्ध में शासन को शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो शिकायतें क्या थीं ? जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई ? जांच का क्या परिणाम निकला और चकबन्दी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी नहीं ।

37---श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[9वें शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

38---श्री हरगोविन्द वर्मा---

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

39---श्री सन्तबख्श रावत तथा श्री जमुना प्रसाद---

[9वें शुक्रवार के लिए स्थगित।]

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0, तिलहर के मुख्य लेखाकार के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

40--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0, तिलहर (शाहजहांपुर) के मुख्य लेखाकार के विरुद्ध 8-12-81 को प्रबन्ध निदेशक, सहकारी चीनी मिल संघ, लखनऊ को प्रश्नकर्ता विधायक ने कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया था जिसमें उनकी व्यक्तिगत शिथिलता के कारण उपरोक्त चीनी मिल को लगभग 16-1/2 लाख रुपया की गारंटी लैप्स हो गई, का मुख्य आरोप था ? यदि हां, तो इस शिकायत की जांच कौन अधिकारी कर रहे हैं ? और इसमें क्या तथ्य पाये गये ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जी हां, माननीय श्री सत्यपाल सिंह यादव का दिनांक 7-12-81 का यह शिकायती-पत्र प्रबन्ध निदेशक सहकारी चीनी मिल संघ, लखनऊ को मिला है। शिकायत की जांच संघ के संयुक्त प्रबन्ध निदेशक कर रहे हैं। शिकायत से सम्बन्धित प्राप्त प्राथमिक रिपोर्ट में यह पाया गया है कि उक्त गारन्टी लैप्स हो गई क्योंकि नेशनल हैवी इन्जीनियरिंग कोआपरेटिव लि0, जिन्होंने प्लान्ट एण्ड मशीनरी की आपूर्ति, स्थापना एवं चालू करने के लिये यह गारन्टी दी थी, ने गारन्टी का अवधि बढ़ाने का आश्वासन देने के बाद भी उसे समय से नहीं बढ़ाया और बैंक से गारन्टी को वसूली करने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया। एक अन्य असावधानी यह पायी गयी है कि आयकर विभाग में समुचित कार्यवाही समय से न करने के कारण अर्थदण्ड, कर जमा न करने के लिये, लगा दिया गया है, जिसे माफ किये जाने की विधिक कार्यवाही की जा रही है। इस आख्या के आधार पर सम्बन्धित अधिकारी श्री रवीन्द्र सिंह रैकवार का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है और तद्नुसार गुणावगुण के आधार पर विचार करके उनके सम्बन्ध में उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

श्री रामजीत, चपरासी, चकबन्दी कार्यालय, फैजाबाद की आरोपों के तहत में सेवा मुक्ति

41--श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान तथा श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामजीत, चपरासी, चकबन्दी कार्यालय, टांडा, फैजाबाद के सन् 1979 में उनको किन आरोपों के तहत सेवा मुक्त किया गया था सेवा मुक्ति के लिए सभी नियमों का पालन किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

श्री राम जीत, चपरासी को अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण सेवा मुक्त किया गया है। इस सम्बन्ध में वांछित नियमों का पालन किया गया है।

42--श्री यदुनाथ सिंह--

[9वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

43--श्री यदुनाथ सिंह--

[22-1-82 के तारांकित प्रश्न संख्या 8 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ बिक्री कर विभाग के तीन सहायक आयुक्त (न्याय) का निलम्बन तथा निलम्बन अवधि के वेतन का भुगतान

44--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि जून, 1978 में लखनऊ बिक्रीकर विभाग के तीन सहायक आयुक्त (न्याय) सर्वश्री एम0 सी0 त्यागी, सत्येन्द्र कुमार और आर0 के0 तिवारी निलम्बित कर दिये गये थे ? यदि हां, तो इन अधिकारियों का किस अपराध के कारण और किनके आदेशों से निलम्बन किया गया तथा इन अधिकारियों को कब अपने-अपने स्थानों पर पुनः वापिस लिया गया और क्या उनको निलम्बन अवधि का पूरा वेतन मिला ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हां ।

दिनांक 15-6-78 को संस्थागत वित्त मंत्री के आकस्मिक निरीक्षण के समय यह अधिकारी कार्यालय में अनुपस्थित पाये गये थे अतः संस्थागत वित्त मंत्री के आदेशानुसार इन अधिकारियों को निलम्बित किया गया था । शासकीय विज्ञप्ति संख्या वि0 क0-1-3931/दस--82-78, दिनांक 3 जुलाई, 1978 द्वारा इन अधिकारियों के निलम्बन आदेश को निरस्त किया गया । निलम्बन अवधि का वेतन दे दिया गया है ।

गन्ना संघ उ0 प्र0, लखनऊ में आडिट आपत्तियां तथा उनका निष्पादन

45--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गन्ना संघ उ0 प्र0, लखनऊ में वर्ष 1972-73 के अन्तर्गत कितनी आडिट आपत्तियां हुई हैं ? कितनी आपत्तियों का निष्पादन अब तक हुआ है और कितनी का अवशेष है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

46--श्री हरिवंश सहाय--

[5-2-82 के अतारांकित प्रश्न संख्या 171 द्वारा उत्तरित]

बुन्देलखंड संभाग (झांसी) के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु विद्युत् कनेक्शन में छूट देने की मांग

47--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि बुन्देलखंड संभाग (झांसी) के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए नियमों में छूट देकर विद्युत् आपूर्ति विषयक मास दिसम्बर 1981 के मेरे पत्र पर सम्बन्धित अधिकारी को शीघ्र कार्यवाही हेतु आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो शासन द्वारा की जा रही कार्यवाही के अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री सुनील शास्त्री--

बुन्देलखंड संभाग (झांसी) के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये नियमों में छूट देकर विद्युत् आपूर्ति करने विषयक माननीय विधायक जी का माह दिसम्बर 1981 का पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें 4.5 प्रतिशत लाभांश पर बुन्देलखंड क्षेत्र में विद्युत् कनेक्शन देने की मांग की गयी थी। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि विद्युत् परिषद् ने बुन्देलखंड क्षेत्र के उपभोक्ताओं को पहले से ही नियमित 15 प्रतिशत लाभांश के बजाय 8 प्रतिशत लाभांश की रियायती दर पर विद्युत् कनेक्शन देने का प्रावधान कर रखा है। अब इस सम्बन्ध में और अधिक रियायत देना संभव नहीं है। इन तथ्यों से माननीय विधायक जी को उक्त पत्र के उत्तर में सूचित कर दिया गया है।

ग्राम अइमापुर, जिला उन्नाव के हरिजनों द्वारा भूमि आवंटन तथा हरिजन आबादी के आवंटन में हुई गड़बड़ियों के सम्बन्ध में दिया गया शिकायती-पत्र

48--श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम अइमापुर, महेशखेड़ा, धाराखेडा, नन्हई खेड़ा, माक्सनगर मजरे मकूर परगना झलोतर अजगैन, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव के हरिजनों के दिनांक 18-1-82 को जिलाधिकारी, उन्नाव को कोई ऐसा शिकायती-पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने भूमि आवंटन तथा हरिजन आबादी के आवंटन में हुई गड़बड़ियों की शिकायत की है? यदि हां, तो हरिजनों की मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं और इन्हें दूर करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्री बंजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री श्याम देव सर्वे लेखपाल के आवेदन-पत्र पर कृत कार्यवाही

49--श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री कुबेर भण्डारी--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री श्यामदेव सर्वे लेखपाल के आवेदन-पत्र दिनांक 30-4-81 पर जिलाधिकारी, गोरखपुर ने दिनांक 24-5-81 को आदेश पारित कर 6 सर्वे कानूनगो की पदोन्नति को निरस्त कर दिया था? यदि हां, तो उक्त आदेश का पालन अब तक क्यों नहीं किया गया?

श्री बंजनाथ कुरील--

श्री श्यामदेव, सर्वे लेखपाल का आवेदन-पत्र दिनांक 30-4-81 जिलाधिकारी, गोरखपुर को प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम बाहरपुर, जिला सुल्तानपुर के बन्दोबस्त सोयम तथा 1359 फ० के खेवटों में अन्तर

50--श्री दीप नरायन वन महन्थ--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाहरपुर परगना, जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के बन्दोबस्त सोयम तथा 1359 फ० के

खाता संख्या 1 व 2 आला में कितना-कितना क्षेत्रफल अंकित किया है तथा बन्दोबस्त सोयम में अंकित क्षेत्रफलों में तथा 1359 फ0 के खेवटों में अन्तर का क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर के बन्दोबस्त सोयम तथा 1359 फ0 के खाता खेवट संख्या 1 का क्षेत्रफल क्रमशः 1804 बीघा 3 बिस्वा 10 बिस्वांसी तथा 1691 बीघा 2 बिस्वा 17 बिस्वांसी अंकित है। बन्दोबस्त सोयम तथा 1359 फ0 में अंकित क्षेत्रफलों में 113 बीघा 13 बिस्वांसी का अन्तर है। इस अन्तर का कारण ज्ञात नहीं हो सका, क्योंकि बन्दोबस्त सोयम के बाद 1365 फ0 तक के खेवट नष्ट हो चुके हैं।

प्रश्नगत ग्राम के बन्दोबस्त सोयम तथा 1359 फ0, दोनों के खाता खेवट संख्या 2 का क्षेत्रफल 30 बीघा 16 बिस्वा 3 बिस्वांसी अंकित है। इनमें कोई अन्तर नहीं है।

तहसील सदर, जनपद गोरखपुर में मजिठिया परिवार के नाम से अंकित भूमि पर खेती तथा जांच

51--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या राजस्व मंत्री को यह भी ज्ञात है कि तहसील सदर में मजिठिया बन्धुओं के नाम से अंकित भूमि में से इस समय कितनी भूमि हवाई अड्डा, डेयरी फार्म, कुक्कुट पालन, खेल मैदान, गन्दे पानी स्टोर, ट्रस्ट आदि रूप में दी गयी है ? क्या यह सत्य है कि इनकी फर्जी ढंग से दिखला कर इन पर खेती कराई जाती है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

तहसील सदर, जनपद गोरखपुर में मजिठिया परिवार के नाम से अंकित भूमि में से इस समय हवाई अड्डा के रूप में ग्राम अयोध्याचक में 8.22 एकड़ भूमि है तथा गन्दे पानी निकास, वेसोनाला एवं सड़क के नाम 4.22 एकड़ भूमि है। ग्राम सरैया में इनके नाम 22.26 एकड़ गन्दा पानी स्टोर का गड्ढा है। यह सभी भूमि खेती के उपयोग में नहीं आती है। मजिठिया परिवार से सम्बन्धित लेडी दरसन कौर ट्रस्ट के नाम तहसील सदर के 12 ग्रामों में 602.21 एकड़ भूमि है जिस पर खेती होती है। डेयरी फार्म, कुक्कुट पालन तथा खेल के मैदान के रूप में कोई भूमि अंकित नहीं है।

भदोई, तहसील ज्ञानपुर के तत्कालीन लेखपाल श्री ब्रह्म देव पाण्डे के विरुद्ध शिकायती पत्र की जाँच तथा निलम्बन

52--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्याम धर मिश्र तत्कालीन सभापति, लोक लेखा समिति, उ0 प्र0 ने अपने पत्र संख्या 896/79, दिनांक 10-10-79 के साथ श्री विश्वनाथ शर्मा, संयोजक तहसील किसान सभा, ज्ञानपुर, वाराणसी का 8-10-79 का प्रार्थना-पत्र तहसील ज्ञानपुर के कर्मचारियों, अधिकारियों के भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के बारे में संलग्न करके माननीय मुख्य मंत्री

को भेजा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उक्त प्रार्थना-पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

श्री श्याम धर मिश्र, तत्कालीन सभापति लोक लेखा समिति, उ० प्र० का पत्र संख्या 896/79, दिनांक 10-10-79 प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता । उसमें उल्लिखित श्री विश्वनाथ शर्मा, संयोजक किसान सभा, ज्ञानपुर, वाराणसी का शिकायती-पत्र, दिनांक 8-10-1979 जिला प्रशासन को अवश्य प्राप्त हुआ जिसमें मुख्य शिकायत तत्कालीन लेखपाल हल्का नं० 76, क्षेत्र मतेथू, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, (श्री ब्रह्म देव पाण्डे) के विरुद्ध थी । लेखपाल को निलम्बित करके विधिवत् जांच करायी गयी और जांचोपरान्त लेखपाल को निम्नानुसार दंडित कर दिया गया है--

1--श्री ब्रह्मदेव पाण्डे, लेखपाल को निलम्बन अवधि का वेतन जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त नहीं दिया जायेगा ।

2--इनकी एक वर्ष की वेतन वृद्धि एक साल के लिए बगैर भविष्य के प्रभाव के रोक दी गई है ।

3--इनकी चरित्र पंजिका में निम्न प्रविष्ठि कर दी गई--

"इन्होंने 500 रुपया (पांच सौ रुपया) की अधिक की सम्पत्ति विना उच्चाधिकारी से अनुमति लिए क्रय की है तथा आवंटन में भूमि प्रबन्धक समिति को नियमों से अवगत नहीं कराया है ।"

अन्य सभी शिकायतें निराधार पायी गयीं ।

फैजाबाद मण्डल में सहकारिता विभाग द्वारा कथित नीम की खली की खरीद में भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[12 बजकर 10 मिनट]

श्री माधव प्रसाद--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सदन के संज्ञान में फैजाबाद मण्डल में कथित नीम की खली की खरीद में सहकारी संस्थाओं द्वारा की गयी व्यापक अनियमितताओं और लाखों के घोटाले का मामला लाना चाहता हूं ।

सहकारिता विभाग के मंडल का जिले स्तर के अधिकारियों की मिली भगत से फैजाबाद मंडल के फैजाबाद व जिला जनपद की सहकारी समितियों में एक

की खली की खरीद में भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

व्यक्तिगत संस्था "फार्मस इन्टरप्राइजेज गोरखपुर" द्वारा नीम की खली के नाम पर राख की आपूर्ति कर लाखों रुपये का भुगतान किया गया ।

फैजाबाद जनपद के जिला सहकारी बैंक की शाखाओं सोहावल, बीकापुर, तारून, गोसाईगंज, भीटी, मियांव व जहांगीरगंज द्वारा उक्त का लाखों रुपये का भुगतान समितियों के दृष्टि बंधित ऋण खाते से नकद कर दिया गया जब कि उक्त खाते से नकद का भुगतान नहीं हो सकता था । बिना निबंधक की अनुमति के सहकारी संस्थायें गैर सरकारी संस्थाओं से कोई सामान नहीं क्रय कर सकती ।

उक्त कथित नीम की खली समितियों में पड़ी हुई है । उक्त अनियमित व्यवसाय में उप निबंधक सहकारी समितियां फैजाबाद, जिला सहायक निबंधक, जिला सहकारी बैंकों के शाखा प्रबन्धकों, समितियों के सचिवों तथा प्रशासकों ने भारी कमीशन प्राप्त किया ।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि उक्त मामले की जांच कर दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उक्त फर्म के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय ।

इटावा जिले के थाना वटपुरा के अन्तर्गत ग्राम हवालिया में डाकू महावीरा द्वारा दो व्यक्तियों की हत्या तथा नौ हरिजनों को घायल किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आ की अनुज्ञा से आदरणीय सदन तथा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि इटावा जिले में डाकुओं का आतंक पहले से अब और अधिक बढ़ गया है । मान्यवर, 8 मार्च, 1982 को इटावा से 8 किलो मीटर दूर थाना वटपुरा के ग्राम हवालिया में कुख्यात डाकू महावीरा ने दो युवकों की गोली मार कर हत्या कर दी तथा अन्य 6 व्यक्ति बुरी तरह घायल हैं । मृतकों में एक 6 वर्ष का दुधमुहा बच्चा भी है । लोग फगुआ गा रहे थे कि महावीरा ने आकर अंधाधुन्ध गोली वर्षा कर दी । आश्चर्य है कि घटना से मात्र आधा किलो मीटर दूरी पर पी० ए० सी० का कम्प पड़ा है । इसी प्रकार 3 मार्च को घंघर थाने के ग्राम महतेपुर में सशस्त्र डकैतों ने हमला करके 9 हरिजनों को घायल कर दिया । घायलों में एक बच्चा एक महिला तथा एक युवक है । डाकू पुलिस वर्दी में आधुनिक अस्त्रों से लैस थे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

मान्यवर, इन घटनाओं से जनता में जहां भय तथा आतंक है वहीं सरकार के डाकू उन्मूलन अभियान का खोखलापन भी उजागर है । मैं कठोर कार्यवाही करने तथा निर्बलों की सुरक्षा हेतु प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं ।

हरदोई जनपद के विकास खण्ड माधोगंज व मल्लावां में गन्ना निकासी न होने से किसानों के समक्ष संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, जनपद हरदोई में शुगर मिल की निष्क्रियता के कारण गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है । हजारों एकड़ गन्ना खेतों में खड़ा सूखने या जलाये जाने का इन्तजार कर रहा है । गन्ना निकासी की कोई भी व्यवस्था न देख कर किसान भांति भांति की परेशानियों से जूझ रहा है । माधोगंज एवं मल्लावां विकास खण्डों के अन्तर्गत 8 रुपये से 10 रुपये क्विंटल के हिसाब से बेचने के लिए भी किसान को विवश होना पड़ा है । कुछ प्रभावशाली लोग सीतापुर और रायबरेली के मिलों से सांठगांठ करके उक्त भाव पर गन्ना खरीद कर शासन द्वारा निर्धारित दामों पर बेच रहे हैं । जिला गन्ना अधिकारी हरदोई प्रति क्विंटल अपना कमीशन लेकर पर्चियां कटवा रहे हैं । साधारण किसान इन दोनों बातों से भी अपने को पहुंच के बाहर पा रहा है ।

उक्त लोक महत्व की अविलम्बनीय सूचना से सदन को अवगत कराते हुए शासन से मांग करता हूं कि गन्ने की निकासी की समुचित व्यवस्था को सुनिश्चित करें, गन्ना जलाने की स्थिति समाप्त करें तथा किसान को बेरहम लूट से बचायें ।]

शासन के अनुचित हस्तक्षेप के कारण हाई स्कूल एवं इन्टर-मीडिएट की परीक्षाओं के संचालन में संदिग्धता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पंचानन राय--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदन तथा राज्य सरकार के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना लाना चाहता हूं ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटर एवं हाई स्कूल की परीक्षायें 16 मार्च, 1982 से प्रारम्भ होने जा रही हैं जिसमें लगभग 14 लाख परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं । परीक्षा व्यवस्था में शासन के अनुचित हस्तक्षेप के कारण परीक्षाओं का सुचारू रूप से संचालन संदिग्ध हो गया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शासन के अनुचित हस्तक्षेप के कारण हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के संचालन में संदिग्धता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा, (4) का अनुचित प्रयोग करके केन्द्र परिवर्तन और केन्द्र निर्धारण में शासन ने ऐसे विद्यालयों को केन्द्र बना दिया है जहां से खुले आम नकल हुई है तथा बाहर से कापियां लिख कर जमा की गई है । यह कार्यवाही माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्पष्ट प्रस्तावों के रहते हुये जानबूझ कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है ? परिणाम स्वरूप प्रदेश के शिक्षकों एवं छात्रों में भावना उत्पन्न हो गई है कि शासन स्वयं परीक्षाओं की पवित्रता को समाप्त कर देना चाहता है, निष्ठापूर्वक परीक्षाओं का संचालन करने वाले शिक्षकों का ईमान और जीवन खतरे में पड़ गया है । यह कार्यवाही कर के सरकार ने गत वर्ष विधान मंडल में दिये गये इस आश्वासन का उल्लंघन किया है कि सरकार धारा 9 (4) के अन्तर्गत केवल वास्तविक आपात-कालीन स्थिति में ही कार्यवाही करेगी । इन परिस्थितियों में हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की पूर्ण परीक्षण व्यवस्था संदिग्ध हो उठी है । लाखों परीक्षार्थियों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है ।

हमारी राज्य सरकार से मांग है कि विधान मंडल में की नयी अपनी घोषणा का सनादर करते हुये माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 9 (4) का प्रयोग करके की गई इस प्रकार की समस्त कार्यवाही निरस्त की जाय ।

जनपद बांदा के ग्राम गुरहन्द की हरिजन बस्ती पर सवर्णों द्वारा हमले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गौरी शंकर भैय्या--

महोदय, जनपद बांदा में 10 तारीख की दोपहर के समय बांदा से 16 किलोमीटर स्थित ग्राम गुरहन्द की हरिजन बस्ती पर हथियारों से लैश व्यक्तियों ने हमला कर दिया जिसमें हरिजनों ने भी आत्मरक्षा के लिये मुकाबला किया जिस के फलस्वरूप दोनों ओर से लगभग एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुये हैं । घटना के बाद हरिजन पुरुष औरत, बच्चों ने बांदा जा कर पुलिस अधीक्षक के सामने अपनी फरियाद की । ज्ञात हुआ है कि 10 तारीख की दोपहर को सवर्ण जाति के नौजवान हरिजन बस्ती में गये और ढोलक बाजा इत्यादि लेना चाहा, हरिजनों ने अपने प्रयोग के कारण देने से इन्कार कर दिया इस से रोष में आ कर नौजवानों ने हरिजन बस्ती पर हमला कर दिया जिस के फलस्वरूप गम्भीर घटना हुई । पता चला है कि यह घटना दो बजे दिन से शाम 7 बजे तक होती रही । अभी तक अधीक्षक के सामने हरिजनों की फरियाद करने के बावजूद भी पुलिस की कोई भी सहायता ग्राम के हरिजनों को नहीं मिली है जिस के कारण इस ग्राम के तथा आस-पास के सारे ही हरिजनों में आतंक छा गया है और असुरक्षा भय, असंतोष अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गयी है ।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर नियम 301 के अन्तर्गत सदन द्वारा माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982

[12 बज कर 18 मिनट दोपहर]

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आप की अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150 (2) के अन्तर्गत "उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982" को उस में उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा किये गये संशोधनों सहित सदन के पटल पर रखता हूं। यह विधेयक, विधान सभा द्वारा 9 फरवरी, 1982 को पारित किया गया था और 6 मार्च, 1982 को विधान परिषद द्वारा किये गये संशोधनों सहित वापस प्राप्त हुआ है।

दिनांक 12 फरवरी, 1982 को श्री अकबाल हुसेन द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में संशोधन हेतु शोधन वक्तव्य

*राजस्व राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)—

अध्यक्ष महोदय,

दिनांक 12-2-82 को श्री अकबाल हुसेन, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3 के संबंध में श्री माता प्रसाद पान्डेय, सदस्य, विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि "मान्यवर, जैसा मन्त्री जी ने कहा गोण्डा और बस्ती की परिस्थितियां एक जैसी थी। बस्ती के परिवार को 45 कि0 ग्राम दिया गया उसी प्रकार की परिस्थिति गोण्डा में तो वहां कौन सा आधार निर्धारित किया गया था कि वहां के लोगों को केवल 20 कि0 ग्राम दिया गया ?"

(2) उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि मान्यवर, तीन तरीके से बंटवारा होता है। जहां 2400 रुपये से कम आमदनी हो और 1.6 एकड़ से कम भूमि हो और 2.5 एकड़ से कम जिसके पास भूमि होती है, लेकिन इसके अतिरिक्त वह भी अधार माना जाता है कि जिसके पास चाहे जितनी सम्पत्ति हो या बाढ़ से वह चाहे जितना ग्रस्त हो, जिलाधिकारी और अधिकारी अपने विवेक से जितना चाहे आवश्यकतानुसार दे सकते हैं।

(3) उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है :—

> मान्यवर, तीन तरीके से अहेतुक सहायता का वितरण होता है जहां 2400 रुपये से कम आमदनी हो अथवा 1.8 एकड़ सिंचित से कम भूमि हो या 2.5 एकड़ असिंचित से कम भूमि हो लेकिन इसके अतिरिक्त यह भी आधार माना जाता है कि जिसके पास चाहे जितनी सम्पत्ति हो और वह बाढ़ से इतना प्रभावित हो कि सम्बन्धित परिवार के लिये भुखमरी की स्थिति आ जाय जिलाधिकारी अपने विवेक से 250 रु0 तक की सहायता आवश्यकतानुसार दे सकते हैं।"

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिये देखिये नत्थी (ख) आगे पृ0 396 पर।)

*वक्तव्य का पुनर्वीक्षण नहीं किया गया।

मन्त्रि परिषद् के सदस्यों द्वारा कथित अनुचित दबाव डालकर प्रशासनिक अधिकारियों से अनुचित कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या 7 (ख) माननीय मुख्य मंत्री (सूचना राज्य मंत्री के खड़े होने पर) ।

*श्री नकली सिंह--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह प्रकरण 5 मार्च को उठाया गया था ...

श्री अध्यक्ष--

अभी मैंने केवल नाम पुकारा और मुख्य मंत्री जी वक्तव्य देने के लिये खड़े हुये तो इसके बीच में कौन सा व्यवस्था का प्रश्न उठ गया ?

श्री नकली सिंह--

मान्यवर, इसी वक्तव्य पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

ये खड़े हैं इसलिये आप अव्यवस्थित रूप से खड़े हो रहे हैं ?

श्री नकली सिंह--

मान्यवर, यह वक्तव्य हो चुका है, यही मेरा अनुरोध है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं । इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न पहले उठा था जिसका मा0 मंत्री जी द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण था और मुख्य मंत्री द्वारा उस पर वक्तव्य देने का निदेश इस पीठ से हुआ था ... ।

(व्यवधान)

श्री नकली सिंह--

मान्यवर, वक्तव्य पहले हो चुका था और स्पष्टीकरण आपके निर्देश के बाद हुआ था और तब यह प्रकरण समाप्त हो गया था । 6 तारीख को ऐसा ही प्रकरण माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी के विरुद्ध आ गया था और उनको भी 6 तारीख को ही स्पष्टीकरण का मौका दिया गया । पीठासीन अधिकारी ने यह निदेश दिया था और उस स्पष्टीकरण के बाद यह प्रकरण समाप्त हो गया । मान्यवर, आज तक की यही परम्परा रही है कि स्पष्टीकरण के बाद ऐसा प्रकरण स्वयं समाप्त हो जायेगा । उसी तरह का स्पष्टीकरण देने का मौका माननीय बच्चा पाठक को भी दे दिया गया । उस पर राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कहा कि यह आधारहीन है, परम्परागत नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय ने यह निर्देश दिया था कि उसके बाद यह प्रकरण समाप्त हो जायेगा । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि जिस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नकली सिंह--]

प्रकरण पर आपका निर्देश हो चुका कि यह समाप्त हो जायेगा तो फिर दुबारा इसके यहां पर आने का क्या औचित्य है ? मान्यवर, उस वक्त आप पीठासीन नहीं थ ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने पर) ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें । जरूरत होगी तो मैं आपको भी बुलाऊंगा । उस दिन की कार्य-वाही आपको पढ़कर सुना दे रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले बयान सुन लें । श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, उसी बयान के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न है मान्यवर, आरोप केवल एक था कि क्या उस कार्यकारी जिला विद्यालय निरीक्षक को बांध कर पेड़ में लटकान की धमकी नहीं दी गयी ? उसको प्रताड़ित नहीं किया गया ? उसको थेरेटेनिंग नहीं दी गयी ? क्या उसको घौंस देकर काम नहीं कराया गया ? मेरा आरोप था कि उस जिला विद्यालय निरीक्षक को पुलिस से बुलाया गया और उसको थेरेटेनिंग दी ।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या एक सेंटेंस में उसका उत्तर आप चाहते हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जी ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप एक सेन्टेन्स में उत्तर चाहते हैं, आप हां, या नहीं में उत्तर चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जी हां ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप एक सेन्टें। में उत्तर दे दीजिये । यह रिफरेंस नहीं चाहते हैं, हां या नहीं में उत्तर चाहते हैं ।

श्री बच्चा पाठक--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है वह बिलकुल निराधार है ।

श्री उपाध्यक्ष--

बात खत्म हो गयी, एक सेन्टेन्स में । आपको जानना चाहिये कि एक सेंटेंस में उन्होंने जवाब दे दिया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर,

(व्यवधान) नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, वक्तव्य पर स्पष्टोकरण मांगा गया था ।

एक सदस्य---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठें ।

मंत्रि परिषद् के सदस्य द्वारा अनुचित दबाव डाल कर प्रशासनिक अधिकारियों से अनुचित काम कराने के सम्बन्ध में वक्तव्य

[12 बजकर 26 मिनट]

सूचना राज्य मंत्री (श्री काशी नाथ मिश्र)---

माननीय सदस्य, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा दिनांक 5-3-82 को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना, जिसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया, दिनांक 20-2-82 को बलिया में सहकारिता राज्य मंत्री श्री बच्चा पाठक तथा उक्त जनपद के कार्यवाहक जिला विद्यालय निरीक्षक, श्री कपिल देव सिंह से सम्बन्धित एक घटना को लेकर है ।

2---उक्त घटना की संक्षिप्त पृष्ठ भूमि इस प्रकार है कि शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त चैनराम बाबा इंटर कालेज, सहतवार में प्रबन्धाधिकरण विषयक विवाद को लेकर न्यायालय, अतिरिक्त मुन्सिफ तृतीय, बलिया में बाद संख्या 366 सन् 1979 बच्चा पाठक वगैरह बनाम गिरजा शंकर सिंह व तीन अन्य चलाया गया । उक्त वाद का प्रमुख बिन्दु चैनराम बाबा इंटर कालेज की प्रबन्ध समिति के 17-10-76 को आयोजित किये गये चुनाव में श्री बच्चा पाठक का निर्वाचन बहैसियत प्रबन्धक के विधिवत् होने से सम्बन्धित था । उक्त वाद में न्यायालय द्वारा दिनांक 18-2-82 को निम्न आदेश पारित किये गये :---

"वाद वादी व्यय सहित आंशिक रूप से डिगरी किया जाता है । वादी बच्चा पाठक को दिनांक 17-10-76 को वैधानिक रूप से चैनराम बाबा इंटर कालेज सहतवार का प्रबन्धक चुने जाने की घोषणा की जाती है । एक पक्षीय डिगरी दिनांक 21-4-77 वाद संख्या 420/1976 को निरस्त किया जाता है एवं वादी के विरुद्ध अप्रभावी घोषित किया जाता है । जिला विद्यालय निरीक्षक को एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि न्याय निर्णय की आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुये शीघ्रातिशीघ्र उचित कार्यवाही करें और 1979 के निर्वाचन की वैधानिकता अथवा अवैधानिकता का निर्णय करके वादी को उचित अनुतोष प्रदान करें।"

[श्री काशीनाथ मिश्र---]

3---सहकारिता राज्य मंत्री जो द्वारा प्रश्नगत कार्य स्थगन प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण देते हुये अनुचित दबाव तथा प्रताड़ना के बल पर प्रशासनिक अधिकारियों से अनुचित काम कराने के आरोप को निराधार बताते हुए पहले ही अस्वीकार किया जा चुका है ।

4---श्री कपिल देव सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलिया के दिनांक 20-2-82 के पत्र पर शिक्षा निदेशक के माध्यम से जांच करवाई गई है । शिक्षा निदेशक ने उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी मंडल की जांच आख्या भेजी है । जांच आख्या के प्रसंगागत अंश सूचनार्थ उद्धरित है :---

"जैसा कि श्री कपिलदेव सिंह ने अपने पत्र में उल्लेख किया है उसके अनुसार यह सही है कि उन्होंने 20-2-82 को पूर्वाह्न में बलिया में सार्वजनिक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह में श्री बच्चा पाठक से भेंट की । इसके पूर्व श्री कपिलदेव सिंह को यह सूचना हो चुकी थी कि उनसे श्री बच्चा पाठक भेंट करना चाहते हैं । जांच करने पर पता चला कि श्री बच्चा पाठक ने श्री कपिलदेव सिंह को चैनराम बाबा इंटर कालेज, सहतवार, बलिया के प्रबन्धकीय विवाद के सम्बन्ध में दिनांक 18-2-82 को मुन्सिफ अतिरिक्त तृतीय, बलिया द्वारा दिये गये निर्णय की प्रतिलिपि पढ़ने को हस्तगत कराया तथा उसे पढ़ने के बाद उक्त विद्यालय के प्रबन्धक के रूप में अपना हस्ताक्षर प्रमाणित करने का आग्रह उनसे किया । इस तथ्य को श्री कपिलदेव सिंह ने दिनांक 8-3-82 को मेरे समक्ष दिये गये अपने मौखिक बयान में भी स्वीकार किया है । श्री कपिलदेव सिंह ने न तो अपने बयान में कहीं यह कहा है कि श्री बच्चा पाठक ने उनसे प्रबन्धक के रूप में अपना हस्ताक्षर बल प्रयोग करके या धमकी देकर प्रमाणित कराया और न इसका कोई प्रमाण ही है । श्री कपिलदेव सिंह ने श्री बच्चा पाठक का हस्ताक्षर विद्यालय के प्रबंधक के रूप में प्रमाणित कर दिया और उसकी एक प्रति उन्होंने श्री पाठक को दे दिया तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया के पत्रांक 7598, 609 दिनांक 20-2-82 द्वारा ब्रांच मैनेजर, स्टेट बैंक आफ इंडिया सहतवार, बलिया को भेजा तथा सम्बन्धित पत्र को सम्बन्धित व्यक्तियों एवं अधिकारियों को श्री पाठक के नमूने के हस्ताक्षर के साथ पृष्ठांकित किया । यह पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से विधिवत् निर्गत हुआ है । इसके पश्चात् श्री कपिल देव सिंह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में गये जहां पर उन्होंने निरीक्षक वर्ग की मासिक बैठक को सम्बोधित किया । श्री कपिल देव सिंह के कथनानुसार तथा वास्तविकता के अनुसार दूसरे पक्ष के लोगों ने उनसे मीटिंग के समय सम्पर्क स्थापित करके इस मामले पर बातचीत करनी चाही । लगभग 5 बजे श्री कपिल देव सिंह मीटिंग समाप्त करने के बाद जब अपने कार्यालय कक्ष में बैठे थे उस समय श्री द्वारिका सिंह, प्रधानाचार्य रेवती इंटर कालेज, रेवती, बलिया श्री कन्हैया सिंह, एडवोकेट उनके कमरे में घुस आये तथा इन लोगों के साथ लगभग 50 अन्य व्यक्ति उनके कार्यालय में गये । इन लोगों ने श्री कपिलदेव सिंह को श्री चैनराम बाबा इंटर कालेज सहतवार, बलिया के प्रबन्धक के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय को बदलने के लिए मजबूर किया तथा एक टंकित पत्र उनके

सामने हस्ताक्षरार्थ रखा । इस ग्रुप के रुख को देखते हुए तथा इसकी धौंस में आकर एक अन्य विद्यालय के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में कुछ समय पूर्व श्री कपिलदेव ने अवैधानिक कार्यवाही करने के कारण इसके दबाव का प्रतिरोध करने का नैतिक बल अपने में नहीं पाया और अपने पूर्व आदेश को निरस्त कर दिया तथा सम्बन्धित पत्र की प्रतिलिपि उसे हस्तगत कराया । यह निरस्तीकरण आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया कार्यालय से विधिवत् निर्गत नहीं किया गया है, इस निरस्तीकरण की जो प्रतिलिपि इस कार्यालय में प्राप्त है उसमें सुनवाई की तिथि, स्थान तथा समय का कोई उल्लेख नहीं है । जांच से पता चला है कि इस ग्रुप ने बलपूर्वक अपने दबाव में लेकर श्री कपिलदेव सिंह से यह आदेश कराया है । श्री कपिलदेव सिंह ने इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी अथवा पुलिस को कोई सूचना नहीं दी ।

श्री कपिलदेव सिंह का दिनांक 20 फरवरी, 1982 का पत्र अन्तर्विरोधों से भरा हुआ है जो उनके द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 1982 को वर्णित घटना की वास्तविकता से परे होना सिद्ध करता है । ..... श्री कपिलदेव सिंह ने मेरे समक्ष दिनांक 8 मार्च, 1982 को दिये गये अपने मौखिक बयान में प्रथम बार इसका उल्लेख किया और यह भी कहा कि श्री शशिदत्त पान्डेय ने उन्हें बताया कि यदि वे दिनांक 20 फरवरी, 1982 को श्री पाठक जी से नहीं मिलेंगे तो श्री पाठक जी उनको गोली मरवा देंगे । श्री कपिलदेव सिंह ने अपने दिनांक 20 फरवरी, 1982 के पत्र में श्री शशिदत्त पान्डेय के माध्यम से गोली मारे जाने की बात ज्ञात होने का कोई हवाला नहीं दिया है । अपने इस पत्र में श्री कपिलदेव सिंह ने श्री पाठक जी की इस तथा कथित धमकी का उल्लेख केवल पेशबन्दी के लिए की है । ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने दूसरे पक्ष के दबाव तथा धमकी में आकर प्रबन्धक के सम्बन्ध में अपने निर्णय को संशोधित कर दिया था और अपने बचाव में उन्होंने यह रास्ता ढूंढा कि उनका पहला आदेश भी दबाव में किया गया था और इस मनगढ़न्त बात का उल्लेख उन्होंने इस पत्र में कर दिया । इसे घटना की संज्ञा नहीं दी जा सकती है क्योंकि दिनांक 20 फरवरी, 1982 को श्री बच्चा पाठक ने भेंट होने पर श्री कपिलदेव सिंह को न तो कोई धमकी दी और न गोली मारने की कोई बात उनसे कही और न प्रत्यक्षतः ऐसा कुछ श्री कपिलदेव सिंह ने श्री बच्चा पाठक को कहते स्वयं देखा या सुना । वस्तविकता तो यह है कि श्री कपिलदेव सिंह ने दिनांक 20 फरवरी, 1982 को उक्त पत्र शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को नहीं लिखा था अपितु उन्होंने अपने उक्त पत्र को वाराणसी में बैठकर दिनांक 22 फरवरी, 1982 को लिखा और वाराणसी से ही दिनांक 22 फरवरी, 1982 को रजिस्ट्री द्वारा उसे शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश को भेजा तथा उसकी प्रतिलिपि उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी को भी रजिस्टर्ड डाक से भेजा । यह तथाकथित घटना बेबुनियाद है और यदि ऐसी कोई बात रही तो श्री कपिलदेव सिंह दिनांक 22 फरवरी, 1982 को मंडलीय शिक्षा उप निदेशक, वाराणसी से अवश्य सम्पर्क स्थापित करते क्योंकि संदर्भित पत्र उन्होंने रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 22 फरवरी, 1982 को ही वाराणसी से स्वयं गन्तव्य स्थानों को भेजा ।"

5--उपरोक्त से सहकारिता राज्य मंत्री जी के स्पष्टीकरण की पुष्टि होती है ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन् इस सारे मामले का आधार आफिसिएटिंग डी० आई० ओ० एस०, बलिया का वह पत्र है जो उन्होंने अपने डिप्टी डायरेक्टर को लिखा है और आखिर में वे ही 3 लाइनें मैंने पढ़कर उस दिन सुनाई थी लेकिन जो वक्तव्य दिया गया है उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनसे उन चीजों को दबाने की कोशिश की जा रही है ।

तो क्या इस सारे विषय को जिसमें उनके मंत्रिपरिषद् के एक सदस्य का अनुचित तरीके से अपना प्रभाव इस्तेमाल करने में हाथ है, मुख्य मंत्री जी इस सारे मामले की जांच सी० बी० आई० द्वारा करवाने की कृपा करेंगे ? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस बात को देखते हुए कि इस वादविवाद का इस सदन के अन्दर समाधान हो सके क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस सारी घटना को जांच सी० बी० आई० से कराने की कृपा करेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

तथ्य बहुत स्पष्ट हैं अतः उस परिप्रेक्ष्य में सी० बी० आई० द्वारा जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री मोहन सिंह—

वक्तव्य पढ़ने से विरोधाभास प्रतीत हो रहा है । जो श्री कपिलदेव सिंह जी का पत्र है उसको इन्होंने डिनाई नहीं किया है । उनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वह पत्र उन्होंने बलिया से न लिखकर बनारस जाकर लिखा । सारा विवाद 1976 एवं 1979 की कमेटियों के बारे में है । 1976 की कमेटी के बारे में माननीय बच्चा पाठक के हक में फैसला हो गया था लेकिन 1979 के बारे में यह मामला जिला विद्यालय निरीक्षक को सुपुर्द कर दिया गया । तो जो वादी और प्रतिवादी थे, दोनों को, अवसर देकर कि कौन सी कमेटी जायज है और कौन नाजायज, इसका फैसला कर दिया लेकिन फैसले के दूसरे ही दिन अनुचित दबाव डलवाकर अपने पक्ष में फैसला करा दिया और जब दूसरे लोग पहुंचे तो उन्होंने अपने पूर्व के आदेश को स्थगित कर दिया ।

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि चूंकि यह मामला उनके मंत्रिपरिषद् के एक सदस्य से सम्बन्धित है जिनको कैबिनेट स्तर के अधिकार प्राप्त हैं तो इस प्रकरण की जांच जब आप उप-शिक्षा निदेशक के द्वारा करायेंगे तो सारे तथ्य सामने नहीं आयेंगे ।

जब आप इसकी जांच सी० बी० आई० द्वारा भी कराने को तैयार नहीं हैं तो क्या इसकी जांच इस सदन के सर्व दलीय समिति द्वारा करने पर विचार करेंगे जिससे सारे तथ्य सामने आ सकें ? मेरी जानकारी में आया है कि शिक्षा निदेशक और शिक्षा सचिव, दोनों ही उस पर दबाव डालते रहे कि श्री कपिलदेव सिंह अपना बयान बदल दें । जब उन्होंने नहीं बदला तो अपने साथी को बचाने के लिए मुख्य मंत्री जी ने एक वक्तव्य दे दिया । तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस आदरणीय सदन के सभी पक्षों के सदस्यों की एक समिति गठित करके इस सारे प्रकरण की छानबीन करने पर विचार करेंगे ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

माननीय मोहन सिंह जी स्वत: बड़े विद्वान आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, वे विद्यालयों के कानून को भी अच्छी तरह से जानते हैं, उनको मालूम है कि सन् 1976 में जो चुनाव हुआ बच्चा पाठक जी का .....

(व्यवधान)

आप मेरी बात सुन तो लें ।

श्री अध्यक्ष—

कृपया उन्हें कहने दें ।

श्री काशी नाथ मिश्र—

आप सारी बात पहले सुन लें । सन् 1976 में जब चुनाव हुआ तो इकतरफा मुकदमा करके उनको हटा दिया गया और उसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट तक गये, उस वक्त आपका शासन था,

(व्यवधान)

सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश हुआ कि वे नया वाद मुन्सिफ के यहां दायर करें और उस वाद म न्यायालय द्वारा 18 फरवरी, 1982 को उनके पक्ष में फैसला हुआ जिसे मैं पढ़ना चाहता हूं

(व्यवधान)

एक सदस्य—

वह तो आपने बता दिया अपने बयान में ।

(व्यवधान)

श्री काशी नाथ मिश्र—

सन् 1979 के निर्णय को मुन्सिफ ने नहीं माना ।

(व्यवधान)

बच्चा पाठक जी पर जब कोई आरोप होगा तभी तो उसकी जांच होगी, जांच आप किस चीज की चाहते हैं ?

(व्यवधान)

उन्होंने तो अपने पद का सदुपयोग किया है और इन्सपेक्टर आफ स्कूल से यह कहा कि वे न्यायालय के आदेश का पालन करें । जो आदमी ईमानदारी से न्यायालय के आदेश का पालन करने को कहेगा उसकी क्या आप जांच कराना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

माननीय मोहन सिंह जी ने जो प्रश्न किया उसके उत्तर के लिए मैं न्यायालय का फैसला पढ़ना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह सुनना नहीं चाहते । उस फैसले में यह कहा गया है कि जिला विद्यालय निरीक्षक को यह आदेश दिया जाता है कि वे इन-इन बिन्दुओं पर

[श्री काशी नाथ मिश्र--]

विचार करते हुए उचित कार्यवाही करेंगे और यह भी उस फैसले में कहा गया है कि श्री उच्चा पाठक ही उस विद्यालय के मान्य प्रबन्धक हैं और उनके चुने जाने की घोषणा की ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप उनको अपनी बात तो कहने दें ।

श्री मोहन सिंह--

निर्णय में तो यह कहा है कि 1979 के निर्वाचन की वैधानिकता अथवा अवैधानिकता का निर्णय करके वादी को उचित अनुतोष प्रदान करें । यही है उसमें । जो प्रश्न किया है उसका आप उत्तर दिला दें ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स को ही निर्णय करने के लिये कहा गया है ।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर मैय्या--

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न कर लेने दें ।

श्री अध्यक्ष--

आप सब लोग कृपया पहले बैठ जायें ।

श्री राम गोविन्द--

एक प्रश्न कर लेने दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें ।

सन् 1976 के सम्बन्ध में यह निर्णय हुआ और उसके बाद 1979 में जो चुनाव हुआ उसके बारे में यह निदेश हुआ कि इसको डी0 आई0 ओ0 एस0 देखें और इसका निर्णय करें । आप अपना फैसला पढ़ कर सुनाना चाहते हैं । आपका कहना यह है कि निर्णय जो सन 76 में हुआ था उसी के हक में फैसला हुआ और यह कहा गया कि यही उस विद्यालय के प्रबन्धक हैं, और 79 का फैसला जो करेंगे और तब तक यह वैध रहेगा और जब 79 का फैसला दूसरा हो गया, तब यह वैध नहीं रहेगा, अन्यथा तब तक यह रहेगा ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, चूंकि एक मामला एक माननीय मन्त्री जी से सम्बन्धित है । आपने तो जांच मंडलीय स्तर से कराई । शिक्षा निदेशक भी इसके कम्पीटेंट एथारिटी नहीं हैं । मैंने माननीय मन्त्री जी से, माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह स्पष्ट जानकारी चाही, इसलिये कि जो आदरणीय सदन की एक सर्वदलीय समिति बना कर कोई जांच कराये, जिससे कि जो इनके मन्त्री के ऊपर कथित दोष है, वह स्पष्ट हो जाय ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

माननीय, जहां तक सर्वोच्च सदन की सर्वदलीय समिति से गठन का प्रश्न है, उसमें दो राय नहीं है, यह सदन सर्वोच्च है, कोई भी मन्त्री या कोई किसी पद पर हो, तो उसका व्यवहार या कोई भी कार्य किसी सन्देह के घेरे में नहीं आना चाहिये। साथ ही साथ, माननीय, इतने सर्वोच्च जहां पर अधिकारी निहित हों, यह भी इसलिये आवश्यक है कि उसका प्रयोग सम्यक् हो सके और उस सम्यक् ढंग के परिप्रेक्ष्य में मैं माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो न्यायालय का निर्णय श्री बच्चा पाठक के पक्ष में तथ्य, फिर आरोप प्रथम बार जो आया कि दबाव डालकर, धमकी देकर आदेश कराये गये, तो यह भी माननीय सदस्य विचार करें कि अगर वह धमकी धारकर ही रहतो, तो निरस्त कैसे हो गया। दूसरे वह निरस्त हो जाने से या तो सत्य हो ही गया कि श्री बच्चा पाठक की धमकी का प्रभाव नहीं रहा। तत्पश्चात् माननीय, यह भी इसमें विचारणीय है कि वही अधिकारी यह कहता है कि बच्चा पाठक ने फिर नहीं कहा, कहलवाया। अब ऐसा प्राइमाफेसी केस सामने आवे, जिसके अन्दर इतनी वह परिस्थितियां सामने आवे, मन्त्री जी ने स्वयं, स्वतः साबित कर दिया। जहां पर शक्ति और न्याय निहित हो एक प्राइमाफेसी बात स्पष्ट हो गयी कि उसमें मन्त्री का हाथ नहीं है। तो उसके पीछे एक समिति बनाना उपयुक्त न होगा।

श्री राम गोविन्द—

माननीय, माननीय सूचना राज्य मन्त्री, जो कोर्ट का आदेश आपने पढ़ा, अलग से उसके सम्बन्ध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसी आदेश में मुंसिफ लिखा है वाद फलहीन नहीं है। वाद का फलहीन होना या न होना 1979 के न्यासीगरो परिषद् और प्रबन्ध समिति के वैधानिक अथवा अवैधानिक चुनाव पर निर्भर करता है। श्रीमन् उसी में मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने यह कहा है कि 1979 की कमेटी की वैधानिक अथवा अवैधानिक के निर्णय करने के बाद वादी के पक्ष या विपक्ष में निर्णय देंगे। श्रीमन्, 1976 की कमेटी का वाद था, मुंसिफ के कोर्ट में वह वाद चल ही रहा था, तो फिर से चुनाव हो गया।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना प्रश्न कीजिये। आप क्या प्रश्न करना चाहते हैं?

श्री राम गोविन्द—

मैं प्रश्न कर रहा हूं, श्रीमन्। यह संदर्भ था आप भी जान लीजिये श्रीमन्। 1979 का जो चुनाव हुआ है, इन्सपेक्टर आफ स्कूल उसकी वैधानिकता और अवैधानिकता का निर्णय करके उचित निर्णय दें, यह फैसला में था। उसमें यह होना चाहिये था कि वादी बच्चा पाठक प्रार्थना-पत्र देते कि मैं जीत गया हूं, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—

आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री राम गोविन्द--

श्रीमन्, आप सुन लें। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या 1979 की कमेटी की वैधानिकता और अवैधानिकता की जांच सब इन्स्पेक्टर द्वारा की गई ? यदि की गई तो किस तरह से की गई और जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, जो उन्होंने पढ़ा है उसी के आगे थोड़ा सा पढ़ दूं तो यह साफ हो जायेगा। इसमें आगे कहा गया है कि "उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि निर्वाचन की वैधानिकता अथवा अवैधानिकता के निर्णय के बारे में जिला विद्यालय निरीक्षक को पूर्ण अधिकार दिया गया। अतः इस विषय में न्यायालय के न्याय निर्णय की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती वाद फलहीन नहीं है। वाद का फलहीन होना या न होना 1979 के न्यासधारी परिषद् और प्रबन्धक समिति के वैधानिक अथवा अवैधानिक चुनाव पर निर्भर करता है। जिला विद्यालय निरीक्षक इस निर्णय के अन्तिम अधिकारी हैं। अतः यह अपेक्षा की जाती है कि वाद विन्दुओं के निस्तारण के निष्कर्ष को दृष्टिगत रखते हुये जिला विद्यालय निरीक्षक 1979 की निर्वाचन के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेंगे और तदनुसार वादी को प्रबन्धक की मान्यता प्रदान करेंगे एवं शीघ्र नया निर्वाचन सम्पन्न करायेंगे। इस न्यायालय द्वारा वादी का निर्वाचन वैध घोषित किया गया है और वादी को निर्णय के दिन तक कानून की निगाह में विधिवत् चुना हुआ प्रबन्धक समझा जायेगा जब तक कि पुनः दूसरा विधिवत निर्वाचन न हो जाय।"

श्री मोहन सिंह--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि उस दिन जो प्रकरण आया था वह यह प्रकरण आया था कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने जो पत्र शिक्षा निदेशक को लिखा है उसमें कहा है कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि अगर तुम हमारे पक्ष में फैसला नहीं करोगे तो तुम्हें पेड़ में बधवा कर गोली मरवा दूंगा। बहस इसकी चल रही थी मैं आपकी व्यवस्था इस पर चाहूंगा कि जो मामला था आपकी पीठ से निर्णय हुआ था कि यह सत्ता का दुरुपयोग है। मिसयूज आफ पावर है। जब आप की पीठ से निर्णय हो जाय तो वह सम्पूर्ण सदन का निर्णय माना जाता है। माननीय उपाध्यक्ष ने टिप्पणी की थी कि यह सत्ता का दुरुपयोग है। जब आपकी पीठ से निर्णय हो जाये तो पूरे सदन का निर्देश माना जाता है। क्या ऐसी स्थिति में सदन का निर्देश मानते हुये माननीय मुख्य मन्त्री जी माननीय मन्त्री को अपने मन्त्रि मण्डल से च्युत करेंगे ?

श्री रियासत हुसैन--

बड़े खेद की बात है हमारे विचार में कहां-कहां किस किस कोर्ट ने क्या आदेश दिया उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। उसका निर्णय अथारिटीज कोर्ट करेगी। यहां प्रश्न यह है कि मंत्रि परिषद् के एक माननीय सदस्य ने मिसयूज आफ पावर किया। इतना हमारा प्रश्न है। मैं यह चाहता हूं और उसी से सम्बधित एक वक्तव्य आया है और एक खत डी0 आई0 ओ0 एस0 ने लिखा है। उससे सम्बन्धित करते हुये हमको प्रश्न की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न तो आप कर ही रहे ह ।

श्री रियासत हुसैन--

कोर्ट ने क्या निर्णय दिया इससे हमारा कोई मतलब नहीं है । हमको तो मिसयूज आफ पावर पर स्पष्टीकरण दिलवा दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा सवाल था, मैं खड़ा हुआ लेकिन मेरे ऊपर दृष्टि नहीं डाली। मैं इसमें कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं । आप जितनी बार खड़े होते हैं मैं आपको बुलाता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा अधिकार था इसलिये मैं खड़ा हुआ था । मैं पहली बार खड़ा हुआ था और आपने संकेत किया था । मैं अनावश्यक नहीं खड़ा होता हूं और अनावश्यक व्यवधान नहीं पैदा करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

हमेशा यह सम्भव नहीं हो सकता है कि जितने लोग खड़े हों उन सबको बुला लिया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मुझे दुख है सदन की परम्परा है कि पहले सूचना में जिसका नाम होता है उसको पहले मौका दिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं । ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिसका सूचना में पहला नाम होगा, दूसरा या तीसरा नाम होगा तो उसके अनुसार उसको बुलाऊं, यह कोई प्रतिबन्ध नहीं है । इस बार नाम छूट जाने पर कह रहे हैं कि बार-बार खड़ा हुआ और खड़ा होना मेरा अधिकार है, लेकिन मुझे नहीं बुलाया ।

जहां तक अधिकार की बात है तो मैं सबसे कम अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं आपके अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप अपने अधिकार को भी सीखें और कम प्रयोग करें । यदि भूल हो जाय तो उसमें भी कुछ उदारता का आप परिचय दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जो कटु हो ।

श्री अध्यक्ष--

कोई व्यक्ति कटु कहकर क्रोध जाहिर करता है, कोई उच्च स्वर से और कठोरता से कहकर क्रोध जाहिर करता है । यह तो सभ्यता का परिचय है, लेकिन आपका कठोरता व्यक्त करने के लिये मैंने कोई अवसर नहीं दिया था ।

संक्षिप्त कार्यवाही में केवल इतना लिया है कि "श्री उपाध्यक्ष ने कहा कि उपर्युक्त विषय पर शासन का पक्ष देखते हुये ऐसा लगता है कि पद के दुरुपयोग का प्रश्न है । अतः उन्होंने संशय के निवारण हेतु यह कहा कि उक्त विषय पर मुख्य मंत्री वक्तव्य दे दें ।"

इसमें कोई उनकी राय नहीं है । उन्होंने अभिव्यक्त नहीं किया है कि दुरुपयोग है । उन्होंने कहा कि पद के दुरुपयोग का प्रश्न है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जो वक्तव्य है वह सिद्ध करता है कि शासन द्वारा दबाव डालकर काम कराया गया है । मान्यवर, इश्यू यह था कि जो मंत्री जी की कार्यशैली है एक प्रशासनिक अधिकारी से काम कराने का वह ठीक है कि नहीं । इस सम्बन्ध में इनके वक्तव्य में 8-3-82 को पटेन जिला विद्यालय निरीक्षक ने बयान दिया था, जिसका फोटो स्टेट कापी है, उसमें जो तथ्य दिये हैं उसमें मैं जानना चाहता हूं कि उनके बयान के बाद वह कौन आधार थे कि जिसके विपरीत यहां वक्तव्य दिया गया ?

मान्यवर, मैं उस फोटो स्टेट कापी से कुछ वाक्य पढ़कर सुनाना चाहता हूं । श्री कपिल देव कहते हैं कि--"मैंने जिलाधिकारी से कहा था कि किसी दूसरे को चार्ज दिलाकर मेरा हस्ताक्षर प्रमाणित करा दिया जाय । माननेय मंत्री जी के हस्ताक्षर कागजों पर बने थे । एक पेज कागज पर कुछ टाइप भी किया गया था । डाक बंगले में उस समय बिजली नहीं थी । मुझसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह कोर्ट का आदेश हुआ है इसे आप पढ़ लीजिये और मेरे हस्ताक्षर प्रमाणित कर दीजिये । मैंने कोर्ट का आदेश पढ़ा । अंतिम पंक्ति के बारे में मुझे कुछ अस्पष्टता मालूम हुयी फिर भी उस समय मैंने कुछ और समय पत्रावली देखने के लिये मांगना उचित नहीं समझा क्योंकि माननेय मंत्री जी के कुपित होने की सूचना मुझे मिल चुकी थी और मेरे कुछ कहने से वे डाक बंगले पर मुझसे पुनः कुपित हो सकते थे ।

हस्ताक्षर प्रमाणित होने के बाद चाय मंगायी गयी । मान्यवर, मंत्री जी ने क्षमायाचना भी की है । आगे है कि--"माननेय मंत्री जी ने मुझसे कहा कि आपके कल नहीं मिलने से मुझे बहुत परेशानी हुयी थी और मैंने आपके बारे में कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिये था ।" तो मान्यवर, यह कपिल देव का बयान है । मान्यवर, इसके आधार पर उप शिक्षा निदेशक ने रिपोर्ट दी और वह सदन में पढ़कर सुनायी गयी । तो मान्यवर, मोहन सिंह जी ने और रियासत हुसैन साहब ने जो सवाल किया था मैं उस पर पुनः बल देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जो वक्तव्य पढ़ा गया है वह सत्य से परे और निरर्थक

है । सदन की कमेटी बनाने के लिये और सी0 बी0 आई0 से जांच कराने के लिये तैयार नहीं हैं ।

तो मैं जानना चाहता हूं कि जो बयान 8 तारीख को श्री कपिल देव सिंह ने दिया है और जो रिपोर्ट बनाकर भेजी गयी है इन दोनों को मिलाकर एक एजेंसी जो माननीय मंत्री जी से बड़ी हो, मैं मांग करता हूं कि यह सब पत्रावलियां माननीय अध्यक्ष जी के पास भेज दें । उप शिक्षा निदेशक की जो टिप्पणी है वह आप माननीय अध्यक्ष जी के पास भेज दें । पूरे तथ्यों से जो निर्णय हों क्या उससे अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैंने प्रश्न किया है ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, मुझे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं । पहले व्यवस्था के प्रश्न पर मेरा निर्णय हो जाय ।

आपने इसी प्रकरण से सम्बन्धित बातें दोहरायी हैं । सारे प्रकरण में दो प्रश्न आपने किये कि इसकी जांच सी0 बी0 आई0 से करायी जाय और दूसरा प्रश्न उठा कि इसकी जांच सदन की समिति से करायी जायगी या नहीं । इसके संदर्भ म एक प्रश्न उठा कि यह इसलिये कहा जा रहा है कि इस पीठ से यह बात हो गयी है कि इसमें दुरुपयोग का प्रश्न उठता है । इसी संदर्भ में आपने दो पत्र पढ़े । जहां तक इस पीठ से इस तरह की अभिव्यक्ति का प्रश्न है तो मैंने आपको संक्षिप्त वाली कार्यवाही पढ़कर सुनायी थी । दूसरा जो विवरण है उसमें भी केवल आशंका की बात कही गयी है । कहीं अभिव्यक्ति नहीं की गयी है ।

श्री मोहन सिंह--

हम लोगों ने पूरे कान खोल कर सुना था । मैं आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन मुझको खेद है कि कार्यवाहियां सही, पूरी नहीं लिखी जातीं । इस पर मुझको खेद है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको पूरा पढ़कर के सुना देता हूं ।

"जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का बजट आने वाला है । 17-18 तारीख को ।

(व्यवधान)

[श्री अध्यक्ष---]

जब तक बात पूरी न हो तब तक आप लोग न बोलें । इन तमाम विषयों को देखते हुये और शासन की बात सुनते हुये मेरे दिमाग में जरा भी संशय नहीं रह गया है कि पद का दुरुपयोग हुआ है । इसलिये शासन से मैं अपेक्षा करूंगा

(व्यवधान)

इसको पूरा पढ़ रहा हूं, आप सुन लीजिये ।

"मैं अपेक्षा करूंगा कि वह और तथ्यों की जानकारी करके और माननीय मुख्य मंत्री जो इस पूरे शासक दल के नेता हैं, वह इस पर अपना वक्तव्य दें ताकि हमारे सदस्यों के मन में और उनके माध्यम से प्रदेश की जनता के मन में जो एक आशंका की भावना उत्पन्न हो रही है, वह दूर हो और वह तभी हो सकेगी जब पूरे तथ्यों की जानकारी सामने आ जाय । आप सबने तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया, लेकिन एक पक्ष का तथ्य सामने नहीं आया । इसको देखते हुए मैं ऐसा सोचता हूं कि इस पर काम रोको प्रस्ताव के बजाय मुख्य मंत्री द्वारा इस पर वक्तव्य आना चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि इस पर वक्तव्य कब आ रहा है ।"

श्री रियासत हुसैन---

कोई शक नहीं रह गया, स्पष्ट रूप से उन्होंने अपनी राय जाहिर की है ।

श्री अध्यक्ष---

"जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का बजट आने वाला है 17-18 तारीख को

(व्यवधान)

जब तक बात पूरी न हो तब तक आप लोग न बोलें । इन तमाम विषयों को देखते हुए और शासन की बात को सुनते हुए मेरे दिमाग में जरा भी संशय नहीं रह गया है कि पद का दुरुपयोग हुआ है ।" नीचे वाले हिस्से को बाद में पढ़ें . . .।

"इसलिये शासन से मैं अपेक्षा करूंगा कि वह और तथ्यों की जानकारी करके और माननीय मुख्य मंत्री जो इस पूरे शासन दल के नेता हैं वह इस पर अपना वक्तव्य दें ताकि हमारे सदस्यों के मन में और उनके माध्यम से प्रदेश की जनता के मन में जो एक आशंका की भावना उत्पन्न हो रही है वह दूर हो और वह तभी हो सकेगी जब पूरे तथ्यों की जानकारी सामने आ जाय । आप सब ने तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया, लेकिन एक पक्ष का तथ्य सामने नहीं आया । इसको देखते हुए मैं ऐसा सोचता हूं कि इस पर काम रोको प्रस्ताव के बजाय मुख्य मंत्री द्वारा इस पर वक्तव्य आना चाहिये ।"

यह पूरे का पूरा स्टेटमेन्ट है और आपका कथन भी इस हद तक सही है कि ऊपर स्पष्ट एक बात आयी है कि पद के दुरुपयोग का सन्देह नहीं है परन्तु पुनः उसी सन्दर्भ में जो और बातें कही गई हैं, उनसे स्पष्ट है कि जब शासन का पक्ष आपके सामने आ जाय तभी आशंका दूर हो सकेगी । शासन ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते समय स्पष्ट रूप से कहा कि पद का दुरुपयोग नहीं

किया गया । आपने दो-दो प्रश्न पूछे कि क्या सी० बी० आई० से या सदन की कमेटी से जांच कराना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं कोई प्रश्न नहीं है ।

(श्री गौरी शंकर भैय्या का नाम पुकारे जाने पर)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जिसमें सदन को कोई सन्देह न रहे, जहां तक सी० बी० आई० और सदन की कमेटी से जांच की बात है, जांच से सरकार मुकर नहीं रही है । यहां के मन्त्रियों और हम लोगों का चरित्र सन्देह से परे होना चाहिए । जांच इसलिए भी आवश्यक है कि कोई आदमी अगर दो-तीन बार अपना बयान बदलता है तो उसपर भी गहराई में जाने की बात है ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मा० राज्य मन्त्री बच्चा पाठक ने कार्यवाहक जिला विद्यालय निरीक्षक को पेड़ में लटकाकर गोली मारने की बात कही या नहीं, हमारे पास इसका पक्का प्रमाण है कि श्री बच्चा पाठक ने गोली मारने की बात कही है । आवाज बेसिक शिक्षा अधिकारी की है, जिसमें उसने यह कहा है कि पाठक जी ने उसको गोली मारने की बात कही है । मैं उस टेप को लदन में सुना सकता हूं, नहीं तो आप कार्यालय में सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष --

माननीय सदस्य बैठ जायं ।

(कई सदस्यों के आपस में वार्तालाप करने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं और शान्त रहें ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, इस टेप को आप अपने कक्ष में ही सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष --

आप बैठ जाइये ।

एक सदस्य--

इसमें फर्जी आवाज भर कर ले आये हैं ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, उधर के कुछ सदस्य कह रहे हैं कि इसमें फर्जी टेप किया हुआ है तो मान्यवर, आप इसे सुन ही लीजिए ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, इसे आप सुन लीजिए । यहां न चाहें सुनना तो अपने कक्ष में सुन लीजिए कि यह टेप फर्जी है या नहीं है । या आप चाहें तो इसे पूरा हाउस सुन ले । मान्यवर, बाद में यह बयान बदलवाया गया है । आपको इसे सुन लेने में क्या एतराज है ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये ।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

इसमें साफ है कि डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स ने कहा है कि यह शासन भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश कर रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जाइये ।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

आप मान्यवर, कृपया इसे सुन लें ।

श्री मोहन सिंह—

राज्य सभा में एक बार टेप सुनाया जा चुका है ।

श्री अध्यक्ष —

आप लोग कृपया शान्त रहें । इसमें जितने प्रश्न उठे थे, सब प्रश्नों के अन्त में यह बात आयी कि आप कहते हैं कि दुरुपयोग नहीं हुआ है और ये कहते हैं कि हुआ है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मान्यवर, एक मिनट । इसमें केवल एक बहुत नम्र अनुरोध करूंगा आप इनसे एक प्रश्न पूछ लें माननीय सदस्य से कि उसमें क्या बच्चा पाठक की रिकार्डिंग है ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये । मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रहा हूं ।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

हां, इसमें उनकी रिकार्डिंग मौजूद है ।

श्री अध्यक्ष —

आप बैठिये । माननीय मुख्य मंत्री ने कहा है, मैंने तो पूछा नहीं है । कृपया आप सब शान्त हो जाइये ।

मैंने अभी आपसे यह निवेदन किया कि दुरुपयोग के प्रश्न पर वक्तव्य हुआ उसमें कहा गया कि दुरुपयोग नहीं किया गया है । उसके पढ़ने के पश्चात आप लोगों ने प्रश्न किया, हो सकता है कि उससे आपका समाधान न हुआ हो । मैं कोई इसमें निर्णय नहीं देने जा रहा हूं कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, यह प्रश्न उठाया गया है । जहां तक इसकी इनक्वायरी का प्रश्न है, दो तरह की इनक्वायरी की आपने मांग की । उसके बाद नेता सदन ने खड़े होकर कहा कि उसकी हम जांच करायेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जांच किससे करायेंगे, यह तो उन्होंने बताया नहीं ।

श्री अध्यक्ष —

आप सुनिये तो शान्त होकर । यह उन्होंने कहा कि हम जांच करायेंगे । अब किससे जांच करायेंगे, यह बात उन्होंने नहीं कही । जहां तक टेप के सुनने का प्रश्न है तो जो जांच करेगा, उसे आप सुनाइयेगा, यहां इसे सदन में सुनने की आवश्यकता नहीं है ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों का थपथपाया जाना ।)

(अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होने तथा श्री रियासत हुसैन का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, एक सवाल मैंने किया था, या तो आप उसे डिसएलाऊ कर दें ।

मान्यवर, मैंने यह कहा था कि ये जो माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है यह पहले से ज्यादा असत्य बयान है.....

श्री नकली सिंह—

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष —

आप बैठ जायें ।

(व्यवधान)

मैं आप से इतना निवेदन कर दूं कि आप बैठे रहें कृपया । अगर कोई व्यवस्था का प्रश्न हो तब तो उठें वरना बैठे रहें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, कपिलदेव सिंह का 20 तारीख का पत्र था । उसमें जांच हुई और जांच के सम्बन्ध में कपिलदेव सिंह ने जो बयान दिया था वह 3 मार्च के पत्र में है और उसके आधार पर उप शिक्षा निदेशक ने रिपोर्ट दी । वही मैं सदन में पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । उसकी कुछ विसंगतियों के बारे में मैं पढ़ देना चाहता हूं जिसमें कपिलदेव सिंह ने जो दुबारा बयान दिया था उसमें फिर आरोप लगाया है कि मंत्री जी ने, बच्चा पाठक ने दोबारा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया शान्त रहें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह फोटो स्टेट कापी है । आपको दे दूंगा ।

(व्यवधान)

मान्यवर, इनके खिलाफ है यह इसलिए सुनना नहीं चाहते....

(व्यवधान)

श्री नकली सिंह--

मुझे एक मिनट सुन लीजिए, मान्यवर,....

श्री अध्यक्ष--

आप अपना प्रश्न करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, अगर मैं इसे उद्धृत नहीं करूंगा तो मेरा प्रश्न नहीं बनेगा । इसलिए मैं इसको उद्धृत करना चाहता हूं । उस जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा कि एक पेज टाइप किया हुआ कागज रखा हुआ था । डाक बंगले में उस समय बिजली नहीं थी । मने आदेश पढ़ा जो मंत्री जी ने लिख कर दिया था । उसकी अन्तिम पंक्ति के बारे में मुझे कुछ अस्पष्टता मालूम हुई फिर भी उस समय मैंने कुछ और समय पत्रावली देखने के लिए मांगना उचित नहीं समझा क्योंकि माननीय मंत्री जी के कुपित होने की सूचना मुझे मिल चुकी थी और मेरे कुछ कहने से वे डाक बंगले पर मुझसे पुनः कुपित हो सकते थे । हस्ताक्षर प्रमाणित होने के बाद यही बात बताई गई । मंत्री जी ने मुझसे कहा इसमें, माननीय मंत्री जी ने क्षमा भी मांगी है, इसमें मन्त्री जी ने कहा कि आपके कल न मिलने से मुझे परेशानी हुई और मैंने आपके बारे में कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था । तो यह देखते हुए जो डी0 आई0 ओ0 एस0 का लिखित बयान है और जो निष्कर्ष निकाला गया उससे सिद्ध होता है कि उस पर दबाव डाला गया तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी, सी0 बी0 आई0 से नहीं इस सदन की कमेटी से नहीं, आपको सब पत्रावली भेज कर, आपसे इस मामले में जांच कराने की कृपा करेंगे ? मैं आपकी जांच से सन्तुष्ट हो जाऊंगा ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, जहां तक आपको पत्रावली दिखाने का सुझाव है उससे शासन को कोई भी आपत्ति नहीं है । लेकिन यह भी विचारणीय बिन्दु है कि वह अधिकारी मंत्री जी के कुपित होने के संदेह से भयभीत है, लेकिन मंत्री जी के कोप का कोई भी लक्षण नहीं दिख रहा है । बहरहाल कोप का लक्षण नहीं है लेकिन यह विरोधाभास सा है । चूंकि यह कहा गया है कि इसको गहराई में जाया जायेगा इसलिये उचित नहीं है कि मैं निष्कर्ष को घोषित करूं । लेकिन केवल ध्यान आकर्षित करने के लिये कहा गया है, आपके समक्ष पत्रावली भेजने व उसे आपको दिखलाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

अब इसे समाप्त कीजिये।

श्री रियासत हुसैन---

आपने मेरा नाम लिया था, मुझे तो एक प्रश्न कर लेने दें।

(व्यवधान)

श्री सच्चिदानन्द---

मान्यवर, हम लोगों को भी तो सवाल पूछने के लिये समय दिया जाय।

श्री रियासत हुसैन---

मैं माननीय मुख्य मंत्री जो से अपने एक प्रश्न का उत्तर हां या ना में चाहूंगा।

माननीय बच्चा पाठक एक तो मंत्री के रूप में हैं और इस सदन के प्रति जवाब देह हैं और दूसरे रूप में श्री बच्चा पाठक किसी संस्था के मैनेजर हैं, जो उनका व्यक्तिगत मामला है। माननीय बच्चा पाठक चाहे एम0 एल0 ए0 हों या किसी स्कूल के मैनेजर हों, वह उनका व्यक्तिगत मामला है। तो इन दोनों बातों को देखते हुए और यह देखते हुए कि माननीय बच्चा पाठक न तो शिक्षा के विभाग से सम्बन्धित है....

(व्यवधान)

श्री पंचानन राय---

मान्यवर, इन्होंने बेहूदा शब्द कहा है, इसको कायवाही से तो निकलवा दें।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन---

यह देखते हुए कि माननीय बच्चा पाठक न तो शिक्षा विभाग से सम्बन्धित हैं और न उनको आपने उस डिवीजन का मंत्री ही मुकर्रर किया है, न उस डिवीजन से सम्बन्धित मंत्री हैं लेकिन फिर भी माननीय बच्चा पाठक ने उस सर्किट हाउस में एक दूसरे विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों को बुलाया और बुला करके उनसे अपने कुछ व्यक्तिगत, मैनेजरशिप से सम्बन्धित मामले के बारे में कहा, इस रूप में कि वे मंत्रि परिषद् के एक मंत्री हैं, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी माननीय बच्चा पाठक के इस सारे कार्यों को मिस्यूज आफ पावर समझते हैं या नहीं समझते हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

मान्यवर, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया और संसदीय प्रणाली में मंत्री का एक दायित्व और अधिकार है। संयुक्त जिम्मेदारी के आधार पर विभागों का वितरण सुविधा के लिये होता है। जिम्मेदारी सामूहिक है। इसलिये यह कहना, इस तरह विभेद का आधार नहीं बनता है। जहां तक दुरुपयोग का प्रश्न है न्यायालय के निर्णय के प्रति किसी अधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराना, मैं समझता हूं मिस्यूज आफ पावर नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि माननीय बच्चा पाठक ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि के लिये व्यक्तिगत रूप से एक संस्था से सम्बन्धित होने पर भी अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया और दूसरे विभाग के अधिकारियों पर जोर डाला जिसे माननीय मुख्य मंत्री जी सत्ता का दुरुपयोग नहीं समझते हैं, इसके विरोध में जनता पार्टी सदन का त्याग करती है।

(श्री रियासत हुसैन जनता पार्टी के सदस्यों सहित सदन का त्याग कर चले गये।)

(श्री गौरीशंकर भैथ्या तथा श्री राम गोविन्द ने वक्तव्य की प्रति फाड़ कर सदन के फ्लोर पर फेंकी और सदन से बाहर चले गये)

(1 बजकर 20 मिनट)

(शोर)

श्री मोती लाल देहलवी--

एक मिनट सुन लें।

(व्यवधान)

श्री पंचानन राय--

ये न्यायालय के निर्णय का अपमान कर रहे हैं।

(शोर)

मैं लगातार चेष्टा कर रहा हूं। एक बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इनको बुला लिया है..

श्री पंचानन राय--

मुझे भी तो अवसर मिलना चाहिये...

श्री मोती लाल देहलवी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बड़ी गंभीर परम्परा पड़ रही है। मंत्रियों के विरुद्ध गंभीर से गंभीर आरोप लगते हैं। चाहिये तो यह था माननीय मुख्य मंत्री जी को कि यहां पर घोषणा करते कि जब तक जांच चलेगी या फाइल आप देखेंगे तब तक वह मंत्री के पद पर नहीं रहेंगे अन्यथा

(शोर)

मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणा करने को तैयार हैं कि नहीं इसका औचित्य नहीं है कि पद परे बने रहें..

(व्यवधान)

श्री बिहारी लाल--

28 महीने की सरकार में यही किया था।

श्री पंचानन राय—

यह सवाल पूछ रहे हैं या भाषण हो रहा है, आपने सवाल पूछने की अनुमति दी थी। यह भाषण का विषय नहीं है..

(श्री मोती देहलवी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)।

श्री पंचानन राय—

मैं सवाल पूछ रहा हूं। ऐक्ट में प्राविधान है कि..

(घोर व्यवधान)

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कुछ कहते हुए अपने दल के सभी सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री पंचानन राय—

न्यायालय ने निर्णय दिया है कि बच्चा पाठक को प्रबन्धक घोषित किया जाता है। ऐसा कोई प्राविधान विधि में नहीं है कि कोई मंत्री प्रबन्धक नहीं हो सकता। इसी सदन के माननीय राम नरेश जी लगातार मुख्य मंत्री के पद पर होते हुए प्रबंधक रहे। अब इसी सदन ने यह कानून बना दिया ह कि अगर प्रबन्धक के दो दावेदार होंगे तो उप शिक्षा निदेशक निर्णय लेंगे। बच्चा पाठक को 1976 के चुनाव के अनुसार प्रबंधक तब तक रहने का अधिकार था जब तक 1979 के चुनाव के बारे में उप शिक्षा निदेशक निर्णय न करे। इस में पद का दुरुपयोग करने का प्रश्न कहां उठता है? मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

माननीय अध्यक्ष जी, एक प्रश्न। माननीय मुख्य मंत्री जी के मंत्रि मंडल से संबंधित यह मामला है। माननीय मुख्य मंत्री जी बच्चा पाठक को बचा रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी को प्रदेश की जनता और सब ईमानदार कहते हैं, अच्छे, आदमी हैं, लेकिन माननीय बच्चा पाठक का मामला सामने आया तो सारा मंत्रि-मंडल बदनाम हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है आपके माध्यम से..

श्री अध्यक्ष—

विष्ट जी, बैठ जाइये

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

आप बेदाग रहना चाहते हैं तो मामले की जांच..

(शोर)

इस मामले को लेकर मैं सदन का त्याग करता हूं..

(जसवन्त सिंह विष्ट सदन का त्याग कर चले गये)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

(1 बजकर 29 मिनट)

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 में सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, राम आसरे वर्मा, प्रदीप कुमार यादव, कुबेर भन्डारी, खैरुल बशर, माता प्रसाद पान्डेय, मुख्तार अनीस की चारो सूचनायें हैं इनमें पहली तीन सूचनायें अस्वीकृत हुई । चौथी सूचना जो सर्वश्री खैरुल बशर, माता प्रसाद पांडेय, मुख्तार अनीस, की जनपद आजमगढ़ के मऊनाथ भंजन में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में है, इसकी ग्राह्यता के बारे में दो बात सुनना चाहते है ..

श्री राम आसरे वर्मा--

एक-एक बात सब की सुन लीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने श्री खैरुल बशर को बुलाया है, उसके बाद आप कहियेगा..

श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, मऊनाथ भंजन के श्री राम गोपाल खंडेलवाल ने जो तार दिया है, जो कि वहां पर नगरपालिका के 12 साल तक अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के नेता रहे हैं, उसमें लिखा गया है कि उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ है । मामला इस प्रकार है कि वहां पर पुलिस के लोग सिनेमा देखना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने 35 पास मांगे । उनको यह पास न दिए जाने पर उन्होंने सिनेमा हाल के अन्दर सिनेमा के मालिक को लाठी से पीटा । जब सारे नगर के लोग उनको डाक्टर के पास ले जा रहे थे तो उनके ऊपर थाने के सामने लाठी चार्ज कर दिया और इस तरह से श्री राम गोपाल खंडेलवाल तथा वहां कुछ प्रतिष्ठित लोग घायल हो गए । इसी बिना पर वहां बाजार बन्द हो गया । कल भी वहां बाजार बन्द था और आज भी है । लोग हड़ताल कर रहे है । इसलिए मान्यवर, इस लोक महत्व के प्रश्न पर आप अवश्य चर्चा करा दें । मान्यवर, राम गोपाल खंडेलवाल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं । 70 साल की अवस्था के हैं, ऐसे व्यक्ति पर लाठी चार्ज किया जाय, इस तरह के निन्दनीय आचरण पर आप हमारा कार्य-स्थगन स्वीकार कर लें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैंने कार्य-स्थगन का प्रस्ताव दिया है वह यह है कि सत्ता दल के एक युवा नेता आपके ही विधान सभा भवन के सामने कल से आमरण अनशन पर बैठे हैं । मान्यवर, उनकी कुछ मांगे हैं और उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं...

श्री अध्यक्ष--

अनशन करना या आमरण अनशन करना यह उनका स्वतः का कार्य है । उनका अपना जो कार्य है, उस पर कोई कार्य-स्थगन का प्रस्ताव नहीं आ सकता । कार्य-स्थगन के सभी प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, उनकी मांग क्या हं, मैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं । माननीय सहकारिता मंत्री ।

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि...

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, यह कुछ नहीं लिखा जायेगा और अब आगे आप जो बोलेंगे वह भी कुछ नहीं लिखा जायेगा । आप बैठ जायं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

[× × ×]

(व्यवधान)

1982-83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 64--सहकारिता विभाग

[1 बजकर 32 मिनट]

*सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64--सहकारिता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,12,53,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, भारतीय अर्थ-व्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक क्रांति जो हुई है उसमें सहकारिता का बहुत बड़ा अंश है । जितनी भी हमारी आर्थिक उन्नति हुई है वह सब सहकारिता के माध्यम से हुई है । अभी-अभी हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि देश से गरीबी और बेरोजगारी तथा निर्बल वर्गों की सहायता की जाय । यही भावना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की थी जिसको कि पंडित

[×××]यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बच्चा पाठक--]

जवाहर लाल नेहरू जी ने मूर्तरूप दिया । उस समय सहकारिता का जन्म हुआ और इससे जो ग्रामीण अंचल के लोग थे, गरीब थे, निर्बल थे और गांवों में जो साहूकार हुआ करते थे जोकि इन लोगों को प्रताड़ित करते थे, उनको सहकारिता के माध्यम से ऋण तथा बीज आदि का वितरण कराया गया जिससे गरीबों को राहत मिल सके । मान्यवर, सन् 1981 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सहकारिता के जरिये से अपनाया गया । और हमने देखा पूरे प्रदेश ने देखा कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यक्तिगत लोगों के हाथों में थी जिनके द्वारा गरीबों तक वह सामग्री नहीं पहुंचती थी, सहकारिता के माध्यम से यह वितरण प्रणाली चलाकर वह सामग्री आम लोगों तक पहुंचाई जाने लगी । सन् 1981 में एक अरब 11 करोड़ रु0 की सामग्री का वितरण किया गया और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सामग्री का वितरण किया गया उससे बहुत ही संतोषप्रद काम हुआ । इस पूरे प्रदेश मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अगर कहीं कमी आई तो उसकी जांच की गई । वर्ष 1981 में 8955 समितियों द्वारा संचालित 10750 कुल दुकानों में से 337 अनियमितताओं के मामले प्रकाश में आए जिनमें सरकार द्वारा समुचित कार्यवाही की गयी जिसके परिणामस्वरूप 52 दोषी कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गई, 80 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया तथा 15 कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया, 108 मामलों में जांच की जा रही ह । इस तरह से इस वितरण में अगर कोई गलती करता है तो हम उसमें जांच कराते ह और जांच कराकर जो दोषी व्यक्ति होता हैं उसको हम सजा भी देते हैं....

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, ऐसा लगता है इनके सहकारिता के बजट में लोगों की दिलचस्वी नहीं है । कोरम नहीं है ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, इनके दल के लोग भी भाषण सुनना नहीं चाहते हैं । कोरम नहीं है ।

श्री कुबेर मंडारी--

इनके लोग मंत्री जी के विरुद्ध हैं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सहकारिता मंत्री जी बैठ जायं, कोरम के लिए घंटी हो रही है ।

(कोरम के लिए घंटी बजाई गयी ।)

(व्यवधान)

कृपया शान्ति बनायें रखें । कम से कम ऐसा करें कि इसे सदन समझें ।

श्री हुकम सिंह--

हम यही कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपसे (शासन पक्ष से) निवेदन करूंगा कि यह देखें कि कोरम पूरा हो जाय इसका प्रयास करें ।

श्री मोहन सिंह--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री के पद से श्री अम्मार रिजवी साहब को हटा दिया है इसलिए वह रुचि नहीं ले रहे हैं ।

एक सदस्य--

इनके सचेतक भी नहीं हैं ।

श्री बच्चा पाठक--

सहकारिता विभाग द्वारा इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि अनुसूचित जाति के परिवारों के विकास में तेजी लाई जाय ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सहकारिता मंत्री बैठ जायं, कोरम के लिए घंटी बज रही है । ऐसा है, घंटी तो बज रही है कोरम के लिए, लेकिन आपसे यह निवेदन करूंगा कि कोरम न होना यह कोई अच्छी बात नहीं है । इसका ध्यान रखना चाहिए कि कोरम हो । ऐसे एक से दो के बीच में लंच के समय में कोरम का प्रश्न उठता नहीं, लेकिन मैं उसके आधार को लेकर अपने को आश्वस्त नहीं करना चाहता हूं, सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं और मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आप इसका प्रयास करें कि कोरम हो और कोरम के अन्तर्गत ही कार्यवाही चले ।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री बच्चा पाठक--

निर्बल वर्ग के आर्थिक उत्थान हेतु प्रदेश में 640 श्रम संविदा समितियों तथा 153 रिक्शा चालक समितियों का गठन किया जा चुका है । सरकार द्वारा इन समितियों को समुचित वित्तीय सहायता प्रदान की गई है । प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के कृषक सदस्यों को अब 800 रुपये के स्थान पर 900 रुपये प्रति एकड़ की दर से अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है । पहाड़ी क्षेत्र के प्रत्येक जिले में एक सहकारी क्रय विक्रय समिति तथा उनके एक संघ का गठन भी किया गया है जो कृषकों की उपज के विपणन की व्यवस्था करेंगे । सदस्यों को उनकी सम्पत्ति या वस्तुओं के प्रतिस्थापन या मरम्मत तथा धनोपार्जन क्षमता बढ़ाने के लिए मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है । साथ ही अल्पकालीन ऋण वितरण प्रणाली को सरल तथा व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक मंडल की कुछ समितियों में अग्रगामी योजना के रूप में केवल पद्धति को लागू किया जायेगा, जिसके फलस्वरूप सदस्यों को चेकबुक दी जाती है । सदस्य जब भी चाहे चेक देकर समिति से नकद ऋण या उर्वरक प्राप्त कर सकता है । एक वर्ष के भीतर वह कभी भी ऋण अदा कर सकता है और आवश्यकता होने पर पुनः उसी सीमा तक ऋण ले सकता है ।

मान्यवर, सहकारिता के माध्यम से 8 करोड़ रुपये की लागत से पी० सी० एफ० द्वारा हल्द्वानी में एक सोयाबीन प्रक्रिया इकाई स्थापित की जा रही है जिसका

[श्री बच्चा पाठक---]

कार्य प्रगति पर है । इस प्लान्ट में प्रतिवर्ष 30 हजार मैट्रिक टन सोयाबीन की प्रक्रिया की जायगी । राष्ट्रीय सहकारी बिकास निगम द्वारा विश्व बक की सहायता से दो परियोजनाएं सहकारिता के क्षेत्र में हमारे प्रदेश में चलाई जा रही हैं जिनके अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तरीय कृषि ऋण समितियों के लिए 3,368 ग्रामीण गोदाम तथा विभिन्न सहकारी समितियों के लिए 69 शीतगृहों का निर्माण कराया जा रहा है । 100 मैट्रिक टन क्षमता वाले 1,010 ग्रामीण गोदाम बन कर तैयार हो चुके हैं । इस प्रकार प्रदेश की न्याय पंचायत स्तरीय समितियों में से आधी समितियों के पास अपना-अपना गोदाम हो गया है । शीतगृह परियोजना के अन्तर्गत अभी तक 4,000 मैट्रिक टन क्षमता के 6 शीतगृह हो चुके हैं और 19 और बनेंगे ।

श्री मोहन सिंह---

श्रीमन्, अभी तक की परम्परा है कि यहां पर लिखित भाषण नहीं होता है, वैसे आप सर्वोच्च हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

न प्रथा है न प्रथा चल रही है । वह बीच-बीच में सिर्फ देख लेते हैं ।

श्री बच्चा पाठक---

मान्यवर, इस साल आलू की उपज प्रदेश में बहुत ज्यादा हो गई है । अतः उस आलू की खरीद के लिए हम पी० सी० एफ० के द्वारा आवश्यक व्यवस्था कर रहे हैं । यह शीत गृहों में रखा गया है और उससे किसानों को लोन की सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है और जहां पर आलू अधिक पैदा हुआ है वहां पर पी० सी० एफ० द्वारा जो खरीद हो रही है, उससे कृषकों को ज्यादा फायदा होगा ।

उत्तर प्रदेश में कोआपरेटिव बैंक्स और भूमि विकास बैंक्स किसानों के हित में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और उनके माध्यम से कृषकों को सुविधायें पहुंचायी जा रही है जिससे सहकारिता विभाग में बड़ा उत्थान हो रहा है । हम यह चाहते हैं कि जिस प्रकार से सहकारिता का प्रदेश में उत्थान हो रहा है, इस विभाग में जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो सरकारी और गैर सरकारी लोग हैं वे सहकारिता के आन्दोलन को आगे बढ़ाने में प्रयत्नशील हैं और सहकारिता के माध्यम से ही कार्य किया जा रहा है जिससे मैं समझता हूं कि सहकारिता का जन्म जो इस प्रदेश में हुआ है, उसके अनुरूप ही हमारे सरकारी और गैर सरकारी लोग काम कर रहे हैं और हमें आशा है कि जल्द से जल्द सहकारिता के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में गरीबी और बेरोजगारी को दूर कर सकेंगे और निर्बल वर्ग के लोगों की सहायता का जो नारा हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया है, उसके माध्यम से प्रदेश की जनता को लाभान्वित कर सकेंगे । यही सहकारिता का उद्देश्य है ।

आज हमारा कर्त्तव्य है कि हम एक साथ जुट कर सहकारिता विभाग में जो कार्य चल रहे हैं, उनका अनुमोदन करें । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सहकारिता के माध्यम से जो भी प्रदेश में कार्य हो रहे हैं उससे और सहकारिता

का जो मूल रूप में सिद्धान्त है, उससे शीघ्र से शीघ्र प्रदेश में जागृति हो सकेगी ।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 64--सहकारिता विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मांग ही बिल्कुल गलत है इस नाते कि माननीय मंत्री जी जो सहकारिता के लिए मांग प्रस्तुत कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आज इस विभाग का ढांचा जो है वह सहकारिता की डेफिनिशन में आता ही नहीं बल्कि सहकारिता की डेफिनेशन में आता है । मान्यवर, ब्रिटैनिका के माइक्रोपीडिया वाल्यूम 3 के पृष्ठ 128 (एनसाइक्लोपिडिया) में जो कोआपरेटिव्ज की डेफिनिशन दी है वह अंग्रेजी में है, मैं पढ़कर बाद में हिन्दी में अनुवाद कर दूंगा ।

'कोआपरेटिव आर्गेनाइजेशन ओन्ड ब ई ऐन्ड आपरेटेड फार दि बेनीफिट आफ दोज यूजिंग इट्स सर्विसेज । कोआपरेटिव्स हैव बीन सक्सेसफुल इन ए नम्बर आफ फील्ड्स इनक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऐन्ड मार्केटिंग आफ फार्म प्रोडक्ट्स दि परचेजिंग आफ अदर काइन्ड्स आफ इक्वीपमेन्ट ऐन्ड रा मैटिरियल ऐन्ड इन दि होलसेलिंग रिटेलिंग इलेक्ट्रिक पावर क्रेडिट ऐन्ड बैंकिंग ऐन्ड हाउसिंग इन्डस्ट्रीज ।'

सहकारिता का जो विभाग है, वह उन लोगों द्वारा ही ओन किया जाता है जो इसको चलाना चाहते हैं और अपने उपयोग के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं । इसमें दिया हुआ है कि कौन-कौन से ऐसे फील्ड्स हैं और कौन-कौन सी जगह हैं जिनमें सहकारिता अन्य देशों में जैसे हाउसिंग, इन्डस्ट्री, कन्ज्यूमर्स, फार्मिंग इनपुट्स और एग्रीकल्चलर क्रेडिट के लिए प्रयोग में आता है । अब आप देखें कि क्या उत्तर प्रदेश का सहकारी ऐक्ट इस डेफिनिशन के परव्यु में आता है ? 1968 तक यहां पर केन्द्रीय सहकारी अधिनियम लागू था । 1968 में एक जन आन्दोलन का इसे नाम देकर इसका नाम उत्तर प्रदेश सहकारी अधिनियम रख दिया गया और उसके अन्तर्गत सहकारी संस्थायें गठित हुई । उसी के द्वारा उनका संचालन होता रहा । 1975-76 में उस अधिनियम की कुछ धाराओं में, धारा 31, 34, 35 और 37 में परिवर्तन कर दिया गया और ऐसे संशोधन किये गये कि उनके द्वारा यह सहकारी संस्थायें सरकारी अधिकारियों के हाथों की कठपुतली बन कर रह गयीं ।

मैं बांदा जिले के कोआपरेटिव बैंक का उदहरण देना चाहता हूं । उस बैंक को भंग कर दिया गया है यह कह कर कि उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है । ऐक्ट में ऐसा प्राविधान है कि सहकारी समिति का जो संचालक मंडल होगा वह चुनाव कराने के लिये केवल लिख सकता है, चुनाव की तिथि तथा उसकी प्रक्रिया आदि की घोषणा रजिस्ट्रार महोदय के जरिये होगी । यह भी ऐक्ट में है कि अगर किसी कारणों से संचालक मंडल अपने कार्यकाल में नया संचालक मंडल का चुनाव नहीं कराता है तो जिस दिन उसका कार्यकाल समाप्त होगा वह भंग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री दिवाकर विक्रम सिंह---]

हो जायेगा । अब देखिये कि चुनाव की तिथि, चुनाव की प्रक्रिया आदि की घोषणा तो रजिस्ट्रार तय करेगा, संचालक मंडल तय नहीं करेगा, लेकिन संचालक मंडल ने अगर चुनाव नहीं कराया तो वह भंग कर दिया जायेगा । इन दोनों में कितना अन्तर है ।

बांदा सहकारी बैंक ने फरवरी मार्च, 1981 में अपना प्रस्ताव पारित किया कि प्रबन्ध समिति के चुनाव करा दिये जायें, पर रजिस्ट्रार महोदय के यहां से उस प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी । जब उसका कार्यकाल समाप्त हो गया तो प्रबन्धक मंडल ने हाई कोर्ट में रिट दायर कर दिया और उनको स्टे मिल गया और वह काम कर रहा है । हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार महोदय को भी निर्देश दिया कि वह तुरन्त चुनाव कराने की प्रक्रिया को करायें, पर उन्होंने कुछ नहीं किया । तो मैं जानना चाहता हूं कि यह कौन सी सहकारिता है ? आज सहकारी समितियों को यह डर लगा रहता है कि कहीं प्रबन्ध निदेशक नारज न हो जायं और कहीं यह रिपोर्ट न भेज दें कि समिति को भंग कर दिया जाये, अतः वे उनके भय के कारण ठीक तरह से काम ही नहीं कर पाती हैं । जो अधिकारीगण चाहते हैं वैसे उनको करना पड़ता है । वे अधिकारी लोग अपने इशारे पर प्रबन्ध समिति को नचाते रहते हैं ।

पी० सी० एफ० का ज्वलन्त उदाहरण हमारे सामने है । उसको तत्कालीन सचिव ने, एक फर्जी रिपोर्ट करके कि यहां पर सरकार के 60 प्रतिशत अंश हो गये हैं, उसे भंग करवा दिया और मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट से प्रबन्ध समिति को यह निर्णय मिल गया कि नहीं, सचिव महोदय ने सरकार को जो आख्या भेजी थी वह गलत थी और इस नाते सरकार ने जो प्रबन्ध समिति को भंग किया वह गलत था । एक लाख रुपया पी० सी० एफ० का खर्च हुआ है चुनाव लड़ने में, इसको ताईद करने में कि वह सचिव महोदय की रिपोर्ट सही थी । अधिकारी अपने जगह पर बने हैं, यह कहां की सहकारिता है ? अब श्रीमन्, श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन के जो मंत्री हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, उन्हीं की क्या इस पर राय हैं, मैं उसको इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । भारतीय अर्थ व्यवस्था में यह बहुत बड़ा स्थान है और यह श्रीमती इंदिरा गांधी के बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाया जा रहा है ।

मान्यवर, आप देखें, सहकारी बैंकों में राज्यों का हस्तक्षेप रोकने का विचार, यह मान्यवर, रिजर्व बैंक आफ इंडिया का है । अगर आप कहें तो मैं पूरी पेपर की कटिंग पढ़ दूं । मान्यवर, रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने यह कहा है कि सहकारी बैंकों में राज्यों के हस्तक्षेप इतने बढ़ गये हैं कि उनका सुचारुरूप से काम करना सम्भव नहीं रह गया है और वह पार्लियामेंट के अधिकारों में इस तरह का संशोधन लाना चाहते हैं कि किसी भी सहकारी समिति को भंग करने के पहले रिजर्व बैंक आफ इंडिया की अनुमति ली जाय । मैं आपके सामने दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करता हूं ।

'इक्सपर्ट कन्सर्नड एट पोलिटिक्स इन कोआपरेटिव्स' यह हिन्दुस्तान टाइम 23 मई, 1981 का है । उसने जब जांच किया, तो उसने देखा कि सहकारिता में राजनीति ने कितना हस्तक्षेप कर लिया है । मान्यवर, मैं पूरा

इस नाते नहीं पढ़ रहा हूं कि समय कम है और आंकड़े इनके विषय बहुत से हैं। तीसरा नेशनल हेराल्ड 9 अगस्त, 1980 का है। इसमें लिखा है—"ह्वेन कोआपरेटिव गो रांग"। श्री वी० सी० शुक्ला साहब सहकारिता प्रणाली के अच्छे ज्ञाता हैं। वह मिनिस्टर आफ सिविल सप्लाईज हैं, उन्होंने लिखा है कि कोआपरेटिव मूवमेंट के कानूनों में ऐसा परिवर्तन करना चाहिए कि जिसके नाते वह कानून कमजोर हो गये हैं, वह फिर से सुदृढ़ हो गया है।

'ह्वेन कोप्स गो रांग

मिस्टर वी० सी० शुक्ला मिनिस्टर आफ सिविल सप्लाईज इन मिल्डर लैंगुएज हैज मेड दि सेम प्वाइन्ट नेमली दैट दि कोआपरिटव मूवमेंट शुड बी रिड आफ पलाज वींकिंग इट्स।'

उसका मुख्य आधार, जिसके नाते यह सहकारी मूवमेंट पूरा कमजोर होता जा रहा है, उसका कारण है कि इनका जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है, उसे बिलकुल समाप्त कर दिया गया है। मान्यवर, इसी में फिर कहा गया है—

दोज आर लैडेबुल आवजेक्टिव एन्ड मस्ट बि एचीव्ड। बट दि बेसिक फैक्टर दैट पलोज दि फंक्शनिंग आफ कोआपरेटिव इंस्टीट्यूशन इज दि प्रेजुयल इरोजन आफ दियर डिमोक्रेटिक करेक्टर।'

दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रीय कमिटमेंट होने के बाद भी, इसलिए इस माने में कि कोआपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाय, लेकिन वास्तविकता में यह बात हो रही है कि राज्य की सरकारों ने इसमें इतना हस्तक्षेप कर दिया है कि इनकी जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है, वह बिलकुल समाप्त हो गयी है।

'अनफारचूनेटली, इन स्पाईट आफ दि नेशनल कमिटमेंट टू प्रमोट दि कोआपरेटिव मूवमेंट इन प्रेक्टिस देयर हैज वीन ग्रोइंग गवरमेंट कंट्रोल आन दि फंक्शनिंग आफ दि कोआपरेटिव एन्ड स्टेडी एरोजन आफ देयर डिमोक्रेट्रिक कन्टेन्ट।

(इस समय 2 बजे श्री उपाध्यक्ष पीठसीन हुए।)

'दिस इज लार्जली बिकाज कोआपरेशन इज ए स्टेट सबजेक्ट ऐन्ड मेनी स्टेट डू नाट आडर टू कनसेप्ट आफ डेमोक्रेट्रिक कन्ट्रोल आफ दि कोआपरेटिव इंस्टीट्यूशन। दि कोआपरेटिव लाज आफ मोस्ट स्टेट्स गिव ऐक्सेसिव पावर्स देयर डे टू डे टू दि रजिस्ट्रार आफ कोआपरेटिव सोसायटीज टू इन्टरफियर इन देयर डे टू डे फंक्शनिंग।'

इस नाते ऐसी हानि सहकारिता की राज्यों में है क्योंकि ज्यादातर राज्य सरकारें सहकारिता को प्रजातांत्रिक प्रणाली का विश्वास नहीं करती हैं। अधि-नियम के जरिये राज्य सरकारों की इतने विशाल पावर प्रदत्त हैं कि वह सहकारी संस्थाओं की रोजमर्रा के कार्य में हस्तक्षेप कर सकती है और कर रही हैं।

सहकारिता के इतिहास को अगर आप देखें बहुत पुराना इतिहास श्रीमन्, बहुत से प्रदेशों में इतनी अच्छी तरह से यह चल रही है लेकिन निश्चित रूप

[श्री दिवाकर-विक्रम सिंह---]

से यह देखा जा सकता है कि जिन प्रदेशों में सहकारिता सक्षम है, सफल है वहां पर उनके प्रजातांत्रिक ढांचे को ज्यों का त्यों मौजूद रखा गया है। श्रीमन्, कनाडा में सहकारिता प्रारम्भ हुई हिन्दुस्तान की नक्ल करके और वह इतने आगे बढ़ गये। चाहे जो भी देश हो यूनाइटेड किंगडम, डिमोक्रेटिव जर्मन रिपब्लिकन हो, जापान हो, कनाडा हो जहां भी सहकारिता का मूवमेंट बहुत सफल है वहां पर उनकी प्रजातांत्रिक प्रणाली के अनुरूप जो ढांचा है उसको उसी तरह रखा जा रहा है वहां कानून बनाकर सरकार उनको कमजोर नहीं कर रही है।

मान्यवर, सहकारिता मंत्री जी ने कहा कि सहकारिता बहुत आगे बढ़ रही है। भारत सरकार के कुछ मंत्रियों के इस बात पर क्या विचार हैं मैं थोड़ा सा वह भी कोट कर देना चाहता हूं। कृषि ऋणों की वापसी न होने से सहकारी संस्थायें आर्थिक संकट में। 'हिन्दुस्तान' 15 अक्तूबर, 1981 का है। कृषि ऋणों की अदायगी न होने से इनका आर्थिक संकट कितना बढ़ गया है जब बजट उठाऊंगा तो बताऊंगा क्या स्थिति है सहकारी आन्दोलन की। श्री नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति ने कहा है कि पिछले बीस वर्षों में सरकारी बैंकों से किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा नौ गुना हो गई है और सहकारी समितियों के माध्यम से जो कृषि उत्पादन बाजार में आता है वह बढ़कर दस गुना हो गया है। जहां तक चीनी के उत्पादन की बात है, इस समय देश के कुल उत्पादन का 56 प्रतिशत भाग सहकारी मिलों से प्राप्त हो रहा है। इसके बावजूद किसानों की दशा में उल्लेखनीय सुधार दिखाई नहीं देता।

वह समस्या पूर्ववत शोचनीय बनी हुई है। स्वंय राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी ने मंगलवार को भुवनेश्वर में तृतीय किसान कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए स्वीकार किया कि गरीब किसानों की दशा तीस वर्ष पूर्व जैसा ही है। और उनके अनुसार गरीब और गरीबी के स्तर से नीचे के किसानों की संख्या कुल किसानों की संख्या का 99.9 प्रतिशत है।

कांग्रेस में ही बोलते हुए उड़ीसा के राज्यपाल सी० एम० पुनाछा ने सहकारी ढांचे को सड़ा हुआ बताया और उनकी अनियमितताओं का पता लगाने के लिये आडिट रजिस्ट्रार की नियुक्ति की आवश्यकता पर जोर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को या जनता के किसी वर्ग को सुविधाएं पहुंचाने वाली इस प्रकार की संस्थाओं की तरह सहकारी आंदोलन में भी राजनीति घुस गयी है।

मान्यवर, प्रजातांत्रिक प्रणाली के नाम को लेते हुये अभी मन्त्री जी की सरकार ने, जितने सहकारी समितियों के बोर्ड काम कर रहे थे, उनको इन्होंने भंग कर दिया, केवल एक संशोधन करके कि इनका चुनाव चाहे जब हुआ हो इनका कार्यकाल 3 सहकारी वर्ष माना जायेगा। यदि 29 जून को किसी प्रबन्ध कमेटी का चुनाव हुआ हो तो वह 30 जून को एक साल का कार्यकाल पूरा हो जायेगा। कितनी अच्छी व्यवस्था है। उसके बाद सुना कि आपने भंग किया और ए० आर० को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। उसके बाद अभी हाल में मन्त्री जी ने गैर सरकारी व्यक्तियों का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है। उनकी स्थिति को आप देखें। गैर सरकारी व्यक्तियों के सम्बन्ध में मैं अपने क्षेत्र के तीन उदाहरण देना चाहता हूं—

(1) क्षेत्रीय सहकारी समिति सुरवार कलां, विकास खंड रुघौली, बस्ती, में प्रशासक महोदय समिति के सदस्य तक नहीं हैं।

(2) सहकारी संघ मधुअ.र तथा सहकारी समिति जोधी जोत विकास खंड रुधौली, बस्ती के प्रशासक उक्त समिति तथा नई समितियों के पुराने बकायेदार होने पर भी प्रशासक नियुक्त किये गये हैं ।

(3) विकास खंड सांथा के न्याय पंचायत लहरौली, क्षेत्रीय समिति के प्रशासक उस समिति के कार्य क्षेत्र के निवासी भी नहीं हैं ।

इस प्रकार कितना अच्छा प्रजातांत्रिक प्रणाली का ढांचा आपने उपस्थित किया है ।

श्रीमन्, सहकारी विभाग में जो ऋण छोटे किसानों को दिये जा रहे हैं, जिन पर बल दिया जा रहा है, उनकी कमियों की ओर मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा कि निर्बल वर्ग एवं गरीबों को अधिक से अधिक सुविधायें पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है । मान्यवर, मेरी सुनिश्चित जानकारी है, मैं जानता हूं कि विहप के कारण आपके सदस्य यहां न कहें, उनके कक्ष में कहें कि सबसे अधिक शोषण निर्बल और कमजोर वर्ग के सहकारी समितियों के सचिवों द्वारा किया जा रहा है । इस चीज को हम बराबर महसूस कर रहे हैं कि गरीब, अनपढ़ किसान नई प्रणाली में कैश क्रेडिट बनाने में सचिव लेखपाल से मिलकर किसान के खाते को देखकर उससे प्रमाणित कराकर कैश क्रेडिट बना देते हैं । इसमें हो क्या रहा है कि जितने छोटे, अनपढ़ किसान हैं उनके खातों के बारे में लेखपाल से मिलकर फर्जी जोत प्रमाणीकरण कराया जा रहा है । इसमें कहीं पर ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है कि अगर लेखपाल ने फर्जी प्रमाणित किया है तो उसको दंड मिल सके । जो आपके सचिव हैं वह भी दंडित नहीं हो पाते हैं । वह फर्जी कैश क्रेडिट अधिक बनवा लेते हैं और अपने चेक निकाल लेते हैं और निकाल कर खुद कैश कराते हैं और वह पैसा अपने धंधे में लगा रहे हैं । मान्यवर, रुधौली विकास खंड, जनपद बस्ती की न्याय पंचायत पिपरा दोयम के गोलहौरा गांव में ऐसे पचीसों मामले अर्बिट्रेशन के चल रहे हैं । किसानों ने कोई कर्ज नहीं लिया है, किसान की पास-बुक में कोई कर्जा नहीं दर्ज है लेकिन उनपर बकाया चढ़कर आ रहा है और उनकी कुर्की की जा रही है । पचीसों आर्बिट्रेशन के मामले केवल एक गांव में चल रहे हैं ।

इसके अलावा एक चीज और हो रही है । जितनी आपकी न्याय पंचायत स्तर पर समितियां हैं वह सभी उर्वरक का बिजनेस नहीं करती हैं । ऐसी समितियों में क्या हो रहा है कि सचिव किसानों को चेक देते हैं किसान दूसरी समिति में जो उर्वरक का वितरण कर रही है वहां जाकर उनसे उर्वरक लेते हैं और बैंक में जाकर पैसा लेते हैं । तो दोनों समितियों के सचिव मिलकर, किसानों के नाम से 'चेक काटा जाता है और दूसरी समिति से खाद निकाल ली जाती है । न कहीं पास-बुक में दर्ज होता है और न कहीं किसी को मालूम होता है । जब सचिव का स्थानान्तरण हो जाता है तो किसानों के पास कुर्की की नोटिस पहुंचती है तब जाकर उसको मालूम होता है कि उसके ऊपर फर्जी कर्ज चढ़ाया गया है और किसान को दर-दर भागना पड़ता है ।

एक चीज यह भी है कि किसान जब सहकारी समितियों से उर्वरक लेते हैं या ऋण लेते है तो पास-बुक और लेजर पर सचिव जो हैं वह अंकित करते

[श्री दिवाकर विक्रम सिंह--]

हैं । बैंक के मैनेजर औपचारिक रूप से अगर चाहें तो देखें । तो इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि यह आवश्यक कर दिया जाना चाहिये कि अगर कोई किसान किसी सहकारी समिति से जब कभी ऋण लेता है तो जो बैंक के मैनेजर हैं उसके खाते में उसके लेजर को देखकर इंद्राज करेंगे । इसमें होता यह है कि जो अनपढ़ किसान हैं उनकी पास-बुक और लेजर में दर्ज कर दिया जाता है, वह समझ नहीं पाते हैं कि उनके ऊपर कितना कर्जा दर्ज हो गया है और जब सचिव का स्थानान्तरण हो जाता है तब इस बात की उनको जानकारी होती है । जब तक सचिव वहां रहते हैं तब तक वह मामले को दबाये रहते हैं । आपका विभाग कहेगा कि नियम यह है कि आडीटर लोग गांव-गांव जाकर इसको चेक करेंगे और लेजर को देखेंगे तथा किसान से पूछेंगे । लेकिन मेरा दावा है कि कोई भी आडीटर किसी गांव में जाकर चेक नहीं करता है और न किसान से पूंछता है । अपने घर में बैठकर और सचिव के साथ बैठ करके पुष्टिकरण कर देते हैं । सहकारी समिति के हेडक्वार्टर पर बैठकर पुष्टिकरण हो जाता है किसान से नहीं पूछा जाता है ।

मान्यवर, इसी तरह से रिकार्ड तो मेरे पास बहुत हैं मंत्रियों के कथन को सुनाने के लिये लेकिन समय नहीं है । आपके भारत सरकार के कृषि मन्त्री राव वीरेन्द्र सिंह ने "आज" 7 अगस्त, 1980 में कहा है कि "सहकारी आंदोलन को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जायगा । कहें तो मैं पढ़कर सुना दूं । उनका निश्चित मत है कि सहकारिता आन्दोलन आज भ्रष्टाचार से एकदम भरपूर भर गया है । आपके वी0सी0 शुक्ला साहब ने, जब ये फूड और सिविल सप्लाईज के यूनियन मिनिस्टर थ कहा था कि सहकारी नियमों में ऐसे संशोधन किये जायं ताकि उनम जो "लूप होल्स" हैं, न रह जायं ।

मैंने आपको पढ़कर सुनाया कि सहकारी संस्थान आर्थिक संकट म हैं क्योंकि इनका ऋण वसूल नहीं हो रहा ह । कारण क्या है ? मैं मानता हूं कि कुछ हद तक कुछ किसान ऐसे हैं, जो इनको पैसा नहीं देते हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आधे से ज्यादा लोनिंग, फर्जी लोनिंग को जा रही है । इसलिये इनके वसूल होने में परेशानी हो रही है । पी0 सी0 एफ0 1953 से 1967 तक डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेंट फैडरेशन के माध्यम से खाद का बिजनेस करता था । 1953 से 1967 तक ढाई करोड़ रुपया बकाया रह गया था । 1967 में पी0 सी0 एफ0 ने डी0 सी0 डी0 एफ0 को अपनी हद में ले लिया ह, 1967 से अब तक 40 करोड़ रु0 की खाद का भुगतान पी0 सी0 एफ0 को नहीं हो रहा है, जिसम 20 करोड़ रुपया बैड डेब्ट्स में जाने वाला है । पी0 सी0 एफ0 को 25 लाख रु0 दे रहे हैं, उनको मजबूत करने के लिये । इस 25 लाख रु0 से क्या फर्क पड़ता है, जब उनके यहां 13 साल में 40 करोड़ रु0 का पता ही नहीं । कारण क्या है ? आपके पी0 सी0 एफ0 का एक आदमी हर जिले स्तर पर रहता है, वह आपकी जो न्याय पंचायत स्तर की समितियों के सचिव हैं या सहकारी संघों के सचिव हैं, जो खाद का बिजनेस करते हैं, उनसे अगर वह रिकार्ड मिलाना चाहता है, तो कोई सचिव उसकी सुनता नहीं ह । कन्ट्रोल ए0 आर0 का है, अगर वह संघ का सुपरवाइजर है, अगर वह प्राइमरी सहकारी समिति का सुपरवाइजर है, उस पर कन्ट्रोल कोआपरेटिव बैंक का है आपस में कोई तालमेल विभाग में नहीं है ।

जिन देशों में सहकारी आन्दोलन सफल हुए हैं वहां इस तरह से सहकारी आन्दोलन को तोड़-मरोड़ कर उसके 25 विभाग नहीं कर दिये गये हैं। वहां एक एपेक्स बाडी होती है और उसके नीचे शाखायें होती हैं। 1964 और 1965 में स्वयं 5 महीने जापान में रहकर मैंने वहां की सहकारी समिति की कार्यवाही को देखा। वहां की सहकारी समितियां, किसानों की अपनी सहकारी समितियां होती हैं, सरकार का विभाग केवल यह देखता है कि इसमें किसी प्रकार का घोटाला न होने पाये। बाकी रोजमर्रा के काम में कोई अधिकार सरकार का नहीं है। उन्हें अपना अधिकार है कि वह अपने सदस्यों की सुविधा को देखें और आज पूरे विश्व में एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटी जापान की सबसे शीर्ष संस्था है। वे लोनिंग करती हैं, फर्टीलाइजर्स देती है, इतनी मजबूत सोसायटियां हो गयी हैं कि कोई तोड़ना चाहे तो असम्भव हो गया है। वहां का किसान केवल अपनी सहकारी समितियों पर ही निर्भर है।

मान्यवर, अपने यहां क्या स्थिति है ? राष्ट्रपति ने स्वयं इस चीज को महसूस किया है। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि गरीब किसानों का अधिकतर और सामान्यतया सभी किसानों का विश्वास सहकारी समितियों से धीरे-धीरे उठता जा रहा है। उसका एक कारण है मान्यवर, सिर्फ इसीलिये सहकारी समितियां जो अपनी प्रबन्ध कमेटी के माध्यम से काम नहीं करती हैं। सहकारी समितियां अब केवल अपने ए0 आर0 के माध्यम से या फिर डी0 आर0 के माध्यम से उनके निर्देशों पर काम करती है क्योंकि वह जानते हैं कि ये कहीं कुपित हो गये तो मैं कहां होऊंगा। तो इस स्तर तक प्रबन्ध कमेटी में भी भ्रष्टाचार इस कारण से आ गया है, यह बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं।

वर्ष 1978 से पहिले हालत दूसरी थी। उस समय सहकारी समितियों में काम नीचे स्तर से होता था। उनका स्तर छोटा था। बायबिल यूनिट्स नहीं हुआ करती थीं। आपने उन्हें न्याय पंचायत स्तर का बनाकर बायबिल बनाया है। इसके अतिरिक्त आपके विकास खण्ड में जो बैंक के मैनेजर होते हैं उनके दस्तखत से कोई चेक कट जाय ऐसा न होकर बी0 डी0 ओ0 और मैनेजर दोनों के दस्तखत लेजर पर होने चाहिये तभी आप भ्रष्टाचार को रोक सकेंगे।

आज आपने ऐपेक्स बाडी बना दिया। ऐपेक्स बाडी की डेफीनेशन क्या है ? इसकी डिफीनेशन है कि यह नीचे की सोसाइटीज से शुरू होती है यानी कि प्राइमरी लेविल से। प्राइमरी लेविल पर जो यूनिट्स हैं, वहां से यह शुरू होती है फिर जिला लेविल पर, मण्डलीय लेविल पर और फिर प्रान्तीय स्तर तक होती है। आपने उत्तर प्रदेश सहकारिता विधायन शीतगृह सभी को ऐपेक्स बाडी कर दिया है और उसमें मेम्बरान के लिये कोशिश की जा रही है कि पी0 सी0 एफ0 से सदस्य होने के लिये कहा जा रहा है कि आप इसके सदस्य बन जायं। तो आप यहां पर सहकारिता नीचे से न लाकर आप इसे ऊपर से शुरू करना चाहते हैं। आपने विभाग बढ़ा दिये। कर्मचारी और अधिकारी बढ़ा दिये, मोटर गाड़ियां बढ़ा दीं जो दिन भर लखनऊ में दौड़ती रहती हैं।

इस तरह से जो आपको शीत गृह की या भण्डारागार के लिये भण्डार बना रहे हैं इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि सुड़की जैसे संस्था का किसी ऐपेक्स बाडी के इंजीनियरों को भेज कर जांच कराइये कि जितना मैटेरियल उसके लिये प्रेसक्राइब्ड है, वह उसमें लगाया भी जा रहा है ? नहीं लगाया जा रहा है श्रीमन्, मैं भ्रष्टाचार को कहां तक उजागर करूं। पूरा विभाग एक रूप हो गया है। सहकारिता और भ्रष्टाचार दोनों मिल कर एक स्वरूप हो

[श्री दिवाकर विक्रम सिंह—]

गये हैं । पी0 सी0 एफ0 की रानीखेत में एक ड्रग फैक्टरी है उसमें एक ड्रग बनती थी "मृत संजीवनी सुरा ।" नाम तो बड़ा सुन्दर है । तो मान्यवर, जैसे शराब को चुआते हैं, वैसे ही इसे चुआया जाता था । पहिले तीन–चार सालों में यह उचित मात्रा में बनायी गयी परन्तु अब देखा गया कि उसमें 70 प्रतिशत अल्कोहल रहता था । जो बाजारों में बेचने के लिए प्रेसक्राइब्ड है वह 40 प्रतिशत के लगभग । श्रीमन्, हुआ क्या, 70 परसेंट के कन्टेन्ट्स से मृत संजीवनी सुरा बनायी गयी और पानी तथा डिस्टिल्ड वाटर मिला कर 30 परसेंट के लगभग लायी गयी और कागजों में दिखाया कि 40 प्रतिशत की ही सुरा बनी ।

(व्यवधान)

3 लाख लीटर बनी और उसका सवा पांच लाख लीटर किया गया उसमें ढ़ाई लाख बेच दी गई । आखिर वह पैसा किस की जेब में गया, मैं यह जानना चाहता हूं ।

सोयाबीन का कारखाना लगा रहे हैं हल्द्वानी में, मैं किसी का नाम नहीं लेता लेकिन श्रीमन्, जो मृत संजीवनी सुरा के घोटाले में थे उन्हीं को वहां का एडवाइजर रखा गया है, अब मान्यवर, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा कारखाना वह काम करेगा ? किस स्तर पर मैं इस पर आऊं ? कोल्ड स्टोरेज की हालत क्या है ? बस्ती में एक कोल्ड स्टोरेज परपर में है । वहां की स्थिति यह है कि किसान आलू रखता है, उसके पहले तो गरीब किसान का आलू रखा नहीं जाता, कुंजड़े जो पैसा देते हैं उनका पहले रखा जाता है तो, अगर गरीब किसानों का आलू रखा भी जाता है हर बोरे से कुछ आलू निकाल लिया जाता है और किसान से कह दिया जाता है कि इसमें इतना सूखा चला गया, बाकी इतना है, ले जाना चाहो तो ले जाओ ।

क्रय–विक्रय समितियां हैं । इसमें कितने किसान अपना अनाज रख रहे हैं ? खास तौर से पूर्वी प्रदेश की बात कर रहा हूं, मंत्री जी भी जहां से आते हैं और श्रीमन्, आप स्वयं आते हैं, जिसके लिए समितियां बनायी गयी हैं, गरीब किसान अनाजों का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें, बाजार के लोग उनको निचोड़ न सकें लेकिन आज वे समितियों के पास नहीं जाते हैं । क्यों ? या तो गल्ला रखा नहीं जाता उनका और अगर रखा जाता है तो जिन्दगी भर के लिए उससे हाथ धो बैठते हैं । आप इतने रुपयों का अनुदान मांग रहे हैं आखिर क्यों ? क्या इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए ? इसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई । प्रत्येक वर्ष इस सदन में इस पक्ष के सदस्य हों या उस पक्ष के, सहकारिता विभाग के बजट पर आप कार्यवाही उठा कर देख सकते हैं, हमेशा भ्रष्टाचार का ही जिक्र किया जाता है लेकिन इसके कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और आप अनुदान मांग रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया जाये, पैसा मिल जाये जेब में रखने के लिए ।

जितनी सबसिडी दी गई है खाद पर, कोई भी विकास खण्ड देख लें अपने स्तर से या माननीय उपाध्यक्ष जी, आप लिख कर दे दें, जांच करा लें कि क्या सचमुच में इन किसानों को सबसिडी मिली है ? नहीं मिली है । आपके सचिव केवल राजनीतिक प्रश्रय पर इतना बल रखते हैं कि बहुत से ए0 आर0 उससे डरते हैं । मेरे ही क्षेत्र का विकास खण्ड सांथा का सचिव, न्याय पंचायत मोदीपुर का सचिव, इनकी आप जांच करा कर देख सकते हैं ।

बस्ती जनपद में चीनी वितरण व्यवस्था में मैंने स्वयं विकास खण्ड अधिकारी खेसरहा के साथ किसानों के कार्ड पकड़े जिन पर फर्जी चीनी वितरित दिखायी गयी थी, विकास खण्ड सांथा को हैण्ड–ओवर किया बी0 डी0 ओ0 को उसने जांच की,

जांच आख्या सबमिट कर दी, उसके सचिव के केवल स्थानान्तरण आदेश हुए हैं और वह भी आज तक चार्ज न देकर नदारद हैं ।

कितना कंट्रोल है आपके विभाग का सचिवों पर । या तो कन्ट्रोल नहीं है या सब ऊपर से नीचे तक इसमें शामिल हैं । इसकी जांच आप करें कि कारण क्या है ? मान्यवर, आपके यहां से पुस्तिका हम लोगों को मिली है, इसमें एक 'गन्ना वित्त पोषण हेतु अल्पकालीन ऋण व्यवस्था की चर्चा है । गन्ना समिति एक वायेबिल यूनिट थी । रिजर्व बैंक ने वित्त पोषण योजना जबरदस्ती उनके माथे पर थोप दी जिससे गन्ना समितियां समाप्त होती जा रही हैं । कहा जाता है कि गन्ना समिति का कोई सदस्य रिजर्व बैंक से कोआपरेट नहीं करता है । 1980 में एक पत्र रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटी और केन कमिश्नर के दस्तखत से इश्यू हुआ था जिसमें हर प्राइमरी सहकारी समिति के सचिव से कहा गया था कि जिस भी गन्ना समिति से वह सम्बद्ध हो, वहां जाकर वित्त पोषण का हिसाब मिला ले और 30 सितम्बर, 1980 तक यह हिसाब हो जाना चाहिये । इसकी प्रतिलिपि हर ए0 आर0 और डी0 आर0 को दी गयी थी । केवल चार जिलों को मैंने उदाहरण के तौर पर लिया था किन–किन सहकारी समितियों ने किन–किन गन्ना समितियों में जाकर अपना हिसाब मिला लिया है । केवल मुजफ्फरनगर से लिख कर आया कि हिसाब मिलाया जा रहा है, बाकी समस्त जिलों से यही उत्तर आया कि हिसाब नहीं मिलाया जा सका ।

आपके रजिस्ट्रार महोदय के आदेशों का कितना असर है सचिवों के ऊपर, इसको आप देख लें समिति के सचिवों ने किसी भी गन्ना समिति में जाकर वित्त पोषण का हिसाब नहीं मिलाया । वित्त पोषण योजना लागू हो जाने के कारण गन्ना समितियां समाप्त होती जा रही हैं । रिजर्व बैंक कहता है कि सारे भारत–वर्ष में केवल एक प्रणाली लागू की जाय । रिजर्व बैंक का स्टेटमेन्ट है, उसके अनुसार वित्त पोषण योजना को इसलिये लागू किया जा रहा है कि क्षेत्रीय सहकारिता के लिये एक वायेबिल यूनिट बन सके जब कि यह कभी वायेबिल यूनिट हो ही नहीं सकती । जिस तरह का भ्रष्टाचार इसमें व्याप्त हो चुका है जब तक उसे समाप्त नहीं किया जाता तब तक क्षेत्रीय सहकारी समिति का एक वायेबिल यूनिट नहीं बन सकती ।

करोड़ों का घोटाला है । और वसूली को देखिये कि क्या हालत है ? 1980–81 में 27,43,23 000 रुपये ऋण के रूप में दिखलाया गया है, लेखा शीर्षक 698, मद संख्या 64 के अन्तर्गत और वसूली 10,60,91,000 रुपये हैं । अब आप देख लीजिये कि वसूली की यह कितनी बढ़िया प्रक्रिया है । आखिर यह क्यों नहीं वसूली हुई ? क्या 1981 में कोई सूखा पड़ गया था ? पुनरीक्षित बजट में किस वजह से वसूली को इतना घटा दिया गया ?

26 करोड़ से 10 करोड़ 16 करोड़ घटा दिया गया । फिर भी मांग और अग्रिम के लिए धन मांग रहे हैं । इस वर्ष पुनः लगभग पांच करोड़ मांग रहे हैं । किस लिए दिया जाय ? जो 16 करोड़ आप नहीं वसूल पाये हैं उसे ही वसूल लीजिए पांच करोड़ पूरे हो गये । जरूरत क्या है मांगने की ? किस लिए दिया जाय ?

मान्यवर, दो कारण हैं । पहली बात तो यह है कि सहकारिता विभाग, सहकारिता आन्दोलन रह ही नहीं गया है बिल्कुल सरकारिता विभाग हो गया है । इस नाते सहकारिता विभाग के नाम पर कोई भी अनुदान नहीं दिया जाना चाहिए । दूसरी बात यह है कि इस विभाग में जितना भ्रष्टाचार इस के अंग–अंग में घुस गया है जब तक उसे समाप्त न किया जाय तब तक कोई भी अनुदान इस सदन के सदस्यों से मेरा निवेदन है देने का कष्ट न करें । एक रुपया दे दें मैं खुश हूं । आप मेरे प्रस्ताव को स्वीकृति दे दें...

एक सदस्य—

एक पैसा न दें, मन्त्री जी के पास बहुत है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

और तो और, मैं वैसे किसी पर व्यक्तिगत आरोप सदन में लगाने का इरादा नहीं रखता हूं लेकिन मुझे दुःख है कि बनारस के एक केस में एक व्यक्ति के ऊपर लगभग साढ़े चार लाख का गबन पकड़ा गया । वहां के ए0 आर0 ने एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी । कहा यह जा रहा है खुले रूप से कि माननीय मन्त्री जी ने ए0 आर0 पर यह दबाव डाला कि एफ0 आई0 आर0 को वापस ले लीजिए ।

एक सदस्य—

यह गलत है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, कितना गलत है, मैं बता रहा हूं । वापस नहीं किया तो उसका रेडियोग्राम से ट्रान्सफर कराया गया । उसने हाईकोर्ट में रिट की है जिसके अन्दर भ्रष्टाचार के तमाम मामले प्रस्तुत किये हैं हाईकोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के बाद जिस दिन एफ0 आई0 आर0 में निर्णय आ जायगा तो सारे सबूत सामने आ जायेंगे ।

एक सदस्य—

तब तक चले जायेंगे ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

इस नाते मेरा यह सदन के समक्ष निवेदन है कि मेरे प्रस्ताव को आप स्वीकृति प्रदान करें ताकि यह सरकार बाध्य हो कि सहकारिता आन्दोलन को सचमुच में सहकारिता का रूप दिया जाय, इसके ऐक्ट्स में इस तरह के परिवर्तन किये जायं कि सचमुच में यह सहकारिता का रूप रहे न कि सरकारिता का और इसमें जो व्याप्त भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक है उसको रोका जा सके ।

मान्यवर, एक उदाहरण आपको बताता हूं, याद आ गया । मिर्जापुर भण्डारागार निगम की पिछले वर्ष कुछ लोगों ने यह शिकायत की डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां कि वहां पर खाद का घोटाला है । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सील किया गोदाम (21 जुलाई को उन्होंने रिपोर्ट भेजी) स्पष्ट रिपोर्ट कि इसमें घोटाला है, इसमें कार्यवाही की जाय । 6 महीने तक वहां के इन्चार्ज के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी । 6 महीने के बाद उसको सस्पेन्ड किया गया । डी0 एम0, ए0 डी0 एम0 की जांच में जिन कर्मचारियों ने बयान दिये थे सत्यता के उनको भी सस्पेन्ड कर दिया कि इन्होंने गोपनीयता भंग की है । उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया, यह गोपनीयता है इनके यहां । जिन कर्मचारियों ने बयान दिये उन्हें इस नाते सस्पेन्ड कर दिया गया कि उन्होंने गोपनीयता भंग की है । भ्रष्टाचार जिस विभाग का मूल अंग बन गया हो, उस विभाग को इस सदन से एक पैसा भी मांगने का अधिकार नहीं है ।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपने प्रस्ताव पर बल देते हुये सदन के समक्ष रखता हूं ।

*श्री कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट)—

मान्यवर, माननीय सहकारिता मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी, जिन्होंने इस पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वह बड़ा ही परम्परावादी है । मान्यवर, हमने देखा है कि यहां पर कई विभागों के बजट प्रस्तुत किये गये हैं और पास हुये हैं और उनमें जिन माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव रखे हैं सभी ने अपना-अपना कटौती का प्रस्ताव रखते हुये यह कहा है कि इस विभाग में सबसे ज्यादा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भ्रष्टाचार है। तो यह बात समझ में नहीं आती और इस बात का पता नहीं चलता कि किस विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है ? इससे तो यह पता चलता है कि यह एक परम्परावादी तरीका हो गया है और उसके अलावा कुछ नहीं है।

माननीय सदस्य ने जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है और उन्होंने जो आरोप लगाये हैं, उनका उत्तर तो मैं बाद में दूंगा पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि सहकारिता की विगत दो वर्षों में क्या स्थिति रही है ? मान्यवर, सहकारिता एक ऐसा आन्दोलन और एक ऐसा अस्त्र है जो समाज के हर वर्ग की सेवा कर रहा है जो कि सबसे अच्छा माध्यम आज जनता की सेवा का है। वैसे तो ब्रिटिश भारत में 1912 में सहकारिता आन्दोलन चला था लेकिन स्वतन्त्र भारत ने इसकी रफ्तार पकड़ी और आज एक शानदार तरीके से यह आन्दोलन चल रहा है। जहां तक सवाल आरोपों और प्रत्यारोपों का है, आरोप और प्रत्यारोप लगाने वाले शायद यह नहीं जानते कि सन् 1971 से सहकारिता विभाग में चेक सिस्टम लागू हुआ। इससे पहले कुछ अनियमितताएं हुई और कुल 4/6 लाख रुपया सचिवों ने गड़बड़ किया जिससे कुछ बदनामी भी हुई और इसी वजह से सहकारिता को और उसकी इमेज को भ्रष्टाचार से नत्थी कर दिया। वही परम्परा आज भी चली आ रही है। मैं चुनौती देता हूं कि आप एक एवरेज निकाल लें और हर विभाग की कार्य पद्धति, उसकी अच्छाइयों और बुराइयों का हिसाब लग लें तो आप पायेंगे कि सहकारिता विभाग सबसे अच्छा और सबसे कम इसके अन्दर भ्रष्टाचार होगा। चूंकि इस विभाग के अन्दर 2 हजार करोड़ की पूंजी लगी हुई है और उससे यह विभाग जनता की सेवा कर रहा है और उस पूंजी में 2/4/6 लाख रुपये यदि अनियमित हो जाता है जिसमें लाखों हिसाब लगे हुये हैं, लाखों हाथ लगे हुये हैं और इस तरह से 2/4 लाख का गबन हो जाता है तो उसे कोई चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए। मान्यवर, आप आंकड़े उठाकर देख लें, आप यही पायेंगे।

जहां तक सहकारिता द्वारा जनता की सेवा करने की बात है, आज उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक, उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक, उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन, शीत गृह संघ, पी० सी० यू० यू० पी० एस० एस० ये शानदार संस्थायें हैं जो कि सहकारिता का मूलभूत सिद्धान्त है उनके द्वारा वह जनता की सेवा कर रहा है। जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों द्वारा यह सहकारिता विभाग जनता की इस तरह से सेवा कर रहा है। जो कि नो लास नो प्रोफिट के बेसिस पर है। मान्यवर, आप देखें, सहकारिता के माध्यम से जो भी सहायता या सेवा जिस क्षेत्र में की जा रही है उसका मुख्य लक्ष्य जनता की सेवा करना है, प्रोफिट कमाना नहीं है।

अगर कोई सहकारी संस्था ज्यादा घाटे में जाती है तो यह सोचनीय बात होगी। यहां पर 8 शीर्षस्थ संस्थायें इस तरह से काम कर रही हैं। इनका काम बहुत ही शानदार है। इसके अलावा ये संस्थायें प्रोफिट भी कमा रही हैं। कोई तीन करोड़ कमा रही है तो कोई डेढ़ करोड़ कमा रही है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, अब उसमें एक कोआपरेटिव शैल बना हुआ है जिसमें कि इन्सपेक्टर और डी० एस० पी० हैं और जो भी आदमी पकड़ में आते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होती है, मुकदमे चलते हैं और इस तरह से अदालतों में कई मुकदमें चल रहे हैं, कई सौ आदमी ट्राइल पर हैं। इसके अलावा मान्यवर, जो विभाग इस तरह का काम करने में कतराता है, अपने को असमर्थ पाता है, वही कार्य सहकारिता विभाग को दे दिया जाता है।

[श्री कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट)]—

सहकारिता उस कार्य को करता है अगर अच्छा काम हो जाय तो कोई क्रेडिट नहीं और बुरा हो जाय तो बड़ी बदनामी। हमारे एटा जनपद में 8 सौ दुकानें सस्ते गल्ले की थी तो उस काम को अब 70 दुकानें सहकारिता की कर रही हैं। चीनी आज कल इतनी महंगी हो गई हैं कि गुड़ की वजह से उसे कोई लेता नहीं चीनी में मारजिन बहुत कम है, इसी तरह से मिट्टी तेल में भी बहुत कम मारजिन है। मिट्टी तेल को कोई उठाता नहीं है और चीनी में घाटा हो रहा है। मान्यवर, यह काम तो सिविल सप्लाई डिपार्टमेन्ट का था लेकिन सहकारिता को सौंप दिया गया, उनका यह ओरिजनल काम नहीं है इससे सहकारिता को नुकसान हो रहा है लेकिन जनता की सुविधा के लिए सहकारिता ने उसे मंजूर किया और बखूबी काम कर रहा है।

इसी तरह से कोआपरेटिव बैंक और भूमि विकास बैंक कृषकों को कर्ज बांट देता है इस प्रकार 92 परसेंट रु0 कोआपरेटिव बैंक और भूमि विकास बैंक कर्ज बांट रहा है और बाकी जो इंडस्ट्रियल बैंक और दूसरे नेशनलाइज बैंक इसमें काम कर रहे हैं वह केवल 8 परसेन्ट कर रहे हैं।

(श्री मुख्तार अनीस के खड़े होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुख्तार अनीस कृपया बैठ जायं।

श्री कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट)—

तो आम कृषक को कर्ज बांट कर उसकी वसूली करना बड़ा मुश्किल है। मेरे एटा जनपद में कनारा बैंक या दूसरे इंडस्ट्रियल बैंक तथा कोआपरेटिव बैंक जो कर्ज बांटते हैं उनमें से सबसे अच्छी वसूली कोआपरेटिव बैंक की है और इंटस्ट्रियल बैंकों का पैसा डूब रहा है, उनकी कोई वसूली नहीं है। भूमि विकास बैंक और कोआपरेटिव बैंक की वसूली बहुत अच्छी है लिहाजा भ्रष्टाचार का सवाल नहीं होता कोआपरेटिव बैंक की कार्य पद्धति बहुत अच्छी है। इस प्रकार कोआपरेटिव आन्दोलन अच्छा काम कर रहा है। यू0 पी0 एस0 एस0 सब एसेंसियल कामोडेटीज की सप्लाई कर रहा है। पी0 सी0 एफ0 द्वारा गृहोपयोगी चीजों से लेकर खाद तथा दूसरी चीजों का व्यापार हो रहा है जो बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है।

यहां पर भ्रष्टाचार की बात कही जाती है तो मैंने देखा कि एक गलत तरीके से पिक्चर पेश की जाती है। 10, 12 महीने पहले उत्तर प्रदेश भंडारागार निगम के बारे में आया था कि 20 करोड़ रु0 का गबन हुआ। तो मैंने जब उसकी जांच की किसी अखबार ने लिख दिया 20 करोड़ का कोई हिसाब-किताब नहीं है तो जब मैंने देखा कि 2 सौ की जगह 20 लाख लिख दिया और 10 लाख की जगह 50 लाख लिख दिया इस तरह से पचासों करोड़ दिखा दिया। एक मामला दो-तीन लाख का वेयरहाउसिंग का एफ0 सी0 आई0 से लिटिगेशन था तो उसको इस तरह से दिखा दिया जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं। तो आम जनता को दिखा दिया कि 20 करोड़ का भ्रष्टाचार है जो कि वास्तविक नहीं है। इस प्रकार से इस संस्था को नुकसान होता है जबकि मैंने देखा कि हिन्दुस्तान में यह मानी हुई संस्था है, इतनी अच्छी उसकी कार्यपद्धति है कि उसमें यदि कोई 10, 20 हजार का गबन हो तो वह उतना नहीं है जितना बता दिया। आप आरोप किसी पर लगा दीजिए वह सब से आसान काम है। अभी दिवा कर विक्रम जी ने बताया कि सहकारिता ऐक्ट में बहुत तोड़-फोड़ कर दी गयी है। मेरा अन्दाज है कि वह पिछली सरकार में एग्रो के चेयरमैन भी थे, तो तब उन्होंने उसमें कोई अमेन्डमेन्ट क्यों नहीं किया? यदि कोई मेजर डिफेक्ट था तो उन्हें एक मौका मिला था और उसे उन्हें 3 साल में कर देना चाहिये था। तो सवाल इस बात का है।

श्री दिबाकर विक्रम सिंह--

उस समय चेंज किया गया था, कहें तो उसे बाद में बता दूं या अभी बता दूं ।

श्री कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट)--

चेंज नहीं किया गया था । दफा 29 व 33 में कोई चेंज नहीं हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष--

बाद में बता दीजिएग, बीच में कोई नहीं ।

श्री कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट)—

तो जहां तक इसके अधारभूत ढांचे में रहने की बात है, इसका स्वरूप डेमोक्रेटिक है, लेकिन उसमें कभी राजनैतिक उथल-पुथल में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो सरकारी प्रशासक बैठ जाता है और भी बातें होती हैं । जिसके लिए विरोध पक्ष के कुछ लोग उच्च न्यायालय में भी गये हैं । तो इसमें अब बहुत जल्दी चुनाव होंगे, यद्यपि यह प्रक्रिया ऐसी है जिसे रजिस्ट्रार करते हैं और वह कर रहे होंगे ।

श्री माता प्रसाद पांडेय--

अगले साल नवम्बर में रजिस्ट्रार उसे करा पायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

हर बात दिवाकर विक्रम जी पर है, आप पर नहीं ।

श्री कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट)--

इसका ढांचा और प्रक्रिया सारी की सारी लोकतान्त्रिक है, जो लोकतान्त्रिक होने से रह गया है वह भी हो जाएगा । समाज के हर मोर्चे पर जितने दुरूह कार्य हैं, मुश्किल कार्य हैं और बदनामी के कार्य हैं, वह कोआपरेटिव करता है, वह कार्य उसे दिया जाता है । उसमें कुछ अनियमितताएं भी होती हैं ।

(व्यवधान)

मैं यह सब आंकड़े देखकर ही कह रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपस में आप लोग बात न करें ।

श्री कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट)—

कोआपरेटिव के जो कर्जे हैं जिनके बारे में आलोचना की जाती है, उसका एक बड़ा कारण है । जो इंडस्ट्रियल बैंक्स हैं जिनके पास बहुत बड़ा फन्ड है फिर भी वह कृषि क्षेत्र में आना नहीं चाहते हैं, उसमें आने का साहस नहीं कर पाते हैं, लेकिन केवल प्रदेशीय और केन्द्रीय सरकार के दबाववश कर्जा देना कभी-कभी मंजूर कर लेते हैं आन दि पेपर फिर भी वह फील्ड में टिक नहीं पाते है। उद्योग के लिए कर्ज देकर वसूल करना बहुत आसान काम है, क्योंकि उसमें लिखा-पढ़ी ऐसी होती है और मार्गेज होता है । लेकिन कृषि क्षेत्र में कर्जा देकर सकुशल उसे वापस पा लेना बहुत ही मुश्किल और दुरूह कार्य है और इस कार्य को कोआपरेटिव ही कर रहा है

(व्यवधान)

थोड़ी देर बाद मुख्तार साहब भी बोलेंगे...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप तो भंडारी हैं, आपका भंडार तो कभी खाली होने वाला नहीं है।

श्री कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट)--

कोआपरेटिव के नये-नये सिस्टम ने बहुत ही उल्लेखनीय और जन कल्याण का कार्य किया है। 66 कोल्ड स्टोरेज बनाने का जिक्र किया गया है, अब तक जो आलू की फसल सड़ जाती थी, बर्बाद हो जाती थी, उसको रोकने के लिए अगले 30-35 साल के लिए इंतजाम किया जा रहा है और विश्व बैंक की एक योजना के अन्तर्गत गांव-गांव में हर सोसाइटी में गोदाम बन रहे हैं और गोदाम बनने से सोसाइटी को गल्ला-गेहूं रखने और उसे बचाने में बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी, बड़ा अच्छा साधन मिल जाएगा। सोसाइटी के अपने गोदाम हो गये, उनकी अपनी हैसियत हो गयी, अपना स्टेट्स हो गया। इससे गांवों की बेरोजगारी समाप्त होती है, निर्माण का कार्य होता है। जिन सारी परिस्थितियों में यह विभाग काम कर रहा है, वह बहुत ही सराहनीय प्रयास है। जहां तक आलोचना करने का सवाल है, वह कहीं भी और किसी भी मामले में आसानी से की जा सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे सहकारिता विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्रीमन्, होली के बाद सबसे पहला यह बजट है जो आज सदन में पेश हो रहा है। सहकारिता विभाग के हमारे मंत्री जी...

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आप भी उसी मूड में बोलना चाहते हैं ?

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, हमारे माननीय सहकारिता मंत्री फर्स्ट, सेकेन्ड बेंच को छोड़कर बैक बेंचर बन गये हैं। मुझे आशा है कि वे मेरी बात को सुन रहे होंगे।

मान्यवर, हमारे देश और प्रदेश में जनता और जन प्रतिनिधि सहकारिता को दूसरे रूप में देखते हैं। एक बात जो बनियादी है वह यह है कि सहकारिता का जन्म शोषण के खिलाफ होता है इसलिए सहकारिता आन्दोलन का समर्थन करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए, उसको क्षीण करने के लिए कई तरह की शक्तियां इस उद्देश्य में लगी हुई हैं।

मान्यवर, हमारे प्रदेश के अन्दर पहाड़ी क्षेत्र में बड़े-बड़े बांध बनाये जा रहे हैं, बहुत से निर्माण कार्य हो रहे हैं। करोड़ों नहीं अरबों रुपये का काम हो रहा और उसमें माननीय सहकारिता विभाग के मंत्री को

एक रुपये का काम भी सहकारी समितियों को नहीं दिलाया गया है । ऐसा लगता है कि सहकारिता क्षेत्र में वे ही काम दिये जायेंगे जिनको दूसरे बड़े-बड़े विभाग करने से इंकार करेंगे । जब धूप में और लगी बरसात में कोई व्यक्ति देहात के अन्दर नहीं जाता है, जब बरफ से ढके पहाड़ों पर कोई नहीं जाता उस समय सहकारिता विभाग के ए0 डी0 ओ0 को भेज दिया जाता है और जो बड़े-बड़े काम हैं जिनसे जनता की रक्षा की जाती है, वे काम दूसरे विभागों को दे दिए जाते हैं वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, शिक्षा विभाग द्वारा जो करोड़ो रुपये व्यय होते हैं, उनमें से एक अंश भी सहकारिता विभाग को नहीं मिलता है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कार्य यदि सहकारिता विभाग की समितियों को दे दिया जाय जो कि शरीर की अलग अंगुली नहीं है, अलग अंग नहीं है, बल्कि वही रुधिर है जो सारे शरीर की नाड़ियों में प्रवाहित होता है, तो बहुत लाभ हो सकता है । अगर यह सरकार यह आदेश दे दे कि जितने काम होंगे वे सहकारिता विभाग द्वारा किये जायेंगे तो सहकारिता विभाग द्वारा कार्य होने लगेंगे । क्या इस सरकार को अपनी जनता की शक्ति पर इतना विश्वास नहीं है कि जितने कार्य हों, वे सहकारिता विभाग के माध्यम से कराये जायं ?

मान्यवर, आपके द्वारा मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी का ध्यान पर्वतीय क्षेत्र की दुर्गति की ओर दिलाना चाहता हूं क्योंकि हमारे मंत्री जी तो हमेशा उसकी प्रगति के बारे में कहते हैं । उत्तर काशी में कोई असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार नहीं है गढ़वाल मंडल में कोई भी डिप्टी रजिस्ट्रार नहीं है । तलाश की जा रही है, होली भी बीत गयी, सूर्य के एक ओर ही 9 ग्रह भी आ गये लेकिन अभी तक माननीय मंत्री जी पहाड़ी क्षेत्र के लिये कोई अधिकारी नहीं मिल रहा हैं क्योंकि वहां पर जाने को कोई तैयार नहीं है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या वे इस सदन को आश्वासन देंगे कि आप पर्वतीय क्षेत्र के लिये सहकारिता विभाग के लिए एक अलग से कैडर की स्थापना करेंगे और उसमें आप पहाड़ों के लिये समर्पित कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे । हमारे यहां पर कोआपरेटिव बैंक हैं उसमें लोग 2-3 महीने के लिये रखे जाते हैं और फिर उनको एक दिन के लिए निकाल दिया जाता है । ऐसे-ऐसे तमाम लोग हैं जो 5-5 साल से कम कर रहे हैं पर उनको ऐसे चलाया जा रहा है, उनको स्थायी नहीं किया जाता । जब प्रोफेसर साहब के पास यह विभाग था तो उन्होंने यह कहा था कि जितने भी कर्मचारी 3-3 साल से काम कर रहे हैं उनको नियमित कर दिया जायेगा, मगर प्रोफेसर साहब से वह विभाग ही ले लिया गया । इस सरकार में तो मंत्रिगण ऐसा रंग बदलते हैं जैसे कि खरबूजा उसी तरह से इनके विभाग बदलते रहते हैं । जब यह विभाग नये मंत्री माननीय बच्चा पाठक की के पास आया, मैंने इनसे मिलने के बहुत प्रयास किया पर यह कभी मिलते ही नहीं । मैंने एक बार यहां कहा था कि जब यह पैदा हुये होंगे तब इनके मां-बाप ने बड़े ही लाड़ प्यार से इनका नाम बच्चा पाठक रख दिया होगा, पर जाने क्यों ये आज भी अपने को बच्चा ही समझते हैं जबकि वे इतने वृद्ध हो गये हैं ..

श्री उपाध्यक्ष--

मेरे लिये मुश्किल हो जायेगा यह समझना कि आप वास्तव में विद्या सागर हैं या नहीं ।

(हंसी)

श्री विद्या सागर नौटियाल--

आप मान्यवर, जैसा चाहें आदेश दें । पर यह सत्य है कि आज प्रजातन्त्र समाप्त होता जा रहा है इन्दिरा जी के काल में । नौकरशाही का ही बोलबाला दिखलायी पड़ रहा है ।

मान्यवर, आज सहकारिता में मुख्य समस्या यह है कि जिन लोगों ने कर्जा लिया ही नहीं है, उनके नाम पिछले 5-5 सालों से कर्जा दर्ज चला आ रहा है । वह रुपया फर्जी तरीके से निकाल कर किसी और ने ले लिया है, वसूल उससे हो रहा है जिसने वास्तव में लिया ही नहीं है । जो कभी सदस्य ही नहीं रहा उसके नाम से कर्जा चढ़ा है और यह सहकारिता विभाग निष्पक्ष जांच भी कराने के लिये तैयार नहीं है । अभी जब हम गुजरात गये थे तो हमने वहां कि सहकारी समितियों को देखा । वहां देख कर मालूम हुआ कि वास्तव में सहकारिता वहां पर है । यहां पर तो सहकारी समितियों को यह सरकार चला रही है । अगर वास्तव में सहकारिता के द्वारा कार्य चलाया जाये तो जनता में एक बार फिर से सहकारिता के प्रति विश्वास पैदा हो सकता है । आज तो हालत यह है कि जो भी काम सहकारिता के द्वारा हमारे प्रदेश में चलाया जाता है उसे देख कर लोग डरने लगते हैं क्योंकि उससे अन्दर गड़बड़ घोटाला होता है ।

जब मंत्री महोदय अपना भाषण दें, तो यह कृपया बतायें कि जब को-आप-रेटिव बैंक निर्बल वर्ग को कर्जा देता है तो वह उनसे सूद का दर साढ़े 11 और 12 परसेंट चार्ज करता है और वही कर्जा जब नेशनलाइज्ड बैंक देगा, उसकी दर होगी साढ़े 4 परसेन्ट । तो सहकारिता कहां से बढ़ेगी और किसी भी को-आपरेटिव बैंक के अन्दर कोई काश्तकार यह नहीं कहता कि इन्होंने हमको तीन महीने तक दौड़ाया और लोन नहीं दिया । इनको जो गड़बड़ियां, ट्रान्सफर-इन्ट्रोज की, वह बाद की है, लेकिन कोई नेशनालाइज्ड बैंक ऐसा नहीं है कि जहां पर बारम्बार दौड़ाया न जा रहा हो । इतना सब जानने के बाद भी हमारे सहकारिता मंत्री जी कुछ भी करने में असमर्थ हैं । मैं श्रीमन्, निवेदन करता हूं कि यह जो भेदभाव है, इसको समाप्त किया जाय और सहकारिता को पुनर्जीवित करने के लिए ऐसे कदम उठाये जायं । आपके प्रति मैं श्रीमन्, पुनः आभार प्रकट करता हूं ।

*श्री जितेन्द्र पाल सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका मैं आभारी हूं जो आपने मुझे इस सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले उन किसानों को, मजदूरों को, उन बैंकों में घुसने का मौका नहीं मिलता था । उनको खाद, बीज बांटने के लिए सहकारिता विभाग ने ऋण बांटने का अपना बड़ा महत्वपूर्ण काम किया । इसके बाद इसमें कुछ गड़बड़ी हुई, जो सचिव थे, हमारे, उन्होंने कुछ ट्रान्सफर-इंट्रीज करके कुछ फर्जी नामों से ऋण दे दिया । तो इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए को-आपरेटिव सेल स्थापित किया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गया और बड़े-बड़े गबन को पकड़ कर दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जा रहा है और हमारी सरकार गड़बड़ करने वाले, गड़बड़ काम करने वाले कर्मचारी को बख्शने वाली नहीं है ।

मान्यवर, जो हमारी सहकारिता विभाग ने काम किया है, वह है सार्वजनिक वितरण प्रणाली । इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नगर व ग्रामों में 10,750 सहकारी दूकानों द्वारा 10.12 करोड़ के मूल्य की उपभोक्ता वस्तुयें प्रत्येक माह बांटी जाती हैं । 1981-82 में 130 करोड़ रुपया मूल्य की चीनी और मिट्टी के तेल तथा खाद्यान्न का वितरण किया गया । यदि 130 करोड़ का व्यवसाय खाद्य विभाग द्वारा कराया जाता है तो कम से कम 50 करोड़ का खर्चा आता । सहकारिता विभाग ने अपने कर्मचारियों से ही इस कार्य को सम्पन्न कराया । उनको कोई अतिरिक्त कर्मचारी वगैरह नहीं दिये गये । इसमें कोई मोटर-गाड़ी भी नहीं दी गयी । इसके बावजूद भी इतना बड़ा काम इस विभाग ने किया और हमारे जो अपोजीशन के माननीय सदस्य हैं, वह कहते हैं कि इससे ज्यादा और कोई भ्रष्ट विभाग नहीं है । जो खाद्य विभाग काम नहीं कर सकता था, उसको सहकारिता विभाग ने किया । जब व्यक्तिगत चीनी की दूकानें थीं, तो 10 प्रतिशत भी चीनी नहीं बांटते थे और आज हमारी सहकारिता विभाग 90 प्रतिशत चीनी देहातों में बांट रहा है । जो भी आदमी कार्ड लेकर जाता है चीनी के लिए वह खाली हाथ नहीं आता है ।

मान्यवर, भारत सरकार के राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से 10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिली है, जिसमें से प्रत्येक सहकारी दूकानों को 13,000 रुपया मार्जिन मनी हेतु दी गयी है । मान्यवर, थोड़ी सी पूंजी में हर घाटा उठा कर यह सहकारी समितियां इतना बड़ा काम कर रही हैं जोकि प्रसंशनीय काम है । मेरा यह सुझाव है इस सम्बन्ध में कि जिले स्तर पर एक अलग से ए0 आर0 ब्लाक स्तर पर एक ए0 डी0 ओ0, मुख्यालय पर एक रजिस्ट्रार स्टाफ की नियुक्ति की जाय और हर जिले में एक-एक जीप दी जाय ताकि यह काम ठीक रूप से किया जा सके क्योंकि इसमें सीमान्त और लघु किसानों का काम रहता है । मान्यवर, दूसरा काम किया सहकारिता विभाग ने शीतगृहों को बनवा कर । श्रीमन्, 50 से 75 प्रतिशत तक आलू उत्पादकों को आलू रखने हेतु एडवान्स दिया जाता है ताकि वह अपना आलू शीतगृह में रख सके और उनको सस्ते दामों पर अपना आलू न बेचना पड़े । आज इस प्रदेश का आलू उत्पादन करने वाला किसान बहुत बड़ी दुआ दे रहा है इस अच्छे काम के लिये इससे किसानों को बहुत लाभ पहुंचा है । मान्यवर, मेरा सुझाव है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में डीजल, सीमेंट और सभी आवश्यक वस्तुओं का वितरण ब्लाक स्तर पर कराया जाय । जितनी आवश्यक वस्तुयें हैं इनका वितरण सहकारिता विभाग के द्वारा किया जायेगा तो गांव के किसानों को, मजदूरों को बहुत लाभ पहुंचेगा । मेरा निवेदन है कि डीजल और सीमेंट इस प्रणाली के अन्तर्गत बंटवाया जाय ।

मान्यवर, दूसरा निवेदन यह है कि ऋण वितरण प्रणाली में कुछ गड़बड़ियां है । आपका सचिव चेक देता है और वह चेक आपकी बैंक में कैश हो जाता है मेरा सुझाव है कि वह चेक देने का पावर तो उसको रहे लेकिन वह चेक किसी भी बैंक में कैश हो जाय । ताकि ट्रान्सफर इन्ट्री न हो । एक बात मैं सेवा मण्डल के द्वारा जो नियुक्तियां की जाती है उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । आज भी इनके द्वारा 18 प्रतिशत हरिजनों की नियुक्तियां नहीं होती है । किसी भी जिले में आप किसी भी बैंक में देख लें । हरिजनों का कोटा पूरा नहीं है । मेरा

[श्री जितेन्द्र पाल सिंह—]

सुझाव है कि अब तो कम से कम हरिजनों का 18 प्रतिशत कोटा पूरा करवा दें। ताकि इनका आरक्षण का जो कार्यक्रम है वह पूरा हो जाय।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं और मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, अभी भाई जितेन्द्र पाल ने कहा कि सहकारिता विभाग ने इतने बड़े-बड़े काम किये जो दूसरा नहीं कर सकता है। इसमें 2 राय नहीं है गुफरान भाई हमने आपने पढ़ा है कि हजरत ईसा के पैगम्बर को मुर्दा को जिन्दा करने का मौजजम हासिल था। लेकिन मान्यवर, इस सहकारिता विभाग के अन्दर न जाने कितना मुर्दा को जिन्दा किया जा रहा है। मुर्दा के नाम ऋण चल रहा है जबकि फोटो प्रणाली है न मालूम कहां से फोटो खिच कर आती है। माननीय मंत्री जी आपको शक शुबहा हो तो आप ब्लाक भगतपुर में भगतपुर कोआपरेटिव सोसाइटी को देख ले। 10-10 सालों से मरे हुये के नाम ऋण चला आ रहा है। मुर्दा को जिन्दा यह सहकारिता विभाग ही कर सकता है। दूसरा कोई नहीं कर सकता है।

अब सहकारिता ऐसी संस्था है जिसके बगैर समाजवादी व्यवस्था सोचना ही बेबुनियाद है। चाहे कोई भी दल हो, अगर वह समाजवादी व्यवस्था में विश्वास रखता है तो सहकारिता के आधार पर चलना पड़ेगा। श्रीमन् यह बड़े अफसोस की बात है कि आज गांव-गांव में सहकारिता की जरूरत है, सूबे में सहकारिता की जरूरत है, चाहे आवश्यक वस्तुओं के वितरण की बात हो या कोई हो। लेकिन आज सहकारिता की हालत क्या है अब तो गांवों में शिड्यूल बैंक और अन्य बैंकें कर्ज देने लगी हैं लेकिन गांव के किसान से आप कहे कि आपको कोआपरेटिव बैंक से कर्ज दिलायेंगे तो पहले वह 3 बार कान पकड़ कर उठेगा बठेगा। मुझको लोन कहीं से चाहे न मिले लेकिन कोआपरेटिव बैंक से लोन नहीं लूगा। इसका कारण यह है कि उसके पास चाहे जमीन मान लिया कि एक एकड़ है। लेकिन लोन लेता है तो उसकी हैसियत 10 एकड़ की हो जाती है और जब हिसाब किताब बनता है तो हमारे और आपके और सभी क्षेत्रों में किसान को जमीन बेचकर, अपने बैलों और भसों को बेचकर धन को देना पड़ता है और जेल जाने से अपने को उसको बचाना पड़ता है। इसलिये कोआपरेटिव से किसान लोन नहीं लेना चाहता है। लेकिन दिखाने के लिये कह रहे हैं कि इसमें बढ़ोत्तरी हो रही है। इसलिये यदि मंत्री जी कुछ कमाना है तो कोआपरेटिव को जिन्दा रखना है और बिजनेस बरकरार है और आगे दिखाने के लिये सब चल रहा है।

मान्यवर, विभाग के काम करने का जो तरीका है उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि आपने प्रशासक बनाये। आपको पत्र भी लिखा कि हमारे मुरादाबाद में मूंडा ब्लाक में 6 प्रशासक नियुक्त किये। वहां 7 पंचायत अदालतें हैं। एक किसान समिति है और 6 में प्रशासक नियुक्त करना था। उसमें मूंडा ब्लाक, जिसकी आबादी 50 प्रतिशत अल्पसंख्यकों की है, में हरिजनों की तादाद अच्छी है वहां सिबहराबाजे, रफातपुर, घोसीपुरा के प्रधान हरिजन हैं लेकिन आपने जो 6 प्रशासक बनाये उनमें न तो कोई अल्पसंख्यक और न कोई हरिजन हैं। उसमें 4 यादव बिरादरी के हैं और 2 ठाकुर हैं। उन 4 में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से एक के बारे में यहां प्रश्न हुआ था तो जवाब दिया गया कि ज्वाइन्ट फेमिली में उन पर बकाया है, उसके चचा और ताऊ पर 23,786.18 रुपये बकाया है, उस प्रशासक का नाम श्रीराम है । यह बकाया 1974 का 7,200 रुपये है, 1978 का बकाया 6,212 रुपये है और 10 हजार रुपये ऊपर का बकाया वर्ष 1981 का है , उसमें भतीजा प्रशासक हो गया । इसी तरह एक प्रशासक रामपुर में मास्टर है जिला परिषद् का । एक मुरादाबाद के जिला परिषद् का नौकर है वह भी प्रशासक हो गया । पता नहीं किस की सलाह पर यह बनाये हैं ।

मान्यवर, एक गांव के अन्दर 24 हजार रु0 बकाया बताया गया है । इसी तरह 49 हजार रुपये नगले की बकाया है । मान्यवर, विभाग के पक्ष की बात आप सुनें । 4-5 निर्बल वर्ग की सोसाइटीज होंगी, छठी सोसाइटी रिजर्व होगी शिड्यूल कास्ट की । बकायेदार गांव छठे नम्बर पर आ गया, उसको आपने छोड़ दिया और सातवें नम्बर पर रामपुर भोला आता था उसको शिड्यूल कास्ट का बना दिया । अब जब सवाल हुआ तो सवाल का जवाब आपने दिया, आपने माना कि चौथा और पांचवां निर्बल का होना चाहिये और छठा शेड्यूल कास्ट का होना चाहिये । आपने जवाब दिया कि महमूदपुर, कुलीपुर उर्फ नंगला का नाम बहुत बड़ा था और उसके सामने जगह न होने से मुहर नीचे लग गयी । आप श्रीमन्, इन्क्वारी करा लीजिये कि अगर मुहर नीचे लग गयी तो लग गयी, लेकिन नामिनेशन जो होना चाहिये था वह तो शेड्यूल कास्ट का होना चाहिये था उसमें साधारण लोगों का नामिनेशन हो गया है । तो यह कैसे हो गया आप जांच करायें ।

इसी नंगले की सोसाइटी में जिसमें 74 हजार रुपये का बकाया है, वहां एक रेज्योल्यूशन पास हुआ कि यह दफ्तर करनपुर में रखा जाय । पत्र संख्या 7330, दिनांक 10-10-77 का पत्र है । आपने जवाब दिया है तो तस्लीम किया है कि पत्र नम्बर यही था । जिसके आधार पर यह तय हुआ था कि नंगले से हटकर करनपुर में रखा जाय । वह पत्र डी0 डी0 आर0, बरेली के यहां जाकर गायब हो जाता है । जब मैंने सवाल किया तो आपने जवाब दिया था, मैं आपके अधिकारियों की चतुराई को बता रहा हूं, आपने जवाब दिया कि वह पत्र खोया नहीं है बल्कि मिसप्लेस हो गया है । संयुक्त निबन्धक, बरेली के कार्यालय से पत्र मिसप्लेस होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है । आप अपने अधिकारियों से पूछें कि आज की तारीख तक वह पत्र मिला है कि नहीं । मिसप्लेस के माने तो यह है कि अब तक मिल जाना चाहिये । मिसप्लेस हुआ है तो कहीं न कहीं मिला होगा । लेकिन हम यह कहते हैं कि वह पत्र फाड़ डाला गया है । रजिस्टर में उसकी रिसीव चढ़ी हुयी थी इसलिये पता चला कि नम्बर 7330 था । पूंछना चाहिये था कि मिसप्लेस हो गया है तो कहां गया है ।

मैं तो कहना चाहता हूं कि को-आपरेटिव विभाग के लोगों का काम केवल यह है कि दिन में सीधे साधे किसानों को, मजदूरों को बेवकूफ बनायें तथा रात में यह सोचें कि कल को कैसे बेवकूफ बनाया जायेगा, इसकी तरकीब वह सोचते हैं इसके अलावा और कोई काम को-आपरेटिव विभाग का नहीं है । जितने आपके एकाउन्टेंट हैं, खजांची हैं । जिनके पास 4 बीघे जमीन थी उनके पास आज 40 बीघे जमीन हो गई है । जिनके यहां छप्पर की मड़ैया थी उनके आज तिमंजिले मकान बने खड़े हुए हैं । दूसरी तरफ जिन बेचारे गरीब किसानों ने कर्ज नहीं लिया था उनसे दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह हजार की बसूली की

[श्री रियासत हुसैन—]

गई और उनकी जमीन और जानवर नीलाम हो गये । तो चाहे सुपरवाइजर हों, जो भगवान कहलाते हैं या चाहे एकाउन्टेंट साहब हों या आपके खजांची साहब हों या आपके सरपंच साहब हों इस मूवमेंट के जरिये उनकी पांचों उंगलियां घी में हैं और सर कड़ाही में है । जो गरीब आदमी, जिसके लिए सहकारिता का महकमा बना, उसे कोई फायदा नहीं हो रहा है । "सहकारिता" के मायने यही हैं कि अगर कोई आदमी किसी काम को अकेले करने की योग्यता नहीं रखता तो 10 आदमी मिलकर उस साधन को पैदा कर दें । जो भी काम करना हो चाहे इण्डस्ट्री लगानी हो या मवेशी पालने हों तो 10 आदमी मिल कर उस काम को करें, उन्हें लोन भी मिल जायगा, इसीलिए यह बनाया गया ।

आपने कहा आपकी वितरण प्रणाली में पहला मौका है उत्तर प्रदेश के इतिहास में कि होली, बिना चीनी और बिना डालडा घी के हुई है उत्तर प्रदेश में । उस दिन उठते समय भी आपने माननीय रसद मंत्री जी से कहा कि होली आ रही है इन्तजाम किया जाय, तो इन्होंने कहा कि जरूर इन्तजाम होगा । हम लोग खुशी-खुशी चले गये कि होली पर चीनी मिलेगी । आपने भी सोचा होगा कि गोरखपुर में लोग मिलने आयेंगे तो चीनी जरूर मिलेगी । मैंने डी0 एम0 से कहा कि होली मिलने तो आ गये लेकिन चीनी मिली नहीं । डी0 एम0 ने कहा कि टेलीफोन और वायरलैस तो आये थे, लेकिन को-आपरेटिव फेडरेशन में चीनी थी नहीं । यह है आपकी वितरण प्रणाली । इसी तरह जितनी भी इससे मुताल्लिक चीजे हैं, यह जो विभाग है, यह एक ऐसा विभाग है कि जो निर्बल हो, कमजोर हो, साधनहीन हो, उन सबकी मदद के लिए को-आपरेटिव विभाग है । इसलिए जितने भी प्रगतिशील विचारधारा के दल हैं चाहे आप हों या हम हों उन सबका मूल आधार है सहकारिता । हमको भी अगर किसी मुर्दे को जिन्दा करना होगा तो उसके लिए सबसे अच्छा विभाग है सहकारिता विभाग । वैसे यह शक्ति दीदी में भी नहीं है, लेकिन सहकारिता विभाग में है । सहकारिता विभाग के मंत्री सब कुछ कर सकते हैं ।

अब मैं क्या कहूं, नाम है 'बच्चा' । बच्चे के साथ लग जाता है कि अभी अकल का विकास नहीं हुआ । हम उम्मीद यह करते हैं कि किसी अकल के विकास हुए मंत्री को अगर वह विभाग दे दिया गया होता तो ये खराबियां दूर हो जातीं । जब अकल का ही विकास नहीं हुआ तो ये खराबियां दूर कैसे कर पायेंगे ? इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री राम सिंह (सहारनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया । अभी मैं सुन रहा था विपक्ष के सदस्यों को, जिन्होंने मेरी समझ से केवल दो बातें कहीं । एक तो यह कहा है कि को-आपरेटिव विभाग में बहुत ही अधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है । मैं जानना चाहता हूं कि 3 साल वह भी इधर की सीट पर बैठे, उन्हें भी पूर्ण अधिकार प्राप्त रहा । क्या भ्रष्टाचार उन्होंने कम किया ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[3 वजकर 30 मिनट]

साथ ही साथ उन्होंने जैसा कि मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार को कई गुना बड़ा दिया ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों का थपथपाया गया ।)

इसके साथ ही साथ आप यह कह रहे हैं कि सहकारिता अधिनियम में हमने संशोधन किया । मैं समझता हूं कि जितना गलत संशोधन उसका उस जमाने में हुआ है कि उससे उन्होंने प्रजातंत्र का गला घोंट दिया । मैं बहुत दिनों तक सहकारिता का भुक्तभोगी रहा हूं । 1977 की जो सरकार थी उसने इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किये कि उसमें बहुत धांधली हुई है । अभी जैसे कि मंत्री जी ने कहा कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने में विश्वास नहीं है परन्तु 1978 में उन्होंने इसमें काला संशोधन किया जिसने कि प्रजातंत्र का गला घोंट दिया और एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने की प्रणाली आपने सहकारिता विभाग में डाल दी । सबसे पहिले आपने एल0 एस0 एस0 में जो डेलीगेट्स हैं उनका मनोनयन किया । प्रशासक अपनी पार्टी का बनाया और इस प्रकार से सहकारिता आन्दोलन जो गति और प्रगति के पथ पर चल रहा था उसको आपने पीछे डाल दिया ।

अभी जैसा कि रियासत साहब ने कहा कि सहकारिता निर्विवाद रूप से वह हथियार है जो कि गरीबों की सहायता करता है । हमें यदि समाजवाद को अपने प्रदेश में आगे बढ़ाना है तो निश्चित रूप से हमें सहकारिता की तरफ अधिक तवज्जह देनी होगी ।

मान्यवर, आपने देखा कि हमारी सरकार ने जनवरी, 1981 के पहिले प्रदेश में जो हाहाकार मचा हुआ था सस्ती दूकानों पर लोगों को चीजें नहीं उपलब्ध हो पाती थीं, सारे सामग्री का 90 प्रतिशत दूकानदारों के पेट में ही चला जाता था जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई थी परन्तु आज वह बात नहीं है । कांग्रेस सरकार ने यह क्रान्तिकारी कदम जनवरी, 1981 में उठाया था तब से सभी चीजें जनता तक पहुंच रही हैं । यह इस बात का द्योतक है कि हमारी सरकार जनता के लिये कुछ करना चाहती है, कांग्रेस सरकार आगे बढ़ना चाहती है, यह बात नहीं है कि इस बात को लेकर वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार के मामले यदि उनकी जानकारी में आते हैं तो वह उनको लिखकर दें, उनकी जांच होगी और निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कदम उठाये जायेंगे, लेकिन यहां यह कह देने से कि भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार पीछे नहीं हट सकती है । अभी जैसा कि रियासत साहब ने कहा उस सम्बन्ध में मेरा भी सुझाव है कि इसमें सप्लाई डिपार्टमेन्ट का इन्टर-फियरेन्स है, वह समाप्त होना चाहिए । आप खुद देखें कि जैसे पी0 सी0 एफ0 के माध्यम से सीमेन्ट दी जाती है, इसी प्रकार पी0 सी0 एफ0 के माध्यम से तेल और चीनी भी मिलनी चाहिए । इस प्रकार से मैं समझता हूं कि दो-तीन हफ्ते में तेल और चीनी साधन समितियों में और सहकारी समितियों में पहुंच जाती है । इसलिए मेरा निश्चित सुझाव है कि सप्लाई डिपार्टमेंट का अन्ड्यू इन्टरफियरेंस जो इसमें है, उसे समाप्त होना चाहिये ।

हमारे उत्तर प्रदेश में 1,090 एल0 एस0 एस0 हैं और इस प्रकार से 1,090 साधन समितियां हैं । हम एक लक्ष्य बना लें कि एक वर्ष में एक गांव

[श्री राम सिंह—]

में एक इण्डस्ट्री स्थापित करेंगे, एक वर्ष में एक गांव में एक इण्डस्ट्री स्थापित होनी चाहिए तो इस तरह से हम एक वर्ष में एक हजार इण्डस्ट्रीज कम से कम लगा सकते हैं। पैसा आपको कोआपरेटिव के पास है। जो व्यक्तिगत रूप से इण्डस्ट्री लगाना चाहते हैं तो गांव में इस प्रकार से इण्डस्ट्री लगाना मुश्किल हो जाता है। एक साल में एक हजार इण्डस्ट्रीज लग सकती हैं और 10–10, 12–12 लोगों को भी अगर हम इम्प्लायमेन्ट देंगे तो इससे अनइम्प्लायमेन्ट समस्या दूर हो सकती है। मैं समझता हूं कि औद्योगी करण इसके माध्यम से सबसे प्रभावी रूप से हो सकता है।

अभी लोग कह रहे थे कि हमारे को–आपरेटिव मूवमेन्ट में कुछ नहीं हो रहा है। मद्रास में भी कांग्रेस (आई) की सरकार है और वहां जो चीनी मिले हैं को–आपरेटिव की वह दूसरी मिलों से 2 रुपया अधिक गन्ने का मूल्य दे रही हैं। इस को हम देख सकते हैं कि इस को और अधिक प्रभावी कैसे बनायें लेकिन यह कहना कि एक रुपया घटा कर कर दें, तो मैं समझता हूं यह न्यायोचित नहीं है। ट्रांसफर इन्ट्री की बात है, इस को हम कैसे बन्द कर सकते हैं ? कोआपरेटिव बैंक की शाखायें बना दी जायें और बैंक के अधिकार उन को दे दिये जायें तो जो बैलेंस होगा रोजाना का उसको बन्द करना पड़ेगा, इससे ट्रांस्फर इण्ट्री नहीं हो सकेगी।

बहुत से किसान, मजदूर ऐसे हैं जिन्होंने कर्जा नहीं लिया है, उनके लिए मेरा मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि उन का सत्यापन होना चाहिए। 50–50, 60–60 हजार रुपये कर्जा है, अगर सत्यापन हो जायगा तो पता चल जायेगा कि अमुक व्यक्ति ने कर्जा लिया या नहीं। इस के साथ साथ कर्जे की वसूली के लिए इजी इन्स्टालमेन्ट होने चाहिए। वरना होता क्या है ? एक आदमी इतना सक्षम नहीं होता कि इतना कर्जा वह दे सके, वह आदमी मर जाता है, कर्जा भी मर जाता है। इसलिए कोआपरेटिव के हित में होगा यह और कर्जा भी वसूल हो जायेगा।

विश्व बैंक ग्रामीण योजना जो चली है, उसमें जैसे मेरे से पूर्व सुझाव आये सी0 बी0 आर0 आई0, सेन्ट्रल बिल्डिंग एण्ड रिसर्च इन्स्टीटयूट है से इस का मसाला चेक होना चाहिए, हमारे यहां एक बिल्डिंग बनी अगस्त में उसे सर्टिफिकेट मिला है लेकिन लिण्टर उस का गिर गया।

मछुओं की भी को–आपरेटिव सोसाइटीज हैं। इनके रजिस्ट्रेशन आदि की जो व्यवस्था है, कोआपरेटिव बैंक के लोग इन को सहयोग नहीं दे रहे हैं। मेरा निश्चित मत है कि इनकी स्थिति को ठीक किया जाये, मत्स्य पालन को प्रोत्साहन दिया जाये। यह एक विचारणीय विषय है।

एक तरह से यह हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम का अंग है इसलिए निवेदन है कि या तो डाइरेक्टर फिशरीज को अधिकार डेलीगेट कर दें कि वे इस तरह की जो सोसाइटीज हैं, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए। साथ ही साथ शीत गृह बन रहे हैं, 47 पूरे हो चुके हैं और 31 और निर्माणाधीन हैं, समझता हूं मई जून तक पूरे हो जायेंगे, आलू की जो दुर्व्यवस्था हो रही है, किसानों को समुचित मूल्य नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि जो कोआपरेटिव शीत गृहों में आलू रख रहे हैं उनको 50 प्रतिशत लागत की कीमत का एडवांस कर दें ताकि उनकी आर्थिक स्थिति जर्जर न हो जाये और वे समझें कि हमारा सहकारिता विभाग हमारी सेवा कर रहा है। इन शब्दों के साथ मुझे पूर्ण आशा

हूं कि विरोधी पक्ष द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव है उसे वे कृपा करके वापस ले लेंगे और हमारे माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट, जिन्होंने कई मामले भ्रष्टाचार के स्वतः ही पकड़े हैं, उनको सदन पारित करेगा ।

*श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका कृतज्ञ हूं । मान्यवर, सहकारिता विभाग राष्ट्रीय योजना के सन्दर्भ में समाज का एक महत्वपूर्ण आर्थिक मन्त्र सिद्ध होता अगर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में आर्थिक पिछड़ापन, बेरोजगारी, गरीबी और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की दृष्टि से प्रभावी कदम उठाया होता । लेकिन आज व्यावहारिक धरातल पर यह प्रतीत होता है कि सहकारिता विभाग आज भ्रष्टाचार का एक स्वरूप बन गया है । इस सम्बन्ध में बहुत सी प्रशस्तियां गायी गई हैं लेकिन मैं इस विभाग का एक कर्मचारी रहा हूं और व्यावहारिक अनुभव के आधार पर सही तथ्यों को आपके सामने रखना चाहता हूं । जहां तक ट्रांसफर एंट्री की बात है , चेक सिस्टम शुरू होने के पहले जिला सहकारी समितियों द्वारा अपना लेजर बन्द कर दिया जाता था और व्यय के खाते एक दो सप्ताह बाद एक-एक व्यक्ति से एक दो लाख रुपये लेकर कागज में जमा कर दिया जाता था और उसी दिन उसका भुगतान कर दिया जाता था । इस प्रकार दफ्तर में बैठ कर हजारों रुपये का कमीशन कोआपरेटीव्ज का पेमेंट होने के बाद अधिकारियों व कर्मचारियों को मिल जाता था। इस भ्रष्टचार में जिला स्तर से लेकर मंडल स्तर तक के अधिकारी सहभागी होते थे । जैसे पशु चिकित्सक, बी0 डी0 ओ0 और सप्लाई विभाग का एक वर्ग, ये विभिन्न वर्ग के लोग वितरण के धरातल पर घूम रहे हैं । जो कल तक व्यक्तिगत रूप से वितरण का कार्य करते थे, नये स्वरूप में आकर बोतल नयी भले ही हो लेकिन शराब वही पुरानी रखी है ।

पूर्वी जिलों से मैं सम्बन्धित रहा हूं और माननीय पाठक जी भी पूरब के ही रहने वाले हैं, पूर्वी क्षेत्र में सहकारिता विभाग का प्रचार प्रसार कोई कम नहीं है । अगर आप वहां जाकर देखें और पता लगायें तो मालूम होगा कि जितने सेल्स मैन के पदों पर नियुक्त किये गये हैं उसमें 95 प्रतिशत वे लोग हैं जो कल तक सस्ते गल्ले की दुकानों को चलाया करते थे । जनपद देवरिया में चयन समिति द्वारा सेल्स मैनों की नियुक्ति की गयी है लेकिन बिना सोचे समझे वहां की जिला प्रबन्ध समिति ने विभिन्न लोगों की नियुक्तियां की हैं जिनमें 90 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिन्होंने सहकारी विभाग के अन्तर्गत वितरण व्यवस्था में काफी पैसे खाये हैं । आप वितरण व्यवस्था के ऊपर व्यर्थ के लिये इतना इतराये हुए हैं ।

दूसरी बात यह कि वितरण व्यवस्था में जैसे लारी को सामान सप्लाई होना है तो उसकी निकासी सलेमपुर में कर दी है । उसका नतीजा यह है कि वहां जाने वाला व्यक्ति थोक में सारा सामान वहीं पर किसी के हाथ बेच सकता है । जब कि होना यह चाहिये कि निकासी की सुविधा लारी में होनी चाहिये ताकि विभाग का मुनाफा अधिकारियों के पास न जाकर गरीब लोगों को मिल सके । आज सहकारिता विभाग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और इस पाप में ऊपर से नीचे तक सभी शामिल हैं । पूरे प्रदेश में 8,201 समितियां हैं और स्थायी सचिवों की नियुक्तियां नहीं की गयी हैं । मेरी जानकारी को सुनिश्चित मान कर माननीय मंत्री जी विभाग द्वार स्थायी सचिवों की नियुक्तियों की घोषणा करें । 128 तो आप के निलम्बित सचिव पड़े हुये हैं, गबन के मारे हुये हैं । विभागीय अधिकारियों को पुरस्कृत किया जा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—]

रहा है । न मालूम कौन सी स्थिति ह । लाख–लाख, पचास हजार रुपये का जिन पर आहरण करने का आरोप लगाया गया है उन की सत्य निष्ठा कैसे प्रमाणित की जा रही है ?

कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भण्डारागार निर्माण कराने की योजना सहकारी विभाग के विचाराधीन है । कुछ निर्माण की बात आप ने की भी है यह निर्माण कहां हो रहा है । भण्डारागार की स्थिति कैसी है मैं नहीं जानता । एक बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों में जनपद देवरिया का तीसरे, चौथे नम्बर पर जिला सहकारी बैंक है । देवरिया जिला सहकारी बैंक को इस विभाग में कोई स्थिति नहीं है । माननीय मंत्री जी कागज का पुलिन्दा ले कर माननीय सदन में चले आते हैं वास्तविकता कुछ नहीं है । भण्डारागार की व्यवस्था शहर में हो, उत्पादन देहात में हो । देहात का संबंध सड़क से नहीं है ।

आलू के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, आलू को सुरक्षित रखा जाय, इस के लिए शीतगृह निर्माण की वृहत योजना आप की है । मेरे जनपद कसिया में कुढ़वा, बड़वापार में । शीतगृह की क्या स्थिति है । अब गांवों में दो–चार घण्टे बिजली दे देते हैं विद्युत संबंध गांवों से भी हो गवा ह । आने जाने के लिये सड़के हैं आप कहेंगे हमने गांवों को सड़कों से जोड़ दिया ह । इस शीतगृहों के जरिये आलू चलेगा । सहकारी विभाग तब तक फलेगा, फूलेगा नहीं जब तक गांव में हो, खाद की जरूरत गांव में हो, शीत गृह भण्डारागार शहर में बनें । इस प्रकार आप की योजना कैसे क्रियान्वित होगी ? माइक के खराब होने पर कुछ सुनाई नहीं पड़ा अपराध अनुसधान विभाग में जो लोग दंडित किये जाते हैं । वे आते हैं और आहरण किये हुये लोगों की मुकदमों की जांच करते हैं, अंतिम निर्णय वह अनुसंधान विभाग नहीं दे पाता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि आप कठोर प्रशासनिक व्यवस्था करें जिससे कि विभाग की जो लूट हो रही है वह न हो सके । मान्यवर, भूमि विकास बैंक के माध्यम से आप किसानों को दीर्घकालीन ऋण वितरण कराते हैं जिससे कि किसान रहट, पंपिंग सेट और ट्रैक्टर खरीद सकें ।

(माइक के खराब होने पर कुछ सुनाई नहीं दिया)

मान्यवर, भूमि विकास बैंक कृषकों को सुविधा देता है और मेरा अनुभव है कि आज किसी भी किस्म का ऋण जो भूमि विकास बैंक के माध्यम से मिलता है उसके लेने में किसानों को कितनी कठिनाई उठानी पड़ती है, कितना कमीशन लिया जाता है, ब्रांच मैनेजर, फील्ड अफसर, ग्राम सेवक और दूसरे लोग भी जो भूमि विकास बैंक के अधिकारी हैं, वही स्थिति आज हो गई है ··· (लाल बत्ती होने पर) । मान्यवर, दो मिनट का समय और दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

एक मिनट आप और ले लें ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

आज ठीक वही स्थिति हो गई है जिस तरह से सीता के स्वयंवर के समय अकेले रावण पर्याप्त था सीता के चीर लूटने का किन्तु आज किसान और गरीबों को लूटने के लिए कई रावणों का हुजूम लग गया है ।

एक सदस्य--

यह आपने कई बार कह दिया है।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

किन्तु फिर भी आप पर कोई असर नहीं पड़ता है। आज किसान लूटा जा रहा है। आज किसानों के अन्दर विपन्नता की स्थिति पैदा हो गई है। आज गरीब किसान की फटती हुई चमड़ी अधिकारियों के यहां, विधायकों के यहां और मन्त्रियों के यहां आकर सलाम करती है, उनसे निवेदन करती है लेकिन अपनी साख और मर्यादा खो कर दफ्तर में बैठकर अधिकारी उनको लूट रहे हैं। गरीबी का उपहास कर रहे हैं। यदि आप इस दो घन्टे की चर्चा का कोई फायदा उठा सकें और प्रदेश की साढ़े ग्यारह करोड़ जनता की सेवा कर सकें तब तो यह सही है अन्यथा इस चर्चा से कोई लाभ नहीं है। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री रिजवानुर्रहमान किदवाई--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, सन् 1981 में यह वितरण व्यवस्था सरकार द्वारा लागू की गई थी। (माइक खराब होने के कारण कुछ सुनाई नहीं दिया)। सरकार ने 10 हजार दुकानें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खोली थीं जिनमें से 9 हजार दुकानें केवल गांवों के लिए थीं। इनके माध्यम से चीनी, मिट्टी का तेल और जो भी गांवों में रहने वाले लोगों के लिए आवश्यक चीजें होती हैं, इन दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। टायर, ट्यूब और कपड़ा तथा अन्य इसी तरह की सामग्री इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित की जा रही हैं। मान्यवर, इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कुछ कमियां भी हैं। उन कमियों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह सही है कि सहकारिता के जरिए जितनी भी सामग्रियों का वितरण किया गया है वह पहले के हिसाब से अच्छा है आज छोटे-छोटे गांवों तक में हर आदमी को चीजें उपलब्ध हो रही हैं। लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं जो हमारी सोसाइटियां हैं गांव के स्तर पर उनके पास स्टाफ नहीं है। वही स्टाफ वितरण करता है और वही स्टाफ वसूली का काम भी करता है हमारी सारी सामग्रियां उन्हीं के माध्यम से वितरित होती हैं।

मान्यवर, यहां पर आरोप लगाया जाता है कि कोआपरेटिव के जरिये बांटे गये ऋण की वसूली नहीं होती है लेकिन आप देखेंगे कि पिछले सालों की तुलना में इस साल कोआपरेटिव की वसूली अच्छी हुई है जितनी कि पहले कभी नहीं हुई थी। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं। तो मैं कह रहा था कि वितरण और वसूली का काम एक ही व्यक्ति के जरिये से किया जाता है इसके लिए मेरा सुझाव है कि इस काम में अलग-अलग लोग होने चाहिए। साधन सहकारी समितियां खाद भी बांटती हैं और वही उनका स्टाफ वसूल भी करता है इसलिए वसूल करने वाला स्टाफ अलग हो। अगर यह किया जायेगा तो इसमें आसानी होगी और वसूली अच्छी होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रिजवानुर्रहमान किदवाई—]

इसी प्रकार उपभोग की कुछ वस्तुओं का वितरण खाद्य विभाग करता है और कुछ कोआपरेटिव विभाग करता है। तो इसमें आपस में तालमेल नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि पूरी व्यवस्था उपर से नीचे तक कोआपरेटिव विभाग ही करे ताकि जो भी कमी हो वह दूर हो और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सामग्री का वितरण सही तरीके से हो सके। एक ही स्टाफ के द्वारा वह काम होने के कारण चेकिंग भी सही नहीं हो पाती है। स्टाफ में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वह जाकर मौके पर चेकिंग करें। इसलिए मैं चाहूंगा कि चेकिंग स्टाफ की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया था कि अलग-अलग स्टाफ होना चाहिए जिला स्तर पर ए० डी० ओ० और इंस्पेक्टर अलग-अलग होने चाहिए।

मान्यवर, सहकारिता में एक सेवा मंडल गठित किया गया है। उ० प्र० में सहकारिता विभाग में जितनी जगहें निकालती हैं, जहां-जहां के लिए जगहें होती हैं वह सब इसके माध्यम से भरी जाती हैं। इसमें थोड़ी कमी है उसकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उसमें जो परीक्षायें होती हैं वह लिखित नहीं होती है केवल सलेक्शन होता है। मैं, माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि उसमें लिखित इंम्तहान होना चाहिए। जब लिखित इम्तहान वह पास करे, तो उसके बाद इन्टरव्यू या और आगे का कार्य हो, तभी उसका कोई दखल होना चाहिए। क्योंकि यह देखने में आया है कि इसके न होने से सही लोग चुनकर नहीं आ पाते हैं। इसलिए उसमें इम्तहान जरूर होना चाहिए।

मान्यवर, दो एक साल पहले नगरीय बैंक या अरबन बैंक्स की व्यवस्था कराई गई है और इस बात पर हमारी सरकार ने जोर दिया था कि नगरीय बैंक्स शहरों में खोले जायें। लेकिन यू० पी० भर में दो-तीन ही खुले हैं। जिसमें से मेरे जिले बाराबंकी में भी एक खुला है, जो कोशिश करके खोला गया है, लेकिन आज उसकी व्यवस्था या देख-रेख हमारे सहकारिता विभाग की तरफ से नहीं है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह इस तरफ ध्यान दें कि जो नगरीय बैंक खुले हैं उनकी ठोक व्यवस्था हो और उनके पास पैसा भी रहे जिससे वह जरूरत मन्द लोगों को ऋण दे सकें और जहां तक यह बैंक नहीं खुले हैं वहां पर इनके खोलने की व्यवस्था की जाए।

हमारे यहां कोआपरेटिव बैंकों में जो ब्रांचेज हैं, उनमें बैंकिंग और वसूली स्टाफ एक ही होता है, जिससे कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। ज्यादातर उत्तर प्रदेश में इसकी जो शाखाएं हैं, उसमें दो तीन व्यक्ति होते हैं—मैनेजर, लिपिक और एकाउन्टेन्ट। लेकिन इसके अलावा वहां पर एक फील्ड अफसर की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वसूली में बढ़ोत्तरी हो और ऋण बांटने में सहूलियत हो। क्योंकि बैंक मैनेजर 10 से 2 बजे तक अपने बैंक से कहीं हट नहीं सकता है और उसके बाद वह अपने एकाउन्ट्स का मिलान आदि करता है, फिर दो बजे से पांच बजे तक वह अपना हिसाब ठीक करता है, उसके बाद वह अपनी वसूली के लिए निकलता है, तो इस तरह से वह अपनी वसूली में पूरा ध्यान और समय नहीं दे पाता है, वसूली पूरा नहीं कर पाता है।

नेशनलाइज्ड बैंक की जो ब्रांचेज हैं, उनमें फील्ड अफसर अलग से होता है, वह वितरण और वसूली का कार्य अलग से करता है। जिससे उनकी वसूली अच्छी होती है। अतः मेरा मंत्री जी को सुझाव है कि हर ब्रांच में एक फील्ड अफसर की व्यवस्था होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और

मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सहकारिता के बजट का मैं स्वागत करता हूं और उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, आज के इस सहकारिता के बजट पर कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार अधिक है। कुछ ने कहा है कम है और कुछ ने कहा है कि नहीं है । लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार का दूसरा नाम ही सहकारिता पड़ गय है । इस विभाग में कर्मचारी से लेकर ऊपर मंत्री तक सारे के सारे लोग भ्रष्ट हैं । नीचे के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की कहानी तो सभी कह लेते हैं, लेकिन मैं मंत्री जी से सिर्फ एक ही बात जानना चाहूंगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कौन सा ऐसा कार्य किया है, जिसमें उन्होंने दक्षिणा की मांग न की हो। बिना दक्षिणा लिए, बिना पैसा लिए अगर एक भी कार्य किया हो तो मंत्री जी बता दें ? कुछ दिन पूर्व एकाउन्टेन्ट का सेलेक्शन हुआ था, उनका इन्टरव्यू भी हो गया था लेकिन सूची मंत्री जी के कार्यालय में इसलिए रोक ली गयी क्योंकि हर एक आदमी से अलग-अलग सौदा नहीं हो रहा है, वह मामला आज भी विचाराधीन पड़ा हुआ है और जिस दिन सौदा पट जायगा उसी दिन लिस्ट आउट कर दी जायेगी । इसलिए नीचे से ऊपर तक सारे के सारे लोग भ्रष्टाचार से लिप्त हैं । जिस विभाग में प्रशासनिक मशीनरी से लेकर शासन स्तर तक....

(घोर व्यवधान)

इस विभाग के सम्बन्ध में, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि जिस विभाग में साधारण कर्मचारी से लेकर मंत्री स्तर तक भ्रष्ट हों, उसका क्या हाल होगा ? माननीय मंत्री जी अपने बजट भाषण में कह रहे थे कि गांधी जी का स्वप्न साकार कर रहे हैं और ऋण वितरण की बात उठाते हुए कहा कि वे सूद खोरी से जनता को नजात दिला रहे हैं । लेकिन स्थिति यह है कि सूद खोरी से नजात दिलाकर ये उनको अपने कर्मचारियों का गुलाम बना रहे हैं, हमेशा-हमेशा के लिये ।

माननीय मंत्री जी एक भी ऐसी समिति का नाम नहीं बता सकते हैं जहां पर सहकारिता के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुसार काम हुआ हो । आप किसी भी समिति को ले लें, जिन लोगों ने कर्जा नहीं लिया उनके नाम पर ऋण दिखाया हुआ है, और जिन्होंने दस्तखत नहीं किए उनके फर्जी दस्तखत बना दिए गए । जनता पार्टी के शासनकाल में भी यह मामला उठाया गया था और तब सत्यापन का मामला उठा था लेकिन भ्रष्ट प्रशासनिक मशीनरी के कारण किसानों को न्याय नहीं मिल पाया था और आज मंत्री जी कह रहे हैं कि हम उनको ऋण दे रहे हैं । मेरा तो कहना यह है कि जिसने कर्ज नहीं लिया था उसके गले में भी फंदा डाल रहे हैं ।

जहां तक इनकी वितरण प्रणाली का सम्बन्ध है यह सचिवों के माध्यम से आरम्भ हुयी है । मैं भी सहकारिता का समर्थक हूं लेकिन अफसोस है कि निर्बल वर्गों के लोगों को सहायता पहुंचाने वाला यह सहकारिता विभाग उन्हीं की गर्दन दबाने के लिए जुट हुआ है । एक ही बात मैं वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कोई भी एक ब्लाक या कोई भी एक समिति उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मंत्री जी नहीं बता सकते हैं जिसमें गांवों के अन्तर्गत रहने वाले लोगों को सारी आवश्यक चीजें वितरित की जाती हों, या की गयी हों । मैं अपने जनपद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम आसरे वर्मा--]

की बात बताता हूं जहां पर एक ए० आर० जो मेन्डेक्स के नशे में रहता है। किसी काम की बात उनसे कीजिए, उससे उन्हे कोई मतलब नहीं रहता।

हमारे मंडलीय मंत्री जी भी वहां पर गए थे। उन्होंने भी उस चीज को देखा और हिदायतें दी थी लेकिन उनका कोई असर उसके ऊपर नहीं पड़ा। वितरण प्रणाली की सफलता का यहां पर बहुत दावा किया गया लेकिन अगर मंत्री जी अपने दिल को टटोल कर देखें तो पायेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में तो क्या अपने क्षेत्र की ही जानकारी कर लें तो पायेंगे कि कहीं भी वितरण प्रणाली को लागू करने में सफल नहीं हुए हैं। मंत्री जी ने सफलता का तो दावा किया लेकिन क्या ये इस सफलता को अपने सचिवों के माध्यम से जिनकी स्थिति के बारे में अगर माननीय मंत्री जी से भी पूछा जाये तो वे बयान नहीं कर पायेंगे।

मान्यवर, अप्रैल, 1981 में इस विभाग में जो सचिव हैं उन्होंने एक आन्दोलन का नोटिस दिया अपनी दयनीय वित्तीय स्थिति को अवगत कराते हुए। उस समय सहकारिता मंत्री माननीय राम रतन सिंह जी थे। उन्होंने बीच में पड़ कर तथा निबन्धक महोदय के बीच में पड़ने और आश्वासन देने पर वह आन्दोलन वापस हो गया। पर अभी तक वह आश्वासन पूरा नहीं हुआ और न ही उसे पूरा करने के लिए कोई कदम ही उठाया गया। काम की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है, पर उनकी मांगों पर बिचार नहीं किया जा रहा है। उनकी दर्दनाक स्थिति पर विचार नहीं किया जा रहा है। एक तो मान्यवर, खाज होता है दूसरा ऊपर से कोढ़ होता है। यह सचिव जो थे यह तो भ्रष्टाचार के लिए प्रसिद्ध थे ही, अब प्रशासकों को नियुक्त करके एक कोढ़ पैदा कर दिया गया है। आज सचिव और प्रशासक के बीच खींचातानी चला करती है।

मैं हरदोई की बात बता रहा हूं। हमारे यहां कुछ प्रशासकों की नियुक्ति की गयी ह

[× × ×]

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

यह आप किस नियम के अन्तर्गत आक्षेप लगा रहे हैं ?

(व्यवधान)

आप यह आक्षेप नहीं लगा सकते। इन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

(व्यवधान)

नोट--[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम आसरे वर्मा--

मैंने किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कहा है । मैंने तो एक स्थिति बयान की है कि हरदोई में जितने भी प्रशासक नियुक्त हुए हैं

[× × ×]

सरकार कोई कमेटी बना दे और इसकी जांच करवा ले, अगर मेरी बात सत्य हो तो मंत्री जी इस्तीफा दे दें, मेरी बात गलत हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

यह बात आप तभी कह सकते थे जब पहले मुझे लिख कर दे देते । अब यह सवाल नहीं उठता । यह आक्षेप वाला हिस्सा कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

जो हालत थे वही मैंने बयान किये हैं । जो प्रशासक इस गलत तरीके से नियुक्त होंगे वे वितरण में गड़बड़ी करके पैसा गलत तरीके से पैदा करेंगे और अपनी क्षति पूर्ति करेंगे । मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं सहकारिता के मूलभूत सिद्धान्तों से सहमत हूं । दुःख उस समय होता है कि एक असहाय वर्ग के लिए सहाय अस्त्र के रूप में सहायता देने के लिये कार्य करने वाला विभाग अगर, करने वाला कार्य नहीं करता, और असहायों की गर्दन दबाने के लिये लग जाय और ऐसे विभाग का बजट यहां पर प्रस्तुत किया जाय, तो यहां पर उसका विरोध करने के अलावा और कुछ नहीं रह जाता है । मान्यवर, इन शब्दों के साथ जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

* श्रीमती बेनी बाई--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे इस सहकारिता के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत सहकारिता के बजट का समर्थन करती हूं । मान्यवर, हमारे माननीय राम आसरे वर्मा जी जो बोल रहे थे, और इस सहकारिता विभाग की उन्होंने बहुत सी आलोचना की, और तमाम भ्रष्टाचार की बात कही । मान्यवर, तीस साल तक जब ये शासन में रहे, तो इन्होंने भ्रष्टाचार कितना कम किया ? कम किया या बढ़ाया ? मान्यवर, इनके शासन काल में दुगुना भ्रष्टाचार बढ़ा । गरीबों की जमीनें छीन ली गईं थीं । जो सहकारिता के जरिये पलते थे, उनसे ऋण की वसूलियां जबरदस्ती कराई गई, जेल में भेजे गये । इनके सारे वर्कर्स इनके पास गये, और उनको ये पनाह देते थे । इन्होंने चाहा कि नगर विकास हो, इन्होंने चाहा सहकारिता हो, लेकिन इन्होंने सबको भंग करके सबमें नामिनेशन किया । इस प्रकार का इनका समाजवाद है ।

इन्होंने अपने शासन काल में प्रजातन्त्र का गला घोटा । मैं माननीय मंत्री जी के द्वारा जो सहकारिता का बजट रखा गया है, उसका तहेदिल से समर्थन

नोट--[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्रीमती बेनी बाई--]

करते हुये निवेदन करूंगी कि यह सहकारिता विभाग हमारे देश और प्रदेश के प्रत्येक किसान के घर में फैला हुआ है । यहां के गरीब, निर्बल वर्ग, सवर्ण वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, चाहे ऋण में, चाहे बीज में, चाहे खाद में हो, इनको बहुत बड़ी राहत दी गयी, चाहे पम्पिंग सेट हो, चाहे ट्रक्टर हो, इनको 50 प्रतिशत छूट दी गई । इस विभाग के बारे में हमारा सारा का सारा गरीब वर्ग इनको बहुत बड़ी दुवायें देता है । मान्यवर, इतना ही नहीं, मैं कहना चाहूंगी कि इस सहकारिता के द्वारा जिन गांवों में मैं जाती थी सन् 1957 में, उसमें मैंने देखा कि लोगों के कच्चे मकान थ, आज मैं देखती हूं, 75 प्रतिशत हरिजनों के मकान पक्के बने हुये हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत काफी आगे बढ़ गयी है । इतना ही नहीं, मैं इसके आगे कहना चाहूंगी कि कोई भी किसान मुझे भूमि-हीन नहीं मिलता है और न भूमिहीन लगता है, इसलिये नहीं लगता कि हमारी सरकार ने जब सीलिंग ऐक्ट चलाया, तो उसमें सीलिंग में बहुत सी जमीन हरिजनों को मिलीं और बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिजनों को काफी जमीनें दी गयीं ।

मान्यवर, मैं देखती रही हूं, मेरे झांसी जिले में 1 हजार मुकदमें हरिजनों पर चलाये और मजिस्ट्रेट के बगल में बैठकर विरोधी पार्टी के वर्करों ने उनको हरवाया । बहुत से हरिजनों के पास पैसे नहीं थे, जो कमिश्नरी में जाते, लेकिन कुछ कमिश्नरी में गये भी, सभी मुकदमें जाते हैं और वे मुकदमें जो बचे थें, उसे हमारी सरकार ने खिदड़ा किया ।

मैं दो-चार शब्द एग्रिकल्चर के बारे में कहना चाहती हूं । जो यह एग्रिकल्चर सोसायटियां बनी हुईं हैं, वह प्रदेश मे अधिकांश एग्रिकल्चर सोसायटियां डेड पड़ी हुई हैं या तो उनको चालू हालत में किया जाय, अगर वह नहीं चल सकती हैं, तो वह सोसायटी की जो जमानें हैं, वह ग्राम समाज को वापस की जाय और उनको भूमिहीन हरिजनों को बंटवा दी जानी चाहिये । दूसरा निवेदन यह है कि जो किसान सेवा सहकारी समितियां बनाई गयी हैं, उनके संचालन के लिए ए0 डी0 ओ0 ग्रुप (ii) के जो होते हैं, वे न रखे जायं बल्कि सुपरवाइजर जो ग्रुप (iii) के होते हैं, वे रखे जायं । उसमें 11 सौ रुपये के ii ग्रेड ए0 डी0 ओ0 रखे जाते हैं । मैं चाहूंगी कि थर्ड ग्रुप सुपरवाइजर रखे जाय ताकि आर्थिक बोझ सोसाइटी पर न पड़े । इसके साथ ही साथ एक बात मैं और कहना चाहूंगी हमारी सो समितियां बनी हैं चाहे एग्रीकल्चर समिति हो, चाहे साधन समिति हो या किसान सेवा सहकारी समिति हो इनका दफ्तर न्याय पंचायत के हेडक्वार्टर पर होना चाहिये । नगरों में नहीं नगरों की जो समितियां हैं वह वहां बनाई जायं ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके । एक बात मैं यह कहना चाहती हूं कि जो रिकवरी होती है उसमें 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्ज अमीनों के लिये रहता है । मैं निवेदन करूंगी कि कलेक्शन चार्ज बिल्कुल समाप्त कर दिया जाय ताकि किसानों को 10 प्रतिशत का अधिक बोझ न उठाना पड़े ।

तीसरा निवेदन मैं यह करूंगी कि सहकारिता के अन्तर्गत माननीय मंत्री जी ने तमाम शीतगृहों को खोलने की घोषणा किया है । मैं चाहूंगी कि हमारे झांसी जनपद में भी शीतालय की व्यवस्था की जाय क्योंकि वहां पर भी जगह-जगह आलू, अदरक और अरबी होने लगी है । शीतालय की व्यवस्था हो जाने से किसानों का उत्पादित सामान सड़ेगा नहीं और वह उसमें रख कर उसका सही मूल्य ले सकेगा । एक बात मैं यह कहना चाहूंगी कि इस विभाग द्वारा दुग्ध संघ खोला गया है मैं निवेदन करूंगी कि झांसी जिले में भी बनाया जाय । एक चीज मैं यह कहना

चाहती हूं कि इलेक्शन में कोई हार जाता है तो अब आरबीटेशन में जाता है डी0 एम0 के पास वह उसे एस0 डी0 ओ0 के पास भेज देता है वह उसका फैसला करता है जब कोई हार जाता है तो दूसरा जाता है तो कहते हैं कि हमने तो एक बार कर दिया है। मैं चाहूंगी कि इसको जूडीशियल में भेज दिया जाय। मुन्सिफ के पास जाय और उसके बाद जज के पास। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि हर विभाग में हरिजनों का 18 प्रतिशत है। इस विभाग में भी 18 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री द्वारा रखे बजट का समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

*श्री नन्द किशोर सिंह––

माननीय उपाध्यक्ष जी आपने मुझे श्री दिवाकर विक्रम सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं सबसे पहले देवरिया जिले को लेता हूं। अक्तूबर, 81 में सेल्समैन की एक हजार दरख्वास्त पड़ी उसमें तमाम सहकारी सेक्रेटरीज, कन्ज्यूमर के सेक्रेटरी, डी0 सी0 एफ0 के सेक्रेटरी ए0 आर0 इनको मिलाकर 5 लोगों की समिति बनी। इन्टरव्यू हो गया। अक्तूबर, 81 में हुआ लेकिन आज तक यह पता नहीं चला कि कितने पद हैं और न किसी भी आदमी को नियुक्ति हुई। आपस में ए0 आर0 और सचिव झगड़ा कर लिए और आज तक कोई नहीं रखा गया। जब कि सोसाइटियों से 80 पदों की मांग हैं। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इधर ध्यान दे और जो भी हो उसी के रिश्तेदार हों, उनको रखवाने की कृपा करें।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने प्रशासकों की घोषणा की है। देवरिया जिले के रुद्रपुर में 40 प्रतिशत ऐसे लोगों को प्रशासक बनाया गया हैं जो 2–2, 3–3 कत्ल के मुल्जिम हैं। जो जेल में रहे हैं उनको आपने प्रशासक बना दिया है। लखनऊ में मोहनलाल गंज का प्रशासक, बाबू सिंह बनाया गया है जो 25 डकैतियों का मुल्जिम है और दो डकैतियों में सजा मिल चुकी है। इसी तरह से ऐसे लोग प्रशासक बनाये गये हैं जो कोआपरेटिव के मेम्बर तक नहीं हैं और यही नहीं देवरिया में 3–4 प्रशासक ऐसे हैं जो मेम्बर नहीं हैं और न सम्बन्धित ब्लाक के निवासी हैं फिर भी उनको प्रशासक बना दिया गया है। इसलिए प्रशासक बनाते समय आपको अपने ही लोगों को बनाना है तो कम से कम अच्छे किस्म के लोगों को बनाया जाय।

अब मान्यवर, वितरण प्रणाली में कहना चाहता हूं कि पहले से सुधार हुआ है लेकिन जितना होना चाहिए उतना सुधार नहीं हुआ है इसका कारण है कि खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर आये दिन फर्जी रिपोर्ट लगाकर सेलसमैनों को जेल में बंद कराने का काम कर रहे हैं चूंकि पहले की तरह उनको प्रति बोरी चीनी पर और मिट्टी के तेल में जो मिलता था वह नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि खाद्य एवं रसद विभाग के जो इंस्पेक्टर हैं वह असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोआपरेटिव के अंडर में होने चाहिये ताकि उनके आदेशों को वह मान सकें।

मान्यवर, हमारे जनपद देवरिया के हमारे निर्वाचन क्षेत्र गौरी बाजार में एक शीतगृह की स्थापना की बात पास हो गयी थी जिसमें हमने प्रयास करके जमीन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नन्द किशोर सिंह---]

दिखलाई थी लेकिन सुनने में आया है कि वह शीतगृह अन्यत्र बनाया जायेगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि देवरिया में आलू की पैदावार अधिक हो रही है, रखने का स्थान नहीं है और प्राइवेट वाले 25-30 रुपये लेने के बावजूद नहीं रख रहे हैं, इसलिये निवेदन है कि हमारे यहां गौरी बाजार में वह शीत गृह बनाया जाय और साथ ही साथ 3 ब्लाकों में एक शीत गृह बनाने की योजना बनायी जाय।

मान्यवर, न्याय पंचायत स्तर पर जो सोसाइटी हैं वहां 30 जून को ट्रान्सफर इन्ट्री करते हैं जिसको रोका जाना चाहिये। मैं कोआपरेटिव का मेम्बर हूं, इसलिये मुझे पता है कि जो किसान 2 हजार का ऋण लेता है वह ट्रान्सफर इन्ट्री के जरिये 2 हजार की जगह बढ़कर 5 हजार रुपये तक हो जाता है, इसलिए इस पर रोक लगायी जाय।

मान्यवर, अब मैं कहना चाहता हूं कि एल0 डी0 बी0 द्वारा आप लोन दे रहे हैं लेकिन किसान जो इंजन या मशीन 5 हजार रुपये नकद देकर पा सकता है उनको वह एल0 डी0 बी0 लोन द्वारा 7,500 रुपये में मिलती है जिससे किसान को कोई फायदा नहीं है, इसलिये मंत्री जी को इस पर सोचना चाहिये।

मान्यवर, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में गौरी बाजार में बैतालपुर ब्लाक के अन्तर्गत अनन्तपुर सोसाइटी है उसमें 2 लाख रुपये का गबन 5-6 साल पहले हुआ था उसकी वसूलियां चल रही हैं और 60-70 हजार रुपये साबित हो चुका है जब कि मेम्बरों के दस्तखत नहीं हैं लेकिन उनको बीज और खाद नहीं मिल रही है, इसलिए इसमें मंत्री जी देख लें। इसी प्रकार सुकरौली कोआपरेटिव बैंक की शाखा है वहां का मैनेजर श्री शुक्ला है, 6 वर्ष पहले गबन किया था जिसको अपराध अनुसंधान शाखा ने जांच किया था और 10 अक्तूबर, 1981 को कोआपरेटिव बैंक से उसको गिरफ्तार किया गया था, 5-6 दिन जेल में रहे, उसके सम्बन्ध में लिखा गया किन्तु आपके अधिकारी जो गलत हैं, उसको एक दिन भी सस्पेंड नहीं किया। तो जांच से क्या फायदा हुआ ?

(4 बजकर 30 मिनट)

मान्यवर, इसी प्रकार से, मैं कहना चाहता हूं कि आपने अनुसूचित जाति के लोगों की मध्यकालीन ऋण बिना ब्याज के देने की बात कही है। तो यह जो सचिव और प्रशासक वगैरह हैं वह लोग अनुसूचित जाति के लोगों के नाम फर्जी तौर से बिना ब्याज वाला ऋण ले लेंगे तो आप इसमें ध्यान रखें कि पैसा सही लोगों को मिले। मान्यवर, पिछली बार कोआपरेटिव में विभाग द्वारा पैसा जमा करके मेम्बर्स बनाये गये। उसमें लाखों रुपयों का गबन देवरिया जिले में हुआ है और फर्जी तौर पर मेम्बर्स बनाकर पैसा निकाल लिया गया है। भलोनी ब्लाक में एक सोसाइटी है जिसके बारे में मैंने दरख्वास्त दिया था तो आपने डी0 डी0 आर0 गोरखपुर को जांच के लिये नियुक्त किया था,। वह मौजूद थे वहां पर सचिव ने लाठियों से मारकर जिन्होंने दरख्वास्त दिया था, उनके हाथ पैर तोड़ दिया। लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही सचिव के खिलाफ नहीं की गयी है।

जो कोआपरेटिव विभाग के सचिव हैं, हिन्दुस्तान में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिसको सवा दो सौ या ढाई सौ रुपये तनख्वाह मिलती हो। उनका आप एक ग्रेड तय कर दें। चाहे चतुर्थ श्रेणी का ग्रेड तय कर लीजिये और वेतन के साथ महंगाई दीजिये। इस महंगाई के जमाने में दो सौ या ढाई सौ रुपये से काम नहीं चलता है जिसका नतीजा यह है कि वह मजबूर होकर भ्रष्टाचार में लिप्त हो

जाते हैं । इन शब्दों के साथ में जो दिवाकर विक्रम सिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं ।

(इस समय 4 बजकर 32 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

(श्री शिव नारायण सिंह नेगी का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य--

मान्यवर, मेरा नाम होगा, देख लीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें मैंने माननीय शिव नारायण सिंह को बुला लिया है ।

*श्री शिव नारायण सिंह नेगी--

मान्यवर, समाज में समाजवाद की व्यवस्था लाने का एक साधन सहकारिता है । गरीब, कमजोर और दबे हुये जो लोग हैं उनको आपस में इकट्ठा करके, अपने साधनों के द्वारा तरक्की करने का सहकारिता एक साधन है । जहां तक इस बजट का प्रश्न है, मैं सहकारिता मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही कटौती के प्रस्ताव पर जिन लोगों ने अपने विचार रखे हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने विचारों में भ्रष्टाचार की ज्यादा बातें कही हैं । जहां तक मेरा ख्याल है सहकारिता आन्दोलन 1885 में इंग्लैंड में स्थापित हुआ और आज भी डाक्टर होम उसके प्रेसीडेंट हैं । उसी के अनुरूप भारत में बर्तानिया की हुकूमत के दिनों में सहकारिता का कार्य यहां चलाया गया । उसमें बहुत खामियां और कमियां थीं ।

भारत के विभाजन के दिनों में यहां पर परेशानियां वितरण व्यवस्था में रहीं और उसके बाद सहकारिता के कार्यक्षेत्र में दिन प्रति दिन कुछ न कुछ रद्दोबदल हुये। सन् 1971 के बाद वितरण व्यवस्था और प्रणाली में संशोधन किया गया और बैंकों द्वारा किसानों को ऋण दिये गये ।

मान्यवर, बहुत से लोगों ने इस बात पर अपने विचार जाहिर किये कि आज बैंकों में ऋण देने में भ्रष्टाचार हो रहा है । मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि बैंक किसी को भी सीधे ऋण वितरण नहीं करती है, वह साधन समितियों के माध्यम से अपने मेम्बरों को ऋण देती है । जहां तक सहकारिता के अन्दर भ्रष्टाचार की बात कही गयी है, मैं उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि समाज में समाजवादी व्यवस्था लाने के लिये सहकारिता ही एक माध्यम है, तो केवल भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार कह देने से ही काम नहीं होता । जितने लोगों ने इनमें कमियां और खामियां बतलायी, उन्होंने भी इस बात का प्रयत्न नहीं किया कि जब मेम्बर बनाने की बात आती है और वहां की समितियों में दूसरे कार्य होने की बात आती है तो उन्होंने कितना सहयोग इसमें दिया ?

इस हाउस में भ्रष्टाचार की बात कहना और अपने गांव में समितियों को किसी तरह से प्रोत्साहन न देना, उनके मेम्बरों की कठिनाइयों और परेशानियों को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शिव नारायण सिंह नेगी--]

दूर न करना, यह कहां का समाजवाद है, यह कैसे होगा ? अभी कुछ लोगों ने इस बात को ओर भी आपका और मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया कि पर्वतीय क्षेत्र में रानीखेत में एक फैक्ट्री है, जो सुरा का निर्माण करती है । मैं समझता हूं कि उन्होंने पूरी जानकारी हासिल नहीं की, वह फैक्ट्री आयुर्वेदिक की दवाओं की बहुत बड़ी निर्माता है, सहकारिता के आधार पर वह दवाओं का निर्माण करती है और सारा निर्माण आयुर्वेदिक तौर-तरीके से होता है । जहां तक सुरा की बात है, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूं कि वहां की सुरा में अल्कोहल न के बराबर होता है, वह दवा के प्रयोग में आती है, लेकिन अगर मार्केट में कोई उसका दुरुपयोग करता है तो सहकारिता का उसमें कोई दोष नहीं है ।

आज भी 150-200 बेरोजगार लोग उस फैक्ट्री में सहकारिता में काम करते हैं और वह उन लोगों को रोजगार देने वाली एक संस्था है। जहां तक सोयाबीन फैक्ट्री हल्द्वानी में बनने का प्रश्न है, बड़े प्रयत्न के बाद इस बात की कोशिश हुई, इसके लिये मैं सहकारिता विभाग को धन्यवाद देता हूं, वहां का बाशिन्दा होने के नाते । सिर्फ मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि वहां के लोगों ने भूमि उपलब्ध करायी, अपकी दूसरी परेशानियां दूर कीं, जितने उसमें काम करने वाले हैं, उनकी ओर आप अधिक से अधिक ध्यान देने की कृपा करें ।

माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सहकारिता के कायदे और कानून में तरमीम करने की आवश्यकता है । आज के युग में जब कहीं पर भी टर्म का प्रश्न नहीं होता, गांव सभा से लेकर विधान सभा और राज्य सभा और पार्लियामेन्ट में भी टर्म नहीं लगता, प्रजातंत्र के युग में टर्म लगाया है, उसको समाप्त करने की कृपा कीजिये । जब हर जगह 5 साल का नियम है तो कोआपरेटिव में भी 3 साल के बजाय 5 साल करने की कृपा कीजिये । जहां तक सेवा मन्डल का प्रश्न है, मैं आपका ध्यान इसके क्रियाकलापों की ओर दिलाना चाहता हूं । टोकियो, (जापान), जर्मनी और कनाडा, जहां मैं अभी गया था, वहां पर संचालक मन्डल के द्वारा ही सारे कर्मचारियों की नियुक्तियां होती हैं और उनका पेमेन्ट सहकारिता विभाग और कृषि विभाग से लिया जाता है । यह अधिकार आप सहकारी संस्थाओं को दीजिये अगर इतना भी आप नहीं दे सकते हैं तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को और लिपिकों के पदों के लिये आपको यह अधिकार श्रीमन्, देना ही पड़ेगा ।

इसके बाद में वितरण प्रणाली की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आपकी बड़ी कृपा हुई कि वितरण व्यवस्था को सहकारिता के आधार पर करने की आपने व्यवस्था की है । वितरण सम्बन्धी जो भी सामान आपके पास है वह सहकारी दूकानों पर देने की व्यवस्था कीजिये जहां से गांव के दूर-दराज की जगहों पर वह सामान पहुंच सके और वहां के निर्बल वर्ग को वह सामान मिल सके ।

साथ ही में आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि जो पुलिस सेल में भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको रोकने के लिये आप सख्ती से काम कीजिये । इसके अतिरिक्त मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि आपने जो सुविधायें कृषि और उसके उत्पादन में लगाई हैं उसी

प्रकार से पर्वतीय क्षेत्रों का जो उत्पादन है फल और आलू उसके लिये भी शीतगृहों की व्यवस्था करवाने की कृपा करिये जिससे कि वहां की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके ।

इन्हीं शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सहकारिता के बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सभी सम्मानित सदस्यों पर अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस बजट में भाग लिया । साथ ही साथ में उन सभी सदस्यों का आभारी हूं मान्यवर जिन्होंने प्रजातंत्र की इस विधान सभा की कार्य प्रणाली की औपचारिकता को अपनाते हुए लगभग सभी सम्मानित सदस्यों ने मेरे द्वारा कही गयी बातों का समर्थन भी किया है ।

मान्यवर, कुछ सम्मानित सदस्यों ने जो एक आध बातें कही हैं, मैं उनका निराकरण करने के लिये कहना चाहता हूं कि जैसे श्री यादव जी ने कहा अपने भाषण के दौरान कि जनता शासन ने कहीं ऐक्ट में चेन्ज नहीं किया था । साथ ही साथ एक सदस्य ने यह भी कहा कि वर्ष 1978 में जनता शासन ने ऐक्ट में ऐसे चेन्ज कर दिये जिससे प्रशासक नियुक्त होने लगे और सहकारिता समाप्त हो गयी ।

मान्यवर, बड़ा दुख हो रहा है मुझे कि दोनों ही बातें बिलकुल तथ्यहीन हैं । जहां तक प्रशासक नियुक्त करने का प्रश्न है तो इसके लिये अमेन्डमेन्ट 19 अप्रैल, 1976 को हुआ था । श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा जिस समय सहकारिता मंत्री थे, यह अमेन्डमेन्ट कैसे किया गया, इसका पूरा इतिहास है और मैं इस इतिहास से परिचित हूं, उस समय मैं गन्ना सहकारी कमेटी की प्रबन्ध समिति का सदस्य था । तो इस तरह से मुझे पूरा इतिहास का ज्ञान है । इसके बाद फिर एक अमेन्डमेन्ट हुआ । यह अमेन्डमेन्ट 25 जून को हुआ इसमें यह कहा गया कि यदि प्रबन्ध समिति किन्हीं भी कारणों से चाहे वह जो कुछ भी हों अपना कार्यकाल समाप्त होने के पहले चुनाव नहीं करा देती है तो वह प्रबन्ध कमेटी समाप्त मान ली जायेगी और जो कुछ भी चुनाव की प्रक्रिया का प्रारम्भ भी हुआ होगा, वह समाप्त मान लिया जायेगा । यह दोनों अमेन्डमेन्ट आपके ही शासनकाल में हुये हैं । माननीय शांति प्रपन्न शर्मा जी उस समय सहकारिता मंत्री थे और उनके द्वारा किया गया । किन कारणों से किया गया, मैं उसे सदन में नहीं कहना चाहता क्योंकि वे सदन में नहीं हैं । लेकिन इसके पीछे इतिहास केवल राजनैतिक रहा । 30 जून, 1976 को प्रबन्ध कमेटी को भंग कर देना चाहते थे, पहली जुलाई को नई प्रबन्ध कमेटी का चुनाव होने जा रहा था और पुनः चुनाव न हो, केवल इस राजनीतिक कारण से इस ऐक्ट में संशोधन किया गया था। यह मेरे उस बात को पुनः साबित करता है जैसा कि मैंने अखबारों से कोट किया है कि भारत सरकार के माननीय मंत्रियों ने अपने यह विचार व्यक्त किये हैं, रिजर्व बैंक आफ इन्डिया ने विचार व्यक्त किये थे, शिव रमण कमेटी ने विचार व्यक्त किये हैं कि सहकारिता में राजनीतिक प्रश्रय, इसका पोलिटिकलाइजेशन कर दिया गया है । 1978 में जनता शासन में एमेन्डमेन्ट हुए, दो हुए ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री दिवाकर विक्रम सिंह---]

एक यह किया गया कि जितनी प्राइमरी सहकारिता समितियां हैं उनके चुनाव डेलीगेट से न करा कर सम्पूर्ण सदस्यों से कराया जाये । उसके पहले होता यह था कि कुछ लोग, प्रभावशाली लोग, सचिव से मिल कर ऐसा क्षेत्र बनवा लेते थे ताकि वहां से वही डेलोगेट चुन कर आ जाये या उनका कोई आदमी डेलोगेट चुन कर आ जाये । इस प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि जितनी छोटी प्राइमरी सहकारी समितियां हैं गांव वालो, जिनकी मेम्बर शिप बहुत छोटी है, जिनके सारे सदस्य एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं, उनमें सभी सदस्यों द्वारा चुनाव कराया जाये । इससे अधिक प्रजातांत्रिक प्रणाली और क्या हो सकती है ? अगर किसी माननीय सदस्य को यह कष्ट हो कि सचिव से मिल कर विशेष क्षेत्र बना कर कुछ विशेष लोग नहीं आ जायें तो मेरे ख्याल से सहकारिता के लिए यह कोई बुरी बात नहीं है । वह तो सहकारिता के लिए बहुत अच्छी बात है । राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने वर्ष 1981-82 में यह कहा है कि सहकारिता आन्दोलन पर कुछ लोगों का प्रभाव जम जाने के कारण भी इसके असफल होने का एक कारण है । दूसरा एमेन्डमेन्ट जनता शासन ने यह किया था कि जिस दिन भी प्रबन्ध कमेटी का चुनाव कराया जाये उस दिन से 3 कैलेन्डर इयर, 3 वर्ष तक उसका कार्य काल हो ।

इस समिति की जो वर्तमान स्थिति है, इस पार्टी की सरकार ने, 1976 में, जिसने एमेन्डमेन्ट किया था, उसमें भी कार्यकाल 3 सहकारिता वर्ष होगा, उस पार्टी की सरकार ने पुनः जनता शासन काल में, इन सभी सदस्यों द्वारा चुनी गई प्रबन्ध कमेटी को भंग कर के और अपना वहां पर प्रशासक बैठाने के लिए पुनः धारा 29 में यह परिवर्तन कर दिया गया कि नहीं, यह तीन सहकारी वर्ष माना जायगा कार्यकाल । कौन सी यह प्रजातांत्रिक प्रणाली है, यह मेरी समझ में नहीं आया । न किसी माननीय सदस्य ने इसका खंडन किया है । हो सकता है कि किसी कारण से किसी माननीय सदस्य ने इसका समर्थन न किया हो लेकिन किसी ने इसका खंडन नहीं किया है । बाकी मुख्य बात तो मैं ऐक्ट के सम्बन्ध में ही रखना चाहता था लेकिन एकाध चीजें ऐसी आ गई जिन पर कहना पड़ेगा ।

एक तो मैंने यह देखा कि इस साल नये कारोबार वाले मद में शासन ने यह निर्णय लिया है कि डी० सी० डी० एफ० के माध्यम से पुनः खाद का रोजगार कराया जायेगा । इसके लिए पहले डी० सी० डी० एफ० मथुरा जिले को चुना गया है । उसे 15 लाख रुपये का ऋण दिया जायेगा । 67 से पी० सी० एफ०, डी० सी० डी० एफ० के माध्यम से यह कार्य करता था । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसी पुरानी प्रक्रिया को आप क्यों नहीं पुनः लागू करते ? पी० सी० एफ० खाद डी० सी० डी० एफ० को दे और वह पुनः उसे अपनी शाखाओं को बांटे और शाखाओं से हिसाब कलेक्ट करे । इससे मैनेजमेंट का खर्चा भी कम हो जायेगा । घोटाले के सम्बन्ध में कहा गया कि प्रक्रिया चेंज होनी चाहिये । मैंने जैसा कि पहले कहा था, आज फिर कहता हूं कि 1953 से 1968 तक केवल ढाई करोड़ रुपया बाकी रहा जब कि 1967 से अब तक लगभग 13, 14 साल का समय होता है और पहले भी लगभग 14, 15 वर्ष का ही समय था, आज 40 करोड़ रुपये का बकाया है जबकि डी० सी० डी० एफ० के बजाय पी० सी० एफ० इस काम को कर रहा है । माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि पी० सी० एफ०, डी० सी० डी० एफ० के माध्यम से खाद का रोजगार पुनः शुरू करें ।

अभी कुछ नियुक्ति की बात आई । मैं बस्ती जनपद का एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं । बस्ती जनपद के विकास खंड पुनायां न्याय पंचायत बारिकपार के सचिव, जिल्लू रहमान जिस सहकारिता समिति में सेल्स मैन थे, उसी न्याय पंचायत में ग्राम सभा बनकट्टा के प्रधान थे, बस्ती जिले के ए0 आर0 ने श्री माता प्रसाद पांडेय की शिकायत पर उनको वहां से हटा दिया । उन्होंने माननीय मंत्री जी के यहां कोई प्रार्थनापत्र दिया और माननीय मंत्री जी ने उनको उसी न्याय पंचायत में उसी संघ का सेल्स मैन नहीं, बल्कि अब सचिव नियुक्त किया है । उसी न्याय पंचायत का निवासी, वहीं की ग्राम सभा का प्रधान, जो वहां पर सेल्स मैन रह चुका हो और शिकायत करने पर निकाला जा चुका हो, जब सचिव नियुक्त हो जाय, वह कितना सही काम कर सकेगा, इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है ।

मान्यवर, कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि हम लोग भ्रष्टाचार की बात को वैसे ही उठा रहे हैं और भ्रष्टाचार तो सभी विभागों में है और जहां इतने करोड़ों रुपये का बिजनेस हो रहा है वहां कुछ भ्रष्टाचार तो होगा ही । मान्यवर, मैंने एक अखबार से कोट किया था और फिर केवल दो लाइन उसी से कोट करना चाहता हूं । मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं । मैंने किसी के ऊपर नामजद आपत्ति नहीं की है । विभाग की कार्यवाही में जहां पर गलती है उस को सदन में प्वाइन्ट आउट करना मेरा कर्तव्य है ।

मान्यवर, यह 'नेशनल हेराल्ड' 9 अगस्त, 1980 का है । कोआपरेटिव्स कांग्रेस की मीटिंग में श्री बलराम जाखड़ और श्री राव वीरेन्द्र सिंह, श्री वी0 सी0 शुक्ला तथा अन्य सम्मानित लोग थे । मान्यवर, श्री वी0 सी0 शुक्ला ने क्या कहा था । बड़े स्पष्ट रूप में उन्होंने कहा था । श्री बलराम जाखड़ ने, श्री राव वीरेन्द्र सिंह ने कहा था । मैं दो लाइन पढ़ देता हूं । अंग्रेजी में है, हिन्दी अनुवाद कर दूंगा । मिस्टर बलराम जाखड, स्पीकर, लोक सभा एन्ड राव वीरेन्द्र सिंह, मिनिस्टर आफ एग्रीकल्चर एन्ड कोआपरेटिव फील दैट दि कोआपरेटिव्स आर दि सैंस पूल आफ करप्शन । श्री बलराम जाखड़ जी और राव वीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि वह ऐसा महसूस करते हैं कि सहकारिता जो है यह भ्रष्टाचार का एक सेस पूल है ।

मान्यवर, मेरी कोई बात नहीं है । आप उच्च लोगों की बात से ही अपने कटौती के प्रस्ताव को पुनः बल देते हुये मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह इसे स्वीकार करने का कष्ट करें ।

*श्री बच्चा पाठक--

मान्यवर, सहकारिता विभाग के बजट पर पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो अपने सुझाव दिए हैं अगर सुझाव उनके कारगर हैं तो उन पर विचार किया जायगा लेकिन जो निरर्थक हैं उन पर कोई

(व्यवधान)

जहां तक विपक्ष के लोगों ने जो भाषण माननीय सदन में दिया उसको सुनने से हम लोगों को यह प्रतीत हुआ कि उनके पास कोई ऐसे ठोस आंकड़े नहीं हैं । केवल कोरे भ्रष्टाचार को नदी को यहां पर बहाना चाहते हैं । हम लोगों को तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बच्चा पाठक---]

लगता है उनकी बातें सुनने से कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली आज सरकार ने अपने हाथ में ले ली है लेकिन जिस समय यह प्रणाली निजी लोगों के हाथ में थी और जनता पार्टी के शासन में वे दुकानदार नियुक्त किये गये थे जो भ्रष्टाचार करते थे और जनता को सीधे सामग्री नहीं पहुंचती थी

(तालियां)

माननीय विपक्ष के सदस्यों को वही भ्रष्टाचार आज भी नजर आ रहा है। इस सरकार के द्वारा सार्वजनिक प्रणाली के द्वारा सामग्री को गरीब तक पहुंचाया जा रहा है ।

इन्होंने प्रशासक नियुक्त करने की बात कही । यह कोई नई बात नहीं है । उन्नतीसवें एक्ट के अनुसार समय-समय पर प्रशासक नियुक्त किये गये हैं । लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह जनता पार्टी ने प्रजातंत्र की हत्या की है जिला परिषदों को समाप्त कर के, गांव सभाओं को समाप्त कर के, नगरपालिकाओं को समाप्त कर के, उसी आधार पर आज भी प्रजातंत्र पर उनको विश्वास नहीं है । यही कारण है कि यह आज प्रशासक की बात कर रहे हैं ।

हमारे माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी ने एक बात कही कि सरकारी तंत्र की बात हो रही है । मैं उनको बताना चाहता हूं कि सहकारिता को जिस प्रकार जंगल में जानवर घूमता रहता है उस प्रकार स्वतंत्र नहीं रखा जा सकता। मैं चाहता हूं कि इस पर सरकार का नियंत्रण हो । जो धन हमारे सहकारिता में लगता है उस पर सरकार का नियंत्रण रहे, कार्यों पर नियंत्रण रहे । माननीय सदस्य ने अभी ऋण की बात कही कि साढ़े चार प्रतिशत सूद बैंक देते हैं लेकिन माननीय सदस्यों को जानना चाहिये कि कोई भी बैंक साढ़े चार प्रतिशत इस रकम को देता है, बड़ी-बड़ी रकम बड़े-बड़े पूंजीपतियों को देता है और उसमें से जो बनता है उसका एक प्रतिशत साढ़े चार प्रतिशत के तौर पर देता है । मैं कहना चाहता हूं कि यू० पी० कोआपरेटिव बैंक के माध्यम से जो किसानों के लिये बैंक खुले हुये हैं उसने प्रथा डाली है कि साढ़े चार प्रतिशत पर किसानों को दिया जाय।

इसके अलावा कई सदस्यों ने अनेक बातें कहीं । माननीय राम आसरे वर्मा कह रहे थे कि इस विभाग के अन्दर शुरू से लेकर आखिर तक और अधिकारी से लेकर मंत्री तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे इसका कोई ठोस प्रमाण दें । मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि यदि वे इसका कोई ठोस प्रमाण मुझे दें और वह सही निकला, उस पर ऐक्शन नहीं हुआ तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा अन्यथा माननीय सदस्य इस्तीफा दें ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी---

प्रमाण किसी के पास नहीं है, सब हवा में गोली चला रहे हैं ।

श्री बच्चा पाठक---

माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि जिले में एक कमेटी बनी हुई है जिसके चेयरमैन जिलाधीश होते हैं और वे ही सेल्समैन की नियुक्ति करते हैं । जैसा कि मैंने कहा कि वे पुराने सेल्समैन जिनके द्वारा भ्रष्टाचार होता था, वे उसमें नहीं आ पा रहे हैं जिस कि आज माननीय सदस्यों में कड़क हो रही है ।

पांचवीं चीज माननीय सदस्यों ने मुझे बच्चा बताया । मान्यवर, मुझे लगता है--

सतसैया के दोहरे, ज्यों नाविक के तीर,
देखन में छोटे लगें, घाव करें गम्भीर ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

आप बधाई के पात्र हैं ।

श्री बच्चा पाठक--

माननीय सदस्यों को भ्रम है । मैं अन्त में कहना चाहता हूं कि सहकारिता के माध्यम से गरीबों के उत्थान के लिए, देश के अन्दर बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, निर्बलों की सहायता के लिए काम किया है वह किसी और विभाग ने नहीं किया है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी सहकारिता विभाग कृत संकल्प है कि प्रदेश और देश में भ्रष्टाचार को मिटाया जाय और सहकारिता आन्दोलन को आगे बढ़ाया जाय । इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं उनसे यह निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और सदन के माननीय सदस्यों से कहता हूं कि वे सहकारिता के बजट को पास करें ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

बारम्बार बधाई हो, सहकारिता मंत्री जी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया शांत रहें ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64-सहकारिता विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64-सहकारिता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,12,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

[5 बजकर 5 मिनट]

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 51 के अन्तर्गत 11 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से एक सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की और इसी आशय की दूसरी सूचना श्री रियासत हुसैन तथा श्री गौरी शंकर मैय्या की थी, और जो कि उन्नाव जिले के एक परिवार के 4 व्यक्तियों की हत्या किए जाने के सम्बन्ध में थी, स्वीकार की गई हैं वक्तव्य के लिए, शेष सूचनायें अस्वीकृत हुईं ।

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा एवं ओलावृष्टि से हुई क्षति तथा कानपुर में 8 व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)--

दिनांक 28 फरवरी तथा 1 मार्च, 1982 की मध्य रात्रि को आंधी, उपल वृष्टि एवं तेज वर्षा से प्रदेश के विभिन्न जनपदों कानपुर नगर, कानपुर देहात, बांदा, मिर्जापुर, इलाहाबाद, बुलन्दशहर, मथुरा, अलीगढ़ आदि में खड़ी फसलों की क्षति एवं व्यक्तियों तथा पशुओं के मरने की घटनाओं की सूचनायें प्राप्त हो रही हैं । क्षति का विस्तृत आकलन स्थानीय अधिकारियों द्वारा सर्वे पूरा हो जाने पर उपलब्ध हो सकेगा ।

अब तक प्राप्त सूचनानुसार जनपद कानपुर नगर में लगभग 250 ग्राम प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 90 ग्रामों में खड़ी फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति का अनुमान है । मेसर्स इंडियन टेनरी लिमिटेड, जाजमऊ के प्रांगण के बाहर बनी झोपड़ी की दीवार गिर जाने से निम्नांकित 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई :

1--श्रीमती रुकमिन पत्नी श्री पितई, आयु लगभग 60 वर्ष ।

2--श्री जगन्नाथ, आयु लगभग 40 वर्ष ।

3--श्रीमती शिवरानी पत्नी श्री जगन्नाथ, आयु लगभग 35 वर्ष ।

4--श्री मोती लाल पुत्र श्री जगन्नाथ, आयु लगभग 9 वर्ष ।

5--श्री हीरा लाल पुत्र श्री जगन्नाथ, आयु लगभग 7 वर्ष ।

मृतकों के परिवार वालों को 1000 रु0 की दर से सहायता वितरित कर दी गई है । कानपुर शहर के मोहल्ला किदवई नगर में बिजली के करेंट लगने से भी एक व्यक्ति के मरने की सूचना प्राप्त हुई है । कहीं कहीं टेलीफोन व तार के खम्भे प्रभावित होने की भी सूचना है ।

जनपद कानपुर देहात में करीब 575 ग्राम प्रभावित होने की सूचना प्राप्त हुई है जिनमें से 333 ग्रामों में फसलों की 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होना अनुमानित है । ग्राम बिसोहा तहसील डेरापुर में एक मकान की दीवार छप्पर सहित गिर जाने से एक ही परिवार के 2 व्यक्तियों श्री कालिका व श्रीमती

पांरवतो की मृत्यु हो गई । एक बकरी भी मर गई । मृतक के आश्रितों को 1000 रु0 की सहायता जिला प्रशासन द्वारा दे दी गई । तहसील अकबरपुर में दस बिजली के खम्भे गिर गए जिन्हें ठीक कर दिया गया है ।

एक सदस्य--

यह तो कुछ नहीं हुआ, माननीय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय, पहले मैं आपका ध्यान इस वक्तव्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । कार्यवाही को देखने से आपको जानकारी हो जायेगी कि सबसे पहले तो कानपुर के बारे में सूचना दी गई थी, लेकिन उसके बाद विभिन्न जिलों के माननीय सदस्यों ने अलग अलग नियम 51 में कार्य स्थगन की सूचना दी और अध्यक्ष पीठ से यह निर्देश हुआ था कि वक्तव्य संपूर्ण प्रदेश के बारे में होगा । आप एजेंडा को मद 11 देखें उसमें लिखा है संपूर्ण प्रदेश में तेज वर्षा एवं उपलवृष्टि से क्षति के सम्बन्ध में है । यह जो वक्तव्य आया है इसमें बहुत से जिले छूट गए हैं मेरा अपना जिला सीतापुर छूट गया है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय गुप्ता जी जरा सुन लें । असल में यह कानपुर के सम्बन्ध में था और बाद में इसमें और जिलों का भी समावेश हो गया । तो सम्पूर्ण प्रदेश के सम्बन्ध में तो 17 तारीख निर्धारित किया है उस दिन सम्पूर्ण प्रदेश के बारे में वक्तव्य आयेगा ।

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, सम्बन्धित प्रश्न पर पहले से तारीख निर्धारित है ।

श्री अध्यक्ष--

वही मैंने बता दिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इस वक्तव्य में 5 मृतक ऊपर और दो मृतक नीचे दिये हुए हैं, जिन्हें एक-एक हजार रुपये की सहायता दी गई है, जो बहुत कम है, जिस पर मैं आगे प्रश्न करूंगा, लेकिन एक व्यक्ति की बिजली के तार से भी मृत्यु हुई है तो क्या इस मृतक व्यक्ति के आश्रितों को भी कोई सहायता दी गई है तथा अन्त में इसमें लिखा है--'प्रभावित क्षेत्रों में कृषि सम्बन्धी तथा अन्य मुख्य देयों की वसूली रोकने के आदेश दे दिए गए हैं । प्रभावित क्षेत्रों में विभागीय योजनाओं एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्यों में गति लाने की भी कार्यवाही की जा रही है जिससे लोगों को रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो, तो जो वित्तीय आवंटन पहले से जिलों, ब्लाकों में है, उससे भिन्न आपने इसके लिए कोई फाइनेन्शियल आर्डर किए हैं ? और यदि किए हैं तो आप बताएं कि किस-किस जिले के लिए किए हैं और कितने-कितने रुपये के किए हैं ?

श्री बजनाथ कुरील--

मान्यवर, यह जो एक व्यक्ति के करेन्ट से मरने की बात है, उसका अभी पता नहीं लग पाया है उसके परिवार आदि का। जैसे ही पता चलेगा, उसके परिवार वालों को सहायता मिलेगी और जो योजना की बात है तो यह कह दिया गया है, हमारे राहत आयुक्त की ओर से जिलों का आदेश चले गए हैं जो पैसा उनको इस काम के लिए चाहिए वह उनको मिलेगा। उनको आर्डर कर दिए गए हैं। यह जिलों में आलरेडी मौजूद हैं। बांदा में कई लाख रुपया इस मद में मौजूद है। जैसे जैसे मांग की जायगी पैसा दिया जायगा।

श्री रियासत हुसैन--

कानपुर व अन्य जिलों के भारी नुकसान को देखते हुए क्या वह हरियाणा की तरह एक हजार रुपया प्रति हेक्टेयर, जो उन्होंने अभी पिछले दिनों देने का एलान किया है, देने पर विचार करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

इस सम्बन्ध में तो अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। क्षति पूर्ति के लिए ऐसा कोई हमारे यहां नहीं है। यह तो उन्होंने अपने बीमा वगैरह से किया होगा या और कोई तरीका निकाला होगा। हम तो अहेतुक सहायता इसके लिए देते हैं।

श्री मोती लाल देहलवी--

कानपुर में हुई ओलावृष्टि के बारे में हमने एक कामरोको प्रस्ताव भी दिया था और इसी माननीय सदन में नियम 301 के अन्तर्गत भी ध्यान आकर्षित किया था। हमारे निर्वाचन क्षेत्र के ब्लाक बिल्हौर, ककवन व रसूलाबाद में घनघोर ओले गिरे थे और मंत्री जी वहां गये भी थे उन्होंने वहां कौन-कौन से ग्रामों का जाकर स्वयं निरीक्षण किया है और वहां पर उन्होंने कितना-कितन नुकसान पाया ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, कानपुर देहात में 575 ग्रामों की एक लाख 15 हजार 305 एकड़ भूमि प्रभावित होने की सूचना है।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, यह कोई जवाब नहीं है। कानपुर वह गये, लेकिन शहर से ही लौट आये।

श्री अध्यक्ष--

बैठिये, अभी इसका उत्तर दिलाये देता हूं।

श्री हुकम सिंह--

मैं केवल दो बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित करके प्रश्न करना चाहता हूं, जो आपने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में कृषि सम्बन्धी तथा अन्य मुख्य देयों की वसूली रोकने के आदेश दे दिये गये हैं तो इसमें मैं अपनी सुनिश्चित जानकारी देना चाहता हूं कि शायद आपके आदेश अभी तक जिला मुख्यालयों पर पहुंचे नहीं है। माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में मुख्य देयों की वसूली रोकने के आदेश दे दिये गये हैं लेकिन मेरी सूचना है कि

आज भी किसानों से वसूल की जा रही है और लोगों को पकड़ा जा रहा है। दूसरा प्रश्न यह है कि जिस प्रकार से हरियाणा में, जो हमारा पड़ोसी प्रदेश है उसमें 1,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की घोषणा की जा सकती है तो क्या उसी प्रकार से विचार करने की कृपा करेंगे कि जिन स्थानों पर किसान की पूरी कमाई चली गई और आगे उसे एक साल अपने परिवार के सदस्यों का पालन-पोषण करना है, वहां के लिए आप भी ऐसा ही कर दें। मैं समझता हूं कि आपको भी 1,000 रुपया प्रति हेक्टेयर देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये ?

श्री बैजनाथ कुरील--

माननीय, कानपुर के जनपद में मैं दो गांवों भौती खेड़ा और मोती प्रतापपुर गया था। जहां तक हरियाणा वाली बात है मैंने पहले ही बता दिया कि हमारे यहां पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि वसूली रोकने के आदेश पहुंच गये हैं।

श्री धनी राम वर्मा--

मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया है कि जिन स्थानों पर 50 प्रतिशत से अधिक क्षति का अनुमान हुआ है वहां पर लगान स्थगित करने के आदेश दे दिये गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आबपाशी, लगान तथा सहकारी एवं अन्य देय जो हैं, जिन-जिन स्थानों पर फसल नष्ट होने के समाचार हैं, उनको माफ करने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

माफी के लिए हमारी रेवेन्यू मैनुअल में जो प्राविधान है उसके मुताबिक किया जायेगा जैसे जहां पर 12 आने की क्षति हुई है वहां पर शतप्रतिशत, जहां पर 10 से 12 आने की क्षति हुई है वहां पर 10 आने और जहां पर 50 से 60 प्रतिशत की क्षति हुई वहां पर 6 आने की छूट दी जाती है।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

कानपुर जनपद में जिन इलाके में ओला वृष्टि के कारण काफी क्षति हुई है क्या वहां के पढ़ने वाले छात्रों की फीस माफ करने के आदेश भी जारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जहां-जहां पर ऐसी आपदा आती है जैसे बाढ़ आदि वहां पर किया है। इसके लिए भी शिक्षा मंत्री जी को लिखा जा चुका है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जहां-जहां ओला वृष्टि से क्षति हुई है वहां पर मजदूरों और निर्बल व्यक्तियों के खाने के लिए सस्ते गल्ले की दुकानों से सस्ते मूल्यों पर गेहूं आदि जो सामग्री है उसको दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

राहत कार्य के अन्तर्गत ये सब काम आते हैं । जिलाधिकारियों से यह कहा गया है कि वे देखें अपने जिले में किसी जगह पर कोई व्यक्ति भूख से न मरने पाये ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

आपके रिकार्ड में यह है कि जब 50 प्रतिशत से ऊपर को क्षति हो तो आप राहत देंगे, वसूली को रुकवायेंगे । इस समय ओला वृष्टि से जो 200-300 खाते हैं, जिनमें 100 आदमी से ज्यादा होंगे तो क्या मंत्री जी खातेवार जांच करायेंगे और जिनका नुकसान हुआ है, इनको राहत देने का कष्ट करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, शासन को तुरन्त खातेवार सूचना नहीं मिल पाती, इसलिए ऐसे आदेश हैं कि अभी स्थगित कर देंगे । फिर जब खातेवार सूचना उपलब्ध होती है तब उस पर विचार किया जाता है ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय रियासत हुसैन और माननीय हुकम सिंह ने प्रश्न किया जिसका कोई उत्तर नहीं आया, मैं भी यही पूछना चाहता हूं कि हरियाणा ने जिस प्रकार एक हजार रुपये प्रति हेक्टेयर को सहायता दी है, उस पर आपको विचार करने में क्या आपत्ति है, आप उस पर विचार तो कर लें क्योंकि यह किसानों के हित की बात है और यदि सदन से उसकी स्वीकृति कराना चाहें तो यहां भी उसे ले आयें, पर आपको इस पर विचार करने में क्या आपत्ति है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, मैंने कहा कि हमारे यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । देख लेंगे कि हरियाणा ने किस तरह से इसको किया है, वह बीमा के तहत किया है या किस तरह से किया है । अब हम कर सकते हैं तो जरूर करेंगे, इसे देख लेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
12 मार्च, 1982 ई० ।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 298 पर ।)

जुलाई 1978 से जुलाई, 1981 तक आन्तरिक सम्प्रेक्षण अनुभाग द्वारा सम्प्रेक्षित इकाइयों का विवरण–पत्र

क्रमांक	खण्ड का नाम	गबन	धनराशि वित्तीय अनियमितता	जब सम्प्रेक्षण किया गया	जब प्रतिवेदन परिषद् को प्रस्तुत किया गया	प्रतिवेदन के आधार पर की गयी कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7
1	विद्युत् वाणिज्यिक खण्ड, इलाहाबाद	..	स्टेशनरी की खरीद में अनियमितताएं रु0 1,51,985·00	3–10–78 से 9–10–78 तक	जनवरी, 1979	श्री आर0 पी0 शुक्ल, लेखापाल का स्पष्टीकरण दिनांक 24, 30·12–81 एवं 1–1–1982 को परिषद् द्वारा मांगा गया। स्पष्टीकरण की जांच की जा रही है।
2	विद्युत् वाणिज्यिक खण्ड, लखीमपुर–खीरी	रु0 34,000. 00 (उपभोक्ताओं के खातों में)	..	3–11–78 से 27–1–79 तक	अप्रैल, 979	तीन लिपिक निलम्बित किये गये। दो अधिशासी अभियन्ता, 4 सहायक अभियन्ता (राजस्व) तथा चार लेखाकार (राजस्व) के स्पष्टीकरण परिषद् द्वारा मांगे गये । अधिकारियों/कर्मचारियों के स्पष्टीकरण प्राप्त हुये तथा उन पर कार्यवाही की जा रही है ।

1	2	3	4	5	6	7
3	विद्युत् वितरण खण्ड, इलाहाबाद	रु0 1,69,000.00 मात्र	..	20-11-78 से 17-3-79	जून, 1979	गबन श्री एस0 एस0 शुक्ल, लेखापाल द्वारा किया गया वह निलम्बित है । लेखापाल (राजस्व) श्री आर0 डी0 सुमन ने विभाग से त्याग-पत्र दे दिया है । परिषद् द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली जांच हेतु जांच समिति, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को अक्तूबर, 1979 में सौंप दी गई ।
4	विद्युत् वितरण खण्ड, देवरिया	रु0 1,82,000.00 मात्र	..	4-12-78 से 29-1-79	मार्च, 1979	श्री वीरेन्द्र सिंह लिपिक, जिसके द्वारा गबन किया गया की सेवायें समाप्त कर दी गयी तथा श्री बजरंगी सिंह, मुख्य लिपिक को पदावनति कर टिप्पणः एवं आलेखक कर दिया गया है । सम्पूर्ण पत्रावली अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध जांच हेतु जांच समिति, उ0 प्र0 रा0 वि0 परिषद् को जनवरी, 1980 में प्रेषित की गयी । अधि0 अभि0, सहा0 अभि0 (र0) तथा लेखापाल (राजस्व) के प्रति प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

5	विद्युत्, वितरण खण्ड, लखीमपुर-खीरी	..	अधिक मूल्य पर खरीद आदि रु0 2,12,000.00	23-2-79 से 31-3-79	मई, 1979	सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन अधि0 अभि0/अधी0 अभि0 मुख्य क्षेत्र य अभियन्ता, लखनऊ को नवम्बर, 1980 में प्रेषित की गयी। अधि0 अभि0/मु0 क्षेत्र0 अभि0 से प्रतिवेदन (रिपोर्ट) प्राप्त होने पर उसकी जांच की जायेगी।
6	विद्युत् वितरण खण्ड, सीतापुर	..	अधिक मूल्य पर खरीद आदि रु0 1,77,000.00	24-2-79 से 31-3-79	मई, 19 9	सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन अधि0 अभि0/अधी0 अभि0/मु0 क्षे0 अभि0 को नवम्बर, 980 में प्रेषित की गयी। अधि0 अभि0/अधी0 अभि0/मु0 क्षे0 अभि0 से अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर प्राप्त होने पर जांच की जायेगी।
7	विद्युत् वितरण खण्ड, अकबरपुर	...	मस्टर रोल के माध्यम से अनुचित व्यय रु0 76,030.00 मात्र	28-3-79 से 30-6-79	सितम्बर, 1979	सम्पूर्ण पत्रावली परिषदीय सतर्कता अनुभाग को जांच हेतु जनवरी 1980 में दी गयी। सतर्कता अनुभाग से अभी जांच रिपोर्ट वांछनीय है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
8	विद्युत् वितरण खण्ड, सुल्तानपुर	..	मस्टर रोल के माध्यम से अनुचित व्यय रु0 1,29,100.00 मात्र	23-4-79 से 6-9-79	जून, 1980	सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन अधि0 अभि0, अवी0 अभि0, मु0 क्षे0 अभि0 को अप्रैल, 1980 में निर्गमित की गई। साथ में सम्बन्धित रिकार्ड सील किया गया है। अधि0 अभि0 को लिखा गया है कि वह अप्रैल, 1982 के द्वितीय सप्ताह में खण्ड में रहें ताकि रिकार्ड खोलकर उन्हें दिखाया जा सके। अधि0 अभि0/क्षेत्रीय अभि0 से उत्तर प्राप्त होते ही अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकेगी।
9	विद्युत् वितरण खण्ड 1, देवरिया	..	मस्टर रोल के माध्यम से रु0 3,50,800.00 मात्र	20-8-79 से 17-3-80	जून, 1980	सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन लगभग 550 पृष्ठों का है। विद्युत साइक्लो-स्टाइल करवायी जा रही है शीघ्र ही अधि0 अभि0/अधि0 अभि0/क्षे0 मु0 अभि0 को उत्तर देने के लिए प्रेषित की जा रही है।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल

10	विद्युत् वितरण खण्ड, गोरखपुर	.	रु0 1,17,065.00 मात्र (उपभोक्ताओं के लेजरों में)	15-10-79 से 15-1-80	मार्च, 1980	सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन 1980 में अधि0 अभि0, अधी0 अभि0, क्षे0 मु0 अभि0 को प्रेषित की गयी । अधिकारियों द्वारा उत्तर में 1,00,916.48 रु0 की राशि स्वीकार कर ली गई है। शेष र शि 16,149.08 रु0 के लिए अधि0 अभि0, अधी0 अभि0, क्षे0 मु0 अभि0 को पुन: स्पष्टीकरण हेतु लिया गया ह । उनका उत्तर अभी अपेक्षित है ।
11	विद्युत् पारेषण खण्ड, फैजाबाद	..	रु0 95,135.00 वित्तीय अनियमितताएं	20-2-80 से 17-4-80	जून, 1980	रिपोर्ट विचाराधीन है शीघ्र ही निर्णय लेकर उचित कार्यवाही की जायेगी ।
12	विद्युत् वितरण खण्ड 4, बस्ती		रु0 21,347.00 टेम्परेरी मस्टर रोल के माध्यम से रु0 2,51,720.00	16-5-80 से 18-8-80	अप्रैल, 1979	सम्प्रेषण प्रतिवेदन अधि0 अभि0, अधी0 अभि0, क्षे0 अभि0 को नवम्बर, 1981 में उत्तर के लिए प्रेषित की जा चुकी है उनसे प्र प्त होने पर जाँच के पश्चात् सम्बन्धित दोषी अधिकारियों / कर्मच रियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
13	विद्युत् वितरण खण्ड, मऊ	..	अधिक मूल्य पर स्टेशनरी की रसीद रु0 1,65,000.00	2-8-80 से 16-10-80	जनवरी, 1982	सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन अधि0 अभि0, अधी0 अभि0, क्षे0 मु0 अभि0 के अगस्त, 1981 में उत्तर देने हेतु प्रेषित कागजों की जांच हो चुकी है। अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर प्राप्त होने पर जांच करने के पश्चात् दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
14	विद्युत् वितरण खण्ड-1, बस्ती	रु0 3,75,000.00	..	25-11-80 से 26-2-81	सितम्बर, 1981	सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन अधि0 अभि0, अधी0 अभि0, क्षे0 मु0 अभि0 को जारी की गई। प्रतिवेदन के उत्तर की जांच करने के पश्चात् परिषद् का प्रशासनिक कार्यवाही हेतु सितम्बर, 1981 में प्रेषित किया गया। परिषद् द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली फरवरी, 1982 में जांच समिति उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को जांच हेतु सौंप दी गई है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

15	विद्युत् वितरण खण्ड, इलाहाबाद	..	भण्डार की खरीद तथा कार्यों का कराना रु0 10,51,000.00 मात्र	15-1-81 से 8-5-81 .. सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन अधि0 अभि0, अधी0 अभि0, मु0 क्षे0 अभि0 को उत्तर देने हेतु शीघ्र ही प्रेषित की जा रही है । उनसे उत्तर प्राप्त होन पर उसकी जांच कर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए पीछे पृष्ठ 318 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के चौथे शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री अकबाल हुसैन के तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर :

प्रश्न	उत्तर
3--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माह सितम्बर, 1981 में गोंडा, बस्ती तथा गोरखपुर जनपदों में राप्ती नदी से जो बाढ़ आई उससे प्रभावित गोंडा जनपद में (केवल कठेर गांव सभा को छोड़कर) 2-1/2 एकड़ भूमि से नीचे के लोगों को प्रति परिवार 20 किलोग्राम गेहूं तथा मिट्टी का तेल दिया गया, जबकि बस्ती जनपद में सभी प्रभावित ग्राम के सभी परिवार को चाहे कितनी भूमि उनके पास हो 47 किलोग्राम गेहूं आदि दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? इस दोहरी नीति अपनाने के क्या कारण हैं ?	3—गोंडा जिले में वर्ष 1981 में बाढ़ से प्रभावित 2-1/2 एकड़ से कम भूमि वालों को 20 किलोग्राम गेहूं तथा 2 लीटर मिट्टी का तेल एवं अन्य सामग्री वितरित की गयी । अन्य पात्र व्यक्तियों को भी सहायता दी गई । बस्ती जिले में किसी एक परिवार को 47 किलोग्राम गेहूं नहीं वितरित किया गया ।

बैजनाथ कुरील,
राजस्व मंत्री ।

पी० एस० यू० पी० 23 वि० सभा—17-8-82 825 (पी० डी०)